राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक 4] चतुर्थ विधान सभा के चतुर्थ सत्र का चौथा दिवस [संख्या 4

गुरुवार

दिनांक 27 फरवरी, 1969

विधान सभा की बैठक मध्यान्ह पूर्व 11 बज कर 5 मिनिट पर विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री निरन्जन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

(जन-स्वास्थ्य, सामान्य प्रशासन, सार्वजनिक निर्माण, स्वायत्त शासन, पर्यटन, कृषि, अकाल सहायता, गृह, पशुपालन, पुनर्वास, यातायात, मुद्रणालय, सहकारिता विभाग)

खैरवाड़ा की नल-योजना

58. **श्री विद्यासागर** (खैरवाड़ा): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि खैरवाड़ा, तहसील खैरवाड़ा, जिला उदयपुर के लिये राज्य सरकार ने नल-योजना तैयार की है ?

(2) यदि हां, तो वह कब से लागू होगी ?

(3) योजना के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च होने की सम्भावना सर्वे के अनुसार है ?

(4) क्या यह सही है कि वहां की जनता नियमानुसार राशि देने को तैयार है फिर भी इस योजना को चालू करने में सरकार को क्या दिक्कत है ? यदि हां, तो क्या ? व कब तक इस योजना को पूर्ण कर दिया जावेगा ?

राज्य मंत्री, जनस्वास्थ्य विभाग (श्रीमती सुमित्रा): (1) जी हां।

(2) योजना की स्वीकृति के बाद कार्य चालू किया जा सकेगा।

(3) रुपये 98,000)।

(4) पंचायत ने नियमानुसार धनराशि जमा कराने के लिये हां की है। योजना का कार्य स्वीकृति व धन की उपलब्धि के बाद ही हाथ में लिया जा सकेगा।

श्री विद्यासागर : धन की उपलब्धि कब तक हो जायेगी आपको ?

श्रीमती सुमित्रा : धन की उपलब्धि इस वर्ष होना मुश्किल है। यह नया काम है। नया काम प्रारम्भ करना इस वर्ष मुश्किल ही लगता है।

श्री विद्यासागर : गत वर्ष खैरवाड़ा में जनस्वास्थ्य मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि खैरवाड़ा में शीघ्र ही नल-योजना शुरु हो जायेगी। यह कैसे दिया था ?

जनस्वास्थ्य मंत्री (श्री भीखाभाई) : मैंने यह आश्वासन नहीं दिया । मैंने वहां यह कहा था कि आपके यहां नल-योजना के लिये सर्वेक्षण कराया जायेगा और उसके बाद गांव की ओर से उचित धनराशि सरकार को जमा करा दी जावेगी तो इसको किया जायेगा ।

श्री विद्यासागर : यह कहा था तो क्या आप इसे आश्वासन नहीं कहते हैं ?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । राजवी श्री रूप सिंह ।

अतिरिक्त कलेक्टर के पद

59. **राजवी श्री रूपसिंह** (सरदार शहर) : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :--

एडीशनल पोस्ट अतिरिक्त कलेक्टर की कब कब क्रिएट की गई हैं और उससे सरकार को कितना खर्चा करना पड़ रहा है ? कृपया इसकी सूची सदन की मेज़ पर रखें ।

उप-मंत्री, सामान्य प्रशासन विभाग (श्री प्रद्युम्नसिंह) : वांछित सूची सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

राजवी श्री रूपसिंह : अतिरिक्त कलेक्टर की जो तीन पोस्टें क्रियेट की गई हैं, वे किन किन स्थानों के लिये हैं और कितने कितने पीरियड के लिये और आया वे परमानेन्ट हैं या टेम्पोरेरी ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : ये तीनों टेम्पोरेरी हैं। कोटा और चित्तौड़ की पोस्ट का पीरियड 28-2-69 तक का है और बीकानेर का 31-7-69 तक के लिये है ।

राजवी श्री रूपसिंह : इसके क्रियेट करने का क्या क्राइटेरिया है, वर्क लोड है या एडमिनिस्ट्रेटिव कन्सीडेरेशन है ?

श्री प्रद्युम्नसिंह : वर्क लोड और एडमिनिस्ट्रेटिव कन्सीडेरेशन की वजह से ये पोस्टें क्रियेट की गई हैं ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट । श्री बालसिंह सोढ़ा ।

जैसलमेर-बाड़मेर सड़क का ठेका

60 **श्री बालसिंह सोढ़ा** (जैसलमेर): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) जैसलमेर बाड़मेर सड़क का ठेका कितने हिस्सों में कितने ठेकेदारों को दिया गया था ? ठेकेदारों के नाम व सड़क की लम्बाई किस ठेकेदार को कितनी दी गई थी ? उसकी सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सच है कि जैसलमेर-देवीकोट का टुकड़ा अधूरा पड़ा है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं ? ठेकेदार के विरुद्ध आज तक क्या कार्यवाही की गई और कौन से नियम के आधार पर ?

(3) क्या यह सच है कि इसी ठेकेदार को काम पूरा करने से पहले ही पूरी राशि का भुगतान कर दिया गया है ? अगर हां, तो इसके क्या कारण हैं और अगर नियम विरुद्ध किया गया है तो क्या आज तक इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही की गई ? अगर हां, तो कौन दोषी पाया गया ? अगर कार्यवाही नहीं की गई, तो इसके क्या कारण हैं ?

(श्री बाल सिंह सोढ़ा)

(4) क्या यह सच है कि भुगतान हो जाने पर ठेकेदार ने कार्य पूरा करने से मना कर दिया है? अगर हां, तो यह किस के द्वारा पूरा किया जावेगा और उसका भुगतान कौन करेगा?

(5) इस प्रकार की अनियमितता से सरकार को इस सड़क पर कितना घाटा हुआ और किस के कारण? क्या किसी के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? अगर हां, तो उसकी रिपोर्ट सदन की मेज पर रखें।

उप-मंत्री,सा०नि०वि० (श्री माधोसिंह): (1) जैसलमेर–बाड़मेर सड़क का ठेका 12 हिस्सों में 8 ठेकेदारों को दिया गया जिसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है?

(2) जी हां। इस भाग में मेटलिंग लगभग पूरा हो चुका है और डामर करने का कार्य चल रहा है, ठेकेदार कई बाधाओं के कारण सड़क के इस भाग के कार्य को पूरा नहीं कर सका। कारण इस प्रकार हैं:–

1. पत्थर सोलिंग बेलास्ट और ग्रीट की खान का बदला जाना।

2. डाब्ला ट्यूब वैल से कम मात्रा में पानी मिलना।

3. मिट्टी के काम व चट्टान की कटाई की मात्रा में वृद्धि।

4. फेमिन का कार्य खुलने के कारण मजदूरों की कमी।

5. मशीनों के खराब होने से।

ठेकेदार को समय समय पर ठेके की शर्तों के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये हैं।

(3) जी नहीं, बाकी प्रश्न नहीं उठते।

(4) जी नहीं, ठेकेदार कार्य कर रहा है।

(5) कोई अनियमितता नहीं हुई। बाकी प्रश्न नहीं उठता।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री बालसिंह सोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि जो चार कारण काम नहीं करने के बताये हैं वे ठेके की शर्तों में आते हैं क्या? ठेकेदार की जो चार डिफिकल्टीज हैं, पानी की, चट्टान की, फेमिन कार्य शुरु हो जाने की, क्या ये ठेके की शर्तों में थीं?

श्री माधोसिंह : जी नहीं। ठेकेदार की शर्तों में ये नहीं आती हैं। उसके कार्य में जो बाधाएं आ रही हैं, उसके ऊपर उसने एक आवेदन पत्र दिया है। उसके इस आवेदन-पत्र पर जांच हो रही है कि आया उसकी बाधा सही है और क्या उसको इस काम में मोहलत दी जानी चाहिये? यदि यह सही नहीं तो उचित कार्यवाही की जायेगी।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या मन्त्री महोदय यह बताने का कष्ट करेंगे कि इस ठेकेदार के काम करने की कोई अवधि थी और कौनसी तारीख को उसका काम खत्म होने वाला था?

श्री माधोसिंह : 4-2-68 को काम पूरा हो जाना चाहिये था।

श्री बालसिंह सोढ़ा : इसको रेगुलर करने के लिये क्या उसको एक्सटेंशन दिया गया है?

श्री अध्यक्ष : क्या ठेके की मियाद बढ़ाई है?

श्री माधोसिंह : जी नहीं। उसने अपनी जो डिफिकल्टी बताई है, उसके ऊपर जांच हो रही है। अगर उसकी बाधा वाजिब है तो मियाद बढ़ाई जायेगी और गैरवाजिब है तो पेनल्टी लगाई जायेगी।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अभी आपने कहा कि मियाद नहीं बढ़ाई और यह भी कहा कि ठेकेदार काम कर रहा है फिर इन दोनों बातों में साम्य कैसे है?

श्री माधोसिंह : मैंने यह निवेदन किया है कि मियाद बढ़ाने के लिये उसके प्रार्थना-पत्र की सुनवाई कर रहे हैं। उसके प्रार्थना-पत्र को अगर मन्जूर कर देते हैं तो कार्यवाही करने की आवश्यकता नहीं है। उसकी हम जांच कर रहे हैं। अगर उसका कहना वाजिब नहीं है तो पेनल्टी लगाई जायेगी।

श्री भैरोंसिंह : प्रश्न के भाग(2) के उत्तर में आपने कहा कि ठेकेदार काम कर रहा है। पूरक प्रश्न के उत्तर में आपने कहा कि 68 के दूसरे महीने में उसे काम पूरा कर देना चाहिये था। आपने कहा कि उसे एक्सटेंशन नहीं दिया तब वह काम कैसे कर रहा है।

श्री माधोसिंह : उसने यह निवेदन कर दिया है कि उसके काम में यह डिफिकल्टीज हैं।

श्री भैरोंसिंह : इसमें डिफिकल्टी का सवाल नहीं है।

श्री माधोसिंह : मैं निवेदन कर रहा हूं कि उसने मियाद बढ़ाने के लिये आवेदन-पत्र दिया है। हमने उसका ठेका कैंसिल नहीं किया है। हम उसके प्रार्थना-पत्र की जांच कर रहे हैं। इस बीच वह काम करता जा रहा है। अगर उसकी गल्ती पाई गई तो मियाद बढ़ाई नहीं जायेगी और पेनल्टी लगाकर जुर्माना होगा। और जांच के बाद यह पाया गया कि उसकी मांग वाजिब है तो उस हालत में उसकी मियाद बढ़ाने की दरख्वास्त मन्जूर कर दी जायेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): ठेकेदार ने अपने आवेदन-पत्र में क्या दिक्कतें बताईं? अगर जल की अनुपलब्धि की वजह बताई है तो यह तो पहले से ही मालूम था और ठेकेदार को पहले से ही विचार करना चाहिये था। तो क्या कारण है कि ठेकेदार के आवेदन-पत्र को विचार करने योग्य माना गया?

श्री माधोसिंह : इस साल अकाल हैं और इस वजह से हर जगह पानी नीचे चला गया है और हर जगह पानी की कमी हो गई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पानी की कमी केवल इसी साल ही हुई है? वैसे क्या जैसलमेर में गंगा-जमुना बहती है?

श्री माधोसिंह : गंगा-जमुना तो डूंगरपुर में बहती है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : डूंगरपुर में अगर आप गंगा-जमुना बहा दें तो मैं बहुत आभारी रहूंगा।

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय किस तरह का उत्तर दे रहे हैं? मैं तो जैसलमेर के सम्बन्ध में पूछ रहा हूं और वे कहां से कहां जा रहे हैं।

श्री माधोसिंह : मैं निवेदन करदूं कि हमने इसके अन्दर साफ जवाब दिया है कि ठेकेदार ने अपनी डिफिकल्टीज हमारे सामने रखीं और उन पर हम विचार कर रहे हैं। कई डिफीकल्टीज ऐसी हैं जो कि काम

(श्री माधो सिंह)
करने पर ही सामने आती हैं और पहले से ही विचार में नहीं आ सकतीं, जैसे खुदाई करते चट्टान आ गई तो यह पहले से ही कैसे मालम हो सकती है? अब ठेकेदार ने जो दिक्कतें बताई हैं वे अगर सही नहीं पाई गईं तो उन पर पेनल्टी पड़ जायेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : पेनल्टी से मतलब नहीं है, मैंने तो इसका प्रशासनिक ढंग से डिस्पोजल करने का सवाल किया है। आपके यहां तो ऐसी रेड टेपिज्म है कि हर बात के लिये कह देते हैं कि विचाराधीन है। सभी विचाराधीन हैं। इसको डिस्पोज आफ करना चाहिये।

श्री माधोसिंह : डिस्पोज ऑफ कर देंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कब?

श्री माधोसिंह : शीघ्र ही।

श्री बालसिंह सोढ़ा: मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि जब प्रधान मंत्री जैसलमेर पधारी थीं उस समय हजारों रुपये इस सड़क पर लगाये गये प्रधान मंत्री की कार को पास कराने के लिये, तो वह रुपये ठेकेदार से वसूल होंगे या पी० डब्लू० डी० भरेगा?

श्री माधोसिंह: वह सड़क तो वैसे ही ठीक करवाई, प्रधान मंत्री के सिवाय जनता भी उसी सड़क से जा सकती है, आप भी वहां से जा सकते हैं।

श्री बालसिंह सोढ़ा : वहां से कोई भी गुजरे, लेकिन सरकारी पैसे से ठेकेदार को फायदा हुआ है इसका पैसा ठेकेदार से वसूल किया जायेगा या नहीं?

श्री माधोसिंह : ठेकेदार से वसूल करने का प्रश्न खड़ा नहीं होता। रास्ता आवागमन के लिये बनाया गया है, वहां से प्रधान मंत्री की कार निकली, और लोग भी जाते हैं। प्रधान मंत्री वहां का दौरा अच्छी तरह कर लें यह देखना हर सरकार का कर्त्तव्य है, इसमें कोई हमने गलत काम नहीं किया।

श्री बालसिंह सोढ़ा : काम तो सही किया गया, लेकिन सरकार ने हजारों रुपया खर्च किया जिससे ठेकेदार को ठेके के काम में मदद मिली, तो वह पैसा ठेकेदार से क्यों नहीं वसूल किया जाये?

श्री माधोसिंह : ठेकेदार को कोई मदद नहीं मिली है, जनता को सुविधा मिली है और आपको भी सुविधा मिली है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर): इस सड़क का निर्माण कार्य किसी योजना के अन्तर्गत किया गया है या ऐट रेंडम किया गया है? इस सड़क का निर्माण आपकी किसी योजना में सम्मिलित था या केवल किसी को सुविधा देने के लिये किया गया, या डिफेंस मैजर्स के लिये बनाई गई, क्या पोजीशन है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इसी सड़क से सम्बंधित प्रश्न है। मंत्री महोदय को यह तो जानकारी होनी चाहिये कि यह सड़क बनी कैसे? मैं तो चाहता हूं कि प्रधान मंत्री और मुख्य मंत्री अन्य सड़कों पर से भी इसी तरह गुजरें तो कम से कम इसी बहाने सड़कें तो बनें।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर): अध्यक्ष महोदय, यह जो सड़क बनी है उसका कितना कार्य बाकी है?

श्री माधोसिंह : काफी कार्य हो चुका है। बीस मील का कार्य रहता है। कार्य प्रगति पर है।

Page No 6

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : किस प्रकार की प्रगति पर है ?

श्री माधोसिंह : मेटल्ड हो चुकी है करीब करीब।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : प्रधान मंत्री महोदया के आने के सम्बन्ध में खास बन्दोबस्त होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि यह जो सड़क आपने ठेकेदार को दी है, क्या उसी सड़क से होकर प्रधान मंत्री की कार पास हुई थी ?

श्री माधोसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सड़क इसी लिये जल्दी तैयार कराई गई ताकि प्रधान मंत्री वहां आकर वहां की जनता की दिक्कतें देख सकें और भारत सरकार से राज्य सरकार को अकाल सहायता के लिये काफी एड मिले। ठेकेदार को ठेका दिया है, वह तो अपने हिसाब से काम करता और हमें जल्दी थी। तो जनता की सुविधा के लिये जल्दी यह सड़क तैयार करवाई गई।

श्री बालसिंह सोढ़ा : क्या प्रधान मंत्री के आने से इस ठेकेदार को फायदा हुआ या नहीं ?

श्री माधोसिंह : कोई फायदा नहीं हुआ। जनता को फायदा हुआ है।

श्री विजयसिंह (मकराना): क्या यह सही है कि मंत्री महोदय भी इस सड़क से गुजरे और इससे वह सड़क जम गई, और इससे भी ठेकेदार को फायदा हुआ है ?

श्री अध्यक्ष: नेक्स्ट।

जयपुर की कच्ची बस्तियों का विकास

61. **श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल** (जोहरी बाजार, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) दिनांक 16-9-68 को जयपुर नगर की कच्ची बस्तियों के विकास के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य के पश्चात अब तक इस दिशा में क्या प्रगति हुई है ?

(2) जयपुर शहर में किन किन बस्तियों का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है और उनमें कितने कितने प्राणी निवास करते हैं ? इसकी एक तालिका विधान सभा क्षेत्रानुसार सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(3) 1952 और 1957 के बीच बसे हुए लोगों में से कितनों को भू-खण्ड आवंटित किये गये हैं ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखा भाई): (1) दिनांक 16-9-68 के पश्चात राज्य सरकार द्वारा विभिन्न कच्ची बस्तियों के निबटारे हेतु समिति का गठन किया गया है तथा नाहरी का नाका, बडोदिया एवं गंगा टाकीज की कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण होने के पश्चात उनका प्रकाशन सार्वजनिक सूचनार्थ किया जा चुका है एवं इन बस्तियों के प्रति ऐतराज भी न्यास को प्राप्त हुए हैं जो समिति से निर्णय होने हैं।

(2) सर्वेक्षण की गई बस्तियों की सूची, मय निवास करने वाले प्राणियों की तालिका, सदन की मेज पर रख दी गई है। यह सूची विधान सभा क्षेत्रानुसार न होकर कच्ची बस्तियों के स्थानानुसार है।

(3) अभी तक किसी को आवंटित नहीं किये गये।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जयपुर शहर में कौनसी कच्ची बस्तियों का सर्वे अभी तक नहीं हुआ है?

श्री भीखा भाई : मेरी सूचना के अनुसार 63 कच्ची बस्तियों का सर्वेक्षण हो चुका है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : यह जो सूची आपने रखी है उसमें नम्बर 9 पर जो गंगा टाकीज के पीछे वाली कच्ची बस्ती है, जिसके बारे में मैंने पिछली बार भी सदन में सवाल उठाया था और जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र में आती है, उसके सम्बन्ध में कृपया बतायें कि इस कच्ची बस्ती में कितने परिवार निवास करते हैं अथवा उनकी कितनी जन संख्या है। मैंने सूची विधान सभा क्षत्रानुसार मांगी थी लेकिन आप ने वह नहीं दी है। तो कम से कम इतना बतावें कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर जो कच्ची बस्तियां आती हैं, उनके अन्दर कितने परिवार रहते हैं अथवा उनकी कितनी जन-संख्या है।

जन-संख्या उसमें नहीं है—जन-संख्या भी नहीं, परिवारों की संख्या भी नहीं है। मैं ऐसी सूची का क्या करूं? अध्यक्ष महोदय, विशेष सूची जिसमें मेरी दिलचस्पी थी और जो जानकारी मैंने चाही थी वही इसमें अंकित नहीं तो मैं क्या करूं इस सूची का?

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ): क्या मंत्री महोदय यह......

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर। एक प्रश्न तय हो रहा है। इसमें यह सूचना नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : नहीं है, अध्यक्ष महोदय।

श्री भीखाभाई : कई स्कीम्स हैं, अब ये कौनसी स्कीम है। मुझे इसकी जानकारी करनी पड़ेगी। नाहरी का नाका, गंगा टाकीज, अब ये कौनसी स्कीम बताई, इसको मैं देख लूंगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं तो केवल नं० 9 के विषय में पूछ रहा हूं, पृष्ठ 1 पर है।

श्री भीखाभाई : मेरे पास जो सूचना थी वह देदी।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : वह नहीं है। इसमें आपने 16 सितम्बर, 1968 को राजस्थान विधान सभा में एक वक्तव्य दिया था और यह आश्वासन दिया था कि 1957 से बसे हुये उन लोगों को जो कच्ची बस्तियों में निवास करते हैं उनको तीन महीने के अन्दर अन्दर प्लॉट एलॉट कर दिये जायेंगे, भू-खण्ड आवन्टन कर दिये जायेंगे। यह आपका वक्तव्य है। समाचार पत्रों में छपा है। उस 16 सितम्बर से आज तक तीन महीने से अधिक हो गये 6 महीनों में एक भी प्लॉट इन कच्ची बस्तियों में रहने वालों को एलॉट नहीं किया गया।

श्री भीखा भाई : मैंने निवेदन किया कि जो वक्तव्य दिया था उसके अनुसार यह तय किया था कि कच्ची बस्तियों के लिये एक्सपेरिमेन्टल तरीके पर एक कमेटी के द्वारा फैसला कराया जाय चूंकि आप कहते सरकारी मशीनरी ठीक काम नहीं करती है तो हमने एक कमेटी बना दी जो सूचारु रूप से इस कार्य को देखे। हमने तीन बस्तियों को लिया था इनका रिहेबिलिटेशन हो जाता तो आगे उसी एक्सपेरिमेंट को चलाने का तय किया था इसलिये कमेटी का गठन किया गया था। इसमें आब्जेक्शन इनवाइट किये गये, 12-9-68 को किये गये थे इसकी अवधि पूरी हो चुकी है। एक बस्ती का आब्जेक्शन भी आ गया है

(श्री भीखाभाई)
अब कमेटी निर्णय करेगी। तीन महीने में यह कमेटी शीघ्रातिशीघ्र यह काम कर सकती है तो दूसरी जगह इस तरह की कमेटी का निर्माण किया जायेगा । इस तरह का आश्वासन दिया था।

श्री मूलचन्द डागा (पाली): जयपुर के अलावा जो कच्ची बस्तियां राजस्थान में और हैं उनके लिये सरकार के पास क्या योजना है?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री श्रवण लाल (हिन्डौन सु.): माननीय मंत्री महोदय क्या यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने जिस प्रकार का वक्तव्य दिया, आज 6 महीने का पीरियड गुजरने पर आपने कितने प्लाट्स के एलॉटमेंट किये हैं?

श्री अध्यक्ष: वह तो इन्होंने (मंत्री महोदय ने) दे दिया।

श्री मदन सिंह: क्या मंत्री महोदय ने सभी कच्ची बस्तियों का निरीक्षण किया है?

श्री भीखाभाई : मैंने यह कब कहा निरीक्षण किया है, मैंने तो कहा है सर्वे कराया गया है। मैंने यह नहीं कहा।

श्री मदन सिंह : तो फिर आप खुद पधार कर देखें, क्या वहां मनुष्य रहते हैं? रहते हैं, तो कितने?

श्री मूलचन्द डागा : देवता रहते हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 62।

भरतपर में उप-संचालक, कृषि विभाग का कार्यालय

62. **श्री मत्थीसिंह** (भरतपुर): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि भरतपुर से उप-संचालक (डिप्टी डायरेक्टर) कृषि विभाग के कार्यालय को हटा कर जयपुर ले आया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि भरतपुर में पहले संचालक, कृषि विभाग का कार्यालय था और जब उसे वहां से हटाया गया तो यह स्पष्ट आदेश थे कि वहां पर उप-संचालक का कार्यालय रहेगा? यदि हां, तो उक्त आदेशों की अवहेलना का क्या कारण है?

(3) क्या यही सही है कि उक्त कार्यालय को दीवाली की छुट्टियों में यकायक भरतपुर से स्थानान्तरित किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि भरतपुर से जयपुर ला कर उक्त कार्यालय को स्थापित करने में प्रति वर्ष इस कार्यालय पर अधिक भार पड़ेगा? यदि हां, तो कितना और किन किन मदों में?

(5) क्या यह सही है कि अन्य जिलों में आज भी विभागीय अध्यक्षों तक के और उप-संचालकों (उपाध्यक्ष) के कार्यालय कार्य कर रहे हैं? यदि हां, तो भरतपुर के साथ ही यह नीति क्यों बरती गई?

उप-मंत्री, कृषि (श्री हरिसिंह): (1) जी हां। इस लिये कि अजमेर खंड के उप-संचालक का मुख्यालय भरतपुर होने के कारण असुविधा थी। अजमेर खंड में निम्न 7 जिले पड़ते हैं—भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, सीकर, झुंझुनूं, अजमेर और जयपुर। इन जिलों के कार्यक्रम सुचारु रूप

(श्री हरि सिंह)

से देख-रेख रखने के लिये उप-संचालक, कृषि का कार्यालय जयपुर रखना आवश्यक महसूस किया गया क्योंकि जयपुर केन्द्र में स्थित है।

(2) जी हां। जिस समय राजस्थान का निर्माण हुआ था—चूंकि जयपुर में संचालक, कृषि विभाग के कार्यालय के वास्ते स्थान उपलब्ध नहीं था उनका कार्यालय कुछ समय तक भरतपुर ही रखा गया, परन्तु संचालक महोदय स्वयं जयपुर ही रहते थे। इसके उपरान्त ज्योंहि भवन की व्यवस्था उपलब्ध हो गई, नवम्बर 1952 में संचालक, कृषि विभाग के कार्यालय को भरतपुर से जयपुर ले आया गया और भरतपुर में कृषि उप-संचालक के कार्यालय को नहीं रखा गया था और न ही कोई आदेश इस प्रकार के जारी किये गये थे। सन् 1954 में जब रीजनल सेट-अप स्थापित किया गया उस समय उप-संचालक कृषि, अजमेर खंड का मुख्यालय भरतपुर रखा गया। इसलिये किसी आदेश की अवहेलना नहीं की गई।

(3) दीवाली की छुट्टियों में नहीं बल्कि दीवाली की छुट्टियों के बाद स्थानान्तरित किया गया।

(4) भरतपुर से जयपुर उप-संचालक, कृषि के कार्यालय को लाकर सिर्फ भवन के किराये का भार पड़ेगा परन्तु उसके मुकाबले में यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता में काफी बचत होगी। क्योंकि उप-संचालक महोदय और उनके अन्य अधिकारियों को शेष भरतपुर के अलावा बाकी सब जिलों की देख-रेख के लिये एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचने में समय काफी व्यर्थ व्यतीत होता था और खर्चा लगता था। इसके उपरान्त प्रशासनिक दृष्टि से उप-संचालक का कार्यालय ऐसे स्थान पर होना आवश्यक है जहां से बाकी समस्त जिलों की देख-रेख आसानी से की जा सकती हो।

(5) कृषि विभाग के अन्य उप। संयुक्त संचालकों के कार्यालय ऐसे जिलों में ही स्थापित हैं जहां से पूरे खण्ड की देख-रेख आसानी से की जा सके। जैसे उदयपुर खण्ड का उदयपुर में, जोधपुर खण्ड का जोधपुर में और श्री गंगानगर-बीकानेर का श्री गंगानगर में।

भरतपुर में जिला कृषि अधिकारी का कार्यालय अभी भी कायम है जिसके साथ निम्न कार्यालय भी अटेच्ड हैं:–

(1) जिला भू-संरक्षण अधिकारी (2) बीज विकास अधिकारी (3) सहायक पौध संरक्षण अधिकारी और (4) सहायक एग्रोनोमिस्ट जो कि अन्य जिलों में भी है। उप-संचालक, कृषि के कार्यालय को भरतपुर रखने से भरतपुर को कोई विशेष लाभ होता हो ऐसी बात नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : क्या यह सही है कि जिस वक्त भरतपुर में संचालक, कृषि विभाग का दफ्तर रखा था वह इसी दृष्टि से रखा था कि विभिन्न रियासतों के हैड क्वार्टर पर किसी तरह से उनकी विकास में बाधा न आये इसलिये विभिन्न रियासतों के हैड क्वार्टर पर मुख्य कार्यालय रखे थे। यह बात नहीं है कि भवन नहीं है बल्कि इस दृष्टिकोण से पुरानी रियासतों पर अध्यक्षों के कार्यालय रखे जायें इसलिये रखे थे, नं० 1, और नं० 2 जब इसको हटाया गया था तो यह तय हुआ था कि यहां पर उप-संचालक का निश्चित रूप से कार्यालय रखा जायगा।

राव श्री हरिसिंह : आप जैसा कह रहे हैं....

श्री रामकिशन (वैर) : आप तो उस एग्रीमेंट में एक पार्टी थे इसलिये कह दीजिये।

कृषि मंत्री (श्री शोभा राम) : माननीय सदस्य की सूचना के लिये मैं बता दूं, राजस्थान जब बना तब इरिगेशन का दफ्तर अलवर में था और एग्रीकल्चर का दफ्तर भरतपुर में था। बाद में राजस्थान सरकार ने यह तय किया कि जो राज्य के दफ्तर जिला हैड क्वार्टर पर लाये गये वे बाद में हटा दिये गये। दूसरी बात यह कही गई कि डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर का दफ्तर वहां से हटाया गया उस वक्त इस तरह के ऑर्डर्स हुए थे कि उप-संचालक महोदय का दफ्तर वहां से नहीं हटाया जाय। इस प्रकार के ऑर्डर्स नहीं हैं, फिर भी हम उनकी भावना की कद्र करते हैं। तीसरे भरतपुर से झुंझुनूं, सीकर अजमेर आदि जगह जाने में उनको 5-7 दिन हर महीने में दौरे में फालतू खर्च करने पड़ते थे और हमारे पास तीन ऑफिसर एग्रीकल्चर प्लान्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर, शीप डेवलपमेंट ऑफिसर और एक अधिकारी डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर ऑफिसर के अटेच्ड थे उनके लिये एकोमोडेशन की किल्लत थी इसलिये यह दफ्तर यहां लाया गया। यहां आने से 7 दिन जो दौरे में खर्च होते थे उनकी बचत हुई है और दूसरे यात्रा भत्ता में दो हजार रु० साल की बचत होगी। यह ठीक है कि यहां पर किराये का मकान दिया गया है लेकिन उसकी एवज में तीन ऑफिसर्स एग्रीकल्चर प्लान्ट प्रोटेक्शन ऑफिसर, शीप डेवलपमेंट ऑफिसर आदि वहां रहते तो उनके लिये जो मकान वहां लेते उसमें भी कम खर्चा नहीं आता। मैं समझता हूं यह निर्णय ऐडमिनिस्ट्रेटिव पाइन्ट से लिया गया है। आप देखेंगे कि उदयपुर, जोधपुर आदि में जितने हैड क्वार्टर्स हैं वहां पर उप-संचालक के दफ्तर रखे गये हैं। एक बात और बतानी है जो भरतपुर में कृषि निदेशक का दफ्तर रखा था पहले वह यहां शिफ्ट होकर आया। डिप्टी डायरेक्टर का दफ्तर यह उससे अटेच्ड होता है और आम तौर से केपिटल में डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर के साथ अटेच्ड होता है, यह अब तक अटेच्ड नहीं था इसलिये जयपुर शहर में आना पड़ता था। बिल्कुल प्रशासनिक दृष्टि से इसका दफ्तर ट्रान्सफर किया गया है। इसमें मैं समझता हूं रुपयों की जो हानि बताई गई है वह हानि नहीं है। तीन मकान और किराये पर लेने पड़ते, 5-7 दिन अधिकारियों के दौरे के ज्यादा खर्च होते थे, वह उनके अतिरिक्त खर्च होते थे वह भी बच जायेंगे। वे पांच-छः दिन अधिक बैठ कर काम कर सकेंगे। इस नुक्ते नजर से यह किया है।

श्री नत्थीसिंह : मैं जानना चाहूंगा कि क्या यह सही नहीं है कि तीन अफसरों के लिये भरतपुर में रहने के लिये कोई किराये का मकान लेने की आवश्यकता नहीं थी, वहां सरकारी मकान में ही वे रह रहे थे, और जयपुर आने पर उनके लिये किराये का मकान लेना पड़ेगा।

दूसरा यह कि टी. ए., डी. ए. का जो प्रावधान है आपके बजट में उससे कहीं अधिक रुपया उनके मकान किराये पर जयपुर में आपको खर्च करना पड़ेगा। इसके अलावा जो सिटी एलाउन्स भरतपुर में नहीं देना पड़ रहा था, वह जयपुर में देना पड़ेगा। तो इससे खर्चे में बचत कहां हुई? बढ़ोतरी ही हुई इससे तो उल्टी, जिस लॉजिक पर आप वहां से हटाने की बात को जस्टिफाई करना चाह रहे हो।

श्री शोभाराम : अफसरों की शिकायतें आ रही थीं कि वहां रहने की जगह उपयुक्त

(श्री शोभाराम)
नहीं है। दफ्तर का काम सुचारु रूप से चलाने के लिये वह ठीक नहीं समझा।

श्री नत्थीसिंह : वहां तो क्वार्टर बने हुए हैं। वे खाली पड़े हैं। आपका अलवर वाला मकान ठीक न हो तो आप आ सकते हैं उन में तो। रहा सवाल उपयुक्त अनुपयुक्त का, आज ही वह अनुपयुक्त हो गया। इतने दिनों नहीं हुआ, फिर अगर चाहते आप तो उसे ही उपयुक्त बना सकते थे और वह भी यहां के मकान किराये पर लेने से तो सस्ता ही रहता। आप तो कल्पना में चले गये। वस्तु स्थिति को नहीं देखा।

खैर। पर जोइन्ट डाइरेक्टर को तो वहां रख सकते थे। फिर इसका तो रीजनल काम है। जोधपुर बीकानेर और उदयपुर में भी तो डाइरेक्टर के दफ्तर हैं, फिर वहां आपको ऐतराज क्यों नहीं है ?

आप कहते हैं रामनारायणजी को खुश करने के लिये सीकर झुंझुनूं नजदीक होना चाहिये, तो यहां से फिर भी क्या उनको भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर आदि जगह नहीं जाना पड़ेगा क्या ? मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि आपने सूचना गलत दी है।

मैं मन्त्री महोदय से एक और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने यह गलत सूचना दी कि आपने दिवाली की छुट्टियों में वहां से दफ्तर नहीं हटाये। आपने निश्चित रूप से दिवाली की छुट्टियों में दफ्तर वहां से हटाये हैं। मैंने स्वयं ने आपको टेलीफोन किया था। आप अलवर में थे तो अलवर में सम्पर्क स्थापित किया और कहा था कि दिवाली के दिनों में क्यों हटा रहे हैं। मैं तो समझता था कि आप मत्स्य का दृष्टिकोण लेकर अब भी चल रहे होंगे। पर आपने तो मत्स्य में से भरतपुर को निकाल दिया है, यह नीति बनाली है ऐसा लगता है आपने, आज भी कई पुरानी रियासतों की राजधानियों में जो आज जिला हैड क्वार्टर्स हैं भिन्न भिन्न विभागाध्यक्षों के हैड क्वार्टर्स कायम हैं। फिर यह भरतपुर के साथ ही सौतेला बरताव क्यों ?

श्री शोभाराम : भरतपुर का हमेशा ध्यान रखा गया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : आपने भरतपुर का बहुत ध्यान रक्खा। एक तो पोलीटैकनिक के बारे में रक्खा, एस० डी० ओ० की ट्रेनिंग सेन्टर का रक्खा, भरतपुर कॉलेज में एम० ए० की क्लासों के बारे में रक्खा रूपारेल के पानी को आप उजाड़ रहे हैं। आपने अपनी हैसियत को बिगाड़ा है, मत्स्य की हैसियत से आप छोटी हैसियत में आ गये हैं। अपनी कान्स्टीट्यूएन्सी की हैसियत में आ गये हैं।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछ लिया गया है। भाषण न दें।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ये दफ्तर तो सभी वहां से उठा लिये गये हैं, मैं मुख्य मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि डिप्टी रजिस्ट्रार कोआपरेटिव के दफ्तर के बारे में भी सुन रहे हैं कि वह भी वहां से जावेगा तो क्या वे वहां कोई दफ्तर रखना चाहते भी हैं या नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : अलवर में कितना ही आप कुछ करें, जयकिशनजी आपको अलवर में नहीं जमने देंगे।

Page No 12

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं मुख्य मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि क्या वे अपनी पुरानी पॉलिसी पर कायम हैं या हट गये हैं कि पुरानी राज्यों की राजधानियों को उजड़ने से बचाने के लिये वहां कोई न कोई विभागाध्यक्ष का कार्यालय रखेंगे उस पर आज भी कायम हैं। अगर नहीं कायम हैं तो क्या भरतपुर को उजाड़ने की आपने अपनी स्कीम चालू कर दी है क्या ?

श्री मोहनलाल सुखाडिया : मैं समझता हूं माननीय मन्त्रीजी ने काफी विस्तार से जवाब दे दिया है कि उसमें कुछ एड करने की जरूरत नहीं है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भरतपुर और अलवर में पुराना संबंध है । मत्स्य में जब सवाल आया था राजधानी का तो हम ही थे जिन्होंने राजीखुशी से कह दिया था कि अलवर में ले जाओ । क्या आज आप उन अहसानों को भूल गये ?

श्री रामकिशन : आज मुख्य मन्त्रीजी के केन्डीडेट बढ़ गये । मैं एक जानकारी चाहूंगा आपने दलील दी कि सात दिन के समय की बात होगी । क्या आप यह नहीं जानते कि अफसर आज किस तरह से काम करता है । सात दिन दौरे की बचत नहीं होगी, सात दिन उनको सिनेमा देखने का टाइम मिल जावेगा। सब जानते हैं आज दफ्तरों में किस तरह से कौनसा काम होता है । तो इफीसियेन्सी आ जावेगी, समय बचेगा, यह आपका खयाल कतई गलत है । वहां आज दफ्तरों में कोई काम नहीं है । यह तो कोरा आपका खयाल है ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अध्यक्ष महोदय, भूतपूर्व राजधानियों के संबंध में या क्षेत्रीय भावना के संबंध में एक हद्द तक शायद मेरी सहानुभूति हो सकती है, पर यह प्रश्न गौण है । मैं प्राथमिकता तो उसको दूंगा कि जैसा मन्त्री महोदय ने कहा कि प्रशासनिक व्यवस्था को मद्देनजर रखते हुए मितव्ययिता की तरफ ध्यान देकर यह कदम उठाया गया । तो यह कैसे जस्टिफाई करते हैं । मेरी तो समझ में नहीं आया ।

श्री शोभाराम : जैसा मैंने अर्ज किया जयपुर में रहने से सीकर झुझुनूं जाने में सहूलियत रहेगी, भरतपुर में रहते हुए यहां जाना पड़ता था तो लम्बे दिन रहना पड़ता था । ज्यादा समय खर्च होता था ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : हाई कोर्ट जोधपुर रखने से उससे भी अधिक खर्चा और समय बरबाद होता है, जबकि यहां तो खर्चे की बात भी आपकी तथ्य पर आश्रित नहीं है बीकानेर में शिक्षा विभाग रखा, एक कोने में जाकर, वहां क्या दलील है आपकी, उदयपुर में माइन्स और जीओलोजी का विभाग रखा तो वहां खर्चा और समय नहीं लगता ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं यह अनुभव करता हूं कि मकानात वगैरह भरतपुर में मौजूद हैं, जयपुर में प्रशासनिक रूप से कुछ सीमा तक जस्टिफिकेशन हो सकता है पर हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है, दिवालिया सरकार है । जयपुर में कोई मकान की व्यवस्था नहीं है । हजारों रुपया मकानों के लिए खर्च करके नये मकान बनाने होंगे या ऊंची रेट पर किराया देना होगा । वहां पर बने बनाये मकान हैं। तो मितव्ययिता भी इफीसियेन्ट एडमिनिस्ट्रेशन का एक महत्वपूर्ण अंग है । मेरे ख्याल से इस दृष्टि से इस अदूरदर्शी सरकार ने विचार नहीं किया । अब विचार करें तो अच्छा है ।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ।

विदेशी पर्यटकों के ठहरने की व्यवस्था

63. **श्री केशरीसिंह हाडा** (हिन्डोली) : क्या पर्यटन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में कहां कहां विदेशी पर्यटकों के ठहरने की क्या क्या व्यवस्था है और राज्य में हर साल कितने पर्यटक आते हैं ?

(2) छोटी हैसियत के विदेशी पर्यटकों के ठहरने के लिये क्या अलग से व्यवस्था है ? यदि हां, तो कहां कहां, क्या किराया लिया जाता है ?

(3) क्या पर्यटन विभाग के अपने प्रमाणित गाइड हैं ? अगर हां, तो वे विदेशी पर्यटकों से किसी प्रकार की कोई फीस आदि लेते हैं या सरकार की ओर से इस कार्य के लिये नियुक्त हैं ?

(4) पर्यटकों के लिये अलग से मोटरों की व्यवस्था क्या है ?

(5) पर्यटन पर सरकार वार्षिक कितना खर्चा करती है, और कितनी विदेशी मुद्रा कमाती है ?

राज्य मंत्री, पर्यटन विभाग (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) विदेशी पर्यटकों के ठहरने के लिये राजस्थान में विभिन्न स्थानों पर व्यवस्था है जिसकी विस्तृत जानकारी संलग्न तालिका 'क' पर उपलब्ध है । इनमें देशी पर्यटक भी ठहर सकते हैं । राजस्थान में हर साल आये पर्यटकों की संख्या की जानकारी संलग्न तालिका 'ख' में उपलब्ध की गई है ।

(2) सरकार द्वारा विभिन्न स्थानों पर विश्राम गृह बनवाये हैं जिनमें अधिकतर छोटी हैसियत के विदेशी पर्यटक ठहरते हैं । इन विश्राम गृहों के संबंध में विस्तृत जानकारी एवं किराये की दर संलग्न तालिका 'क' में उपलब्ध की गई है ।

(3) राजस्थान सरकार द्वारा प्रमाणित गाइड व्यवस्था है । ये गाइड जयपुर व उदयपुर में निश्चित फीस पर तैनात हैं जिनकी जानकारी संलग्न तालिका 'ग' में उपलब्ध है । इसी प्रकार विदेशी पर्यटकों के लिये भारत सरकार द्वारा प्रमाणित गाइड व्यवस्था है जिसके अनुक्रम में गाइड उपलब्ध किये गये हैं और उनकी फीस भी निर्णित है जिसका व्यौरा संलग्न तालिका 'घ' में उपलब्ध है ।

(4) पर्यटकों के लिये सरकार द्वारा 5 बड़ी गाड़ियां उपलब्ध की गई हैं इनमें से 4 गाड़ियां जयपुर में व एक गाड़ी उदयपुर में उपलब्ध रहती हैं । और मांग प्रस्तुत होने पर पर्यटकों की ड्यूटी पर जाती हैं । इसके अतिरिक्त कुछ टूरिस्ट टैक्सीज (204) भी (आर०जे०टी०आर०) पर्यटकों के लिये विभिन्न स्थानों पर उपलब्ध हैं ।

(5) पर्यटन क्षेत्र के अन्तर्गत राज्य एवं केन्द्रीय संचालित विभिन्न योजनाओं की कार्यान्विति पर वित्तीय वर्ष 1965 66 से 1968-69 में हुए व्यय

का ब्यौरा निम्न प्रकार है :–
(श्री हीरालाल देवपुरा)

वित्तीय वर्ष	राज्य योजनाओं का व्यय (लाख रुपयों में)	केन्द्रीय संचालित योजनाओं का व्यय (लाख रुपयों में)	कुल जोड़	अर्जित विदेशी मुद्रा (अनुमानित) लाखों में
1965-66	4.05	5.17	9.22	50.40
1966-67	1 33	1.22	2.55	56.00
1967-68	4.78	1.54	6.32	60.00
1968 69 (दिसम्बर 68 तक)	1.17	..	1.17	63.00
	11.33	7.93	19.26	229.40

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई) ।

श्री केशरीसिंह हाडा (हिन्डोली) **:** जो आपने टूरिस्ट्स बंगलों के अन्दर निर्धारित किराया रखा हुआ है उसमें बाहर के पर्यटकों को कितने दिन ठहरने दिया जाता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : बाहर के पर्यटक दो-तीन दिन ठहरते हैं और ऐसी शिकायत कोई नहीं आई कि किसी ने यह कहा हो कि ज्यादा समय हो गया है इसलिए वहां से निकाल दिया गया हो ।

श्री केशरीसिंह हाडा : आपने कोई निर्धारित समय रखा है कि कितने दिन तक ठहर सकते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : आम तौर से 3 दिन निर्धारित हैं और अगर इससे ज्यादा कोई ठहरना चाहता है तो उसके लिए विशेष इजाजत ली जा सकती है

श्री केशरीसिंह हाडा : क्या यह सत्य नहीं है कि जो मोटरें निर्धारित कर रखी हैं उनको स्वयं मंत्री जी अपने काम में लेते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में कई बार सदन में कहा जा चुका है कि उनका उपयोग आमतौर पर पर्यटकों द्वारा किया जाता है और जब जब भी उन्होंने चाहा है गाड़ियां उनके काम में आई हैं ।

श्री नत्थीसिंह : कभी कभी मंत्री जी भी पर्यटक हो सकते हैं ।

श्री केशरीसिंह हाडा : पर्यटकों की की मांग होते हुए क्या यह सत्य है कि यादव साहब ने मोटर अपने लिए अलग से ली ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है ।
नैक्स्ट, श्री मूलचन्द डागा

श्री मूलचन्द डागा : विदेशी और देशी पर्यटकों की सुविधाओं में फर्क है ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, प्रश्न संख्या 64-जन स्वास्थ्य मंत्री जवाब देंगे ।

ग्राम मांडवला की नल-योजना

64. **श्री मूलचन्द डागा** (पाली): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम मांडवला तहसील जालोर में नल-योजना करीब पांच साल से चालू है ?

(2) क्या यह बात सत्य है कि जल प्रदाय योजना का जो कुआ है वह ढह गया है और ग्राम मांडवला के पीने के पानी की समस्या मास दिसम्बर, 1968 में ही खड़ी

Page No 15

(श्री मूलचन्द डागा)
हो गई ? यदि हां, तो सरकार ने इस समस्या के निराकरण हेतु क्या कदम उठाये ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा): (1) जी हां फरवरी 65 से।

(2) जी नहीं कुआ ढहा नहीं है कुए में पानी की आवक क्षमता बहुत ही कम होने के कारण पानी की समस्या खड़ी हो गई है इस समस्या के निराकरण हेतु कुए को और गहरा कराने हेतु अकाल सहायता विभाग से 10,000 रु० की धनराशि की मांग की है अभी तक स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

श्री मूलचन्द डागा : इस कुए से पानी जनता को मिलता था अब कब से वह कुआ काम नहीं कर रहा है ?

श्रीमती सुमित्रा : 23 जनवरी तक पानी मिला है। उसके बाद में उसमें कम पानी हो गया और 5 मिनट से ज्यादा मशीन चलती ही नहीं है।

श्री मूलचन्द डागा: 23 जनवरी से आज तक इस गांव को पानी की दुविधा है उसके लिए आप कितना समय लेना चाहते हैं और फेमीन के समय मेहरबानी करके कब तक पानी की व्यवस्था कर देंगे ?

श्रीमती सुमित्रा : माननीय सदस्यों को गलतफहमी है। ऐसा है कि पंचायतों की जो स्कीम होती है वह स्कीम राज्य सरकार बना करके उनके बिहाफ पर चलाती तो अवश्य हैं लेकिन उनके मेन्टीनेन्स करने की जिम्मेदारी पंचायतों की होती है। इसलिये पंचायत वाले भी इन कठिनाइयों में स्वयं आगे आकर पंचायत की तरफ से इस काम को कर सकते थे लेकिन फिर भी हमने लोगों की तकलीफों को महसूस करके अकाल सहायता विभाग से 10,000 रु० की मांग की है जिसकी स्वीकृति आने पर काम शुरू हो जायेगा।

श्री विजयसिंह (मकराना) : मशीन कब तक ठीक हो जायेगी और पानी कब तक मिल जायेगा ?

(कोई उत्तर नहीं दिया गया)

कोटा जिले से मुख्य मंत्री सहायता कोष के लिए एकत्रित राशि

65. **श्री कृष्णकुमार गोयल** (कोटा): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्ष 1968-69 में कोटा नगर व जिले में अकाल सहायता हेतु कितनी रकम किस किस के द्वारा मुख्य मंत्री सहायता कोष में जमा की गई ?

(2) किन किन संस्थाओं द्वारा मुख्य मंत्री सहायता कोष में कितनी कितनी रकम जमा करवाने की कब कब घोषणा की गई थी और उनमें से कितनों ने कब कब कितनी कितनी जमा की ?

(3) क्या यह सही है कि इस हेतु कुछ संस्थाओं को सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जाने पर मनोरंजन कर से मुक्त किया गया था ? अगर हां, तो किन किन को ?

(4) क्या यह सही है कि कुछ संस्थाओं में उक्त रकम बकाया निकल रही है ? अगर हां, तो किन किन में कितनी कितनी ?

उप-मंत्री (श्री प्रद्युम्नसिंह) : अध्यक्ष महोदय, इस संबंध में अभी तक पूरी सूचना प्राप्त नहीं हो सकी है इसलिये इसको स्थगित कर दिया जाये।

श्री कृष्ण कुमार गोयल : अध्यक्ष महोदय, मैं इस संबंध में निवेदन करना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री सहायता कोष में एकत्रित धनराशि के संबंध में मैंने कोई सारे राजस्थान के आंकड़े नहीं मांगे हैं बल्कि एक जिले के ही मांगे हैं और मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को सूचना देना चाहूंगा कि कुछ संस्थाओं ने जो इस सहायता कोष के निमित्त पैसा इकट्ठा किया उसके लिए एन्टरटेनमेन्ट टैक्स माफ किया गया, वह पैसा आज तक उनके पास पड़ा है और उन्होंने कलेक्टर के बारबार याद दिलाने के बाद आज तक पैसा जमा नहीं किया और इस संबंध में मैं एक पत्र का हवाला देना चाहूंगा ताकि आप उसकी लाइट में भी जानकारी करके उत्तर दें। यह पत्र है कलेक्टर का और सेक्रेटरी नगर कांग्रेस कमेटी कोटा के नाम है। यह 1-1-69 का पत्र है। इसमें लिखा है :

> "लिये जाने वाला चन्दा अकाल सहायता हेतु"
>
> आपका ध्यान कार्यालय के उपरोक्त पत्र की ओर आकर्षित कर लेख है कि आपने अभी तक अकाल पीड़ितों की सहायता हेतु जमाशुदा रकम की सूचना इस कार्यालय को नहीं भेजी है। कृपया जमाशुदा रकम की सूचना शीघ्र भेजें।"

तो इस प्रकार से जो मुख्य मंत्री सहायता कोष में पैसा इकट्ठा किया गया है और जिनके पास पैसा है वह उन्होंने रख रखा है और आज तक जमा नहीं कराया इसलिए मैं चाहूंगा कि इस प्रश्न का उत्तर इस लाइट में दिया जाये।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री रामनारायण चौधरी।

मलसीसर में हरिजनों की गिरफ्तारी

66. **श्री रामनारायण चौधरी** (मंडावा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि अभी हाल ही में पुलिस स्टेशन मलसीसर, जिला झुंझुनू ने मलसीसर के 9 हरिजनों को धारा 151 सी० आर० पी० सी० में नाजायज तरीके से गिरफतार किया ?

(2) क्या यह सही है कि इस मामले की शिकायत स्थानीय पंचायत के सरपंच श्री हरिराम शर्मा ने जिला सुपरिन्टेन्डेन्ट और जिलाधीश झुंझुनू को समय पर ही कर दी थी परन्तु एस० पी० झुंझुनू द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई बल्कि प्राप्त रिपोर्ट उसी एस० एच० ओ० के पास जांच हेतु भेज दी गई ?

(3) क्या यह सही है कि जिलाधीश, झुंझुनू को जो शिकायत सरपंच ने प्रस्तुत की थी उसकी जांच उप-जिला विकास अधिकारी, झुंझुनू द्वारा की गई और जिलाधीश झुंझुनू ने सम्बन्धित पुलिस अधिकारी को दोषी पाया ? उसकी रिपोर्ट के विषय में एस०पी० झुंझुनू ने क्या कार्यवाही की ?

(4) क्या यह सही है कि गोचर भूमि में से जांटियों की लूंग को काटने के संबंध में कोई तनाजा था ? यदि हां, तो इस मामले की पुलिस में रिपोर्ट देने से कितने दिन पहले जांटियों की लूंग काटी जा चुकी थी ? जांटियों की लूंग काटने के विषय में किस खसरा नम्बर की जमीन के बारे में तनाजा था ?

(5) क्या इस मामले की शिकायत सरपंच श्री हरिराम शर्मा द्वारा राज्य सरकार को भी की गई थी ? यदि हां, तो उसमें क्या कार्यवाही की गई ?

Page No 17

राज्य मंत्री, गृह (श्री हीरालाल देवपुरा): (1) जी नहीं नाजायज तरीके पर गिरफ्तार नहीं किया गया बल्कि शांति भंग के मामले में दफा 151 जा० फो० के तहत गिरफ्तार किया गया है।

(2) इस मामले की शिकायत सरपंच ने दिनांक 4-12-68 को एस० पी० को दी थी जो० एस० पी० साहब ने थानाधिकारी के पास रिपोर्ट हेतु भेजी थी।

(3) जी हां, इस मामले में जिलाधीश ने विकास अधिकारी मलसीसर से जांच कराई थी। उसमें एस० आई० की कार्यवाही को गलत बताया गया था उसके पश्चात सी० ओ० द्वारा जांच कराई गई व सी० आई० डी० अधिकारी ने भी जांच की। इन जांचों से एस० आई० की कार्यवाही ठीक पाई गई। चूंकि जब यह रिपोर्ट्स आई तब मामला अदालत में जेर कार्यवाही था। अतः आगे कार्यवाही कोई की जाना सम्भव नहीं थी।

(4) आराजी नं० 302 मुतनाजा रिकार्ड के अनुसार गोचर दर्ज है। जाटियों की लूंग काटने के संबंध में खसरा नम्बर 300 का तनाजा था। इस खसरा नम्बर से 24-11-68 से 27-11-68 तक लूंग काटी गई थी।

(5) सरपंच द्वारा इस मामले की शिकायत राज्य सरकार को की गई है। जिसकी जांच अपराध अनुसंधान विभाग के उप-अधीक्षक ने की है, या 151 जा० फो० के तहत की गई कार्यवाही को न्यायसंगत माना है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि कलेक्टर ने लिखा है कि लूंग खसरा नम्बर 302 में से काटा गया था और 300 में से लूंग काटने का झूठा इल्जाम लगाया है तथा इसके अतिरिक्त जिस समय पुलिस ने गिरफ्तारी की कार्यवाही जा० फौ० में की उस समय घटना स्थल पर कोई शांति भंग होने का अंदेशा नहीं था।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने स्पष्ट कहा है कि कलेक्टर ने अपनी रिपोर्ट दी थी और कलेक्टर की रिपोर्ट पहुंचने पर उसके पश्चात जांच करवाई और क्रिमिनल ब्रांच से जांच करवाई और उसके आधार पर पाया गया कि वहां पर एस० आई० की कार्यवाही सही थी और जो कार्यवाही की गयी है वह ठीक की गयी है।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर द्वारा जांच की गयी और जांच में पाया गया कि पुलिस का इल्जाम झूठा है और शांति भंग होने का अन्देशा नहीं था। यह रिपोर्ट डिप्टी डी० डी० ओ० की रिपोर्ट पर आधारित थी। तो क्या पुलिस ने जो चालान पेश किये हैं 9 हरिजनों के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट के आधार पर सरकार विचार रखती है कि उनको विड्रा कर ले?

श्री हीरालाल देवपुरा : रिपोर्ट आने से पहले ही अदालत में कार्यवाही जेर तजवीज थी और वहां कार्यवाही प्रारम्भ हो चुकी थी इसलिए उसके आगे अब कोई कार्यवाही नहीं चल सकती।

श्री रामनारायण चौधरी : जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और कलेक्टर की रिपोर्ट में कहा गया है कि शांति भंग होने का अन्देशा नहीं था तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट

(श्री रामनारायण चौधरी)
की रिपोर्ट के आधार पर केसेज विथड्रा करने का सरकार इरादा नहीं रखती है अगर नहीं रखती तो क्यों?

श्री हीरालाल देवपुरा : डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने केसेज विथड्रा करने के लिए कोई राय नहीं दी।

श्री रामनारायण चौधरी: उन्होंने कहा है कि शांति भंग होने का अन्देशा नहीं है।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह कोई क्रिमिनल प्रासीजर में नहीं है। क्योंकि जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की रिपोर्ट आई उसके पहले ही यह अदालत में पेश किया जा चुका था उसके बाद भी और जांच करवाई गयी और पाया गया कि शांति भंग होने का अन्देशा नहीं था तो उस संबंध में कार्यवाही कोई करने की आवश्यकता ही नहीं है।

श्री दौलतराम सारण (डूंगरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है। निरपराध लोगों के खिलाफ नाजायज तरीके से पुलिस ने कार्यवाही की है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उनकी कार्यवाही नाजायज बताता है और मंत्री महोदय कहते हैं कि क्योंकि चालान कर दिया गया इसलिए आगे कार्यवाही का प्रश्न नहीं होता। जब केस का चालान नाजायज तरीके से किया गया है तो राज्य सरकार को चाहिए था कि उसको विथड्रा करे।

श्री अध्यक्ष : क्या नाजायज तरीके से चालान किया गया है?

श्री हीरालाल देवपुरा : जी नहीं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को गलतफहमी है....

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने लिखा है कि वहां पर कोई शांति भंग होने का अन्देशा नहीं था और पुलिस ने जो कार्यवाही की है वह झूठे इल्जाम लगाकर की है।

श्री दौलतराम सारण : शांति और व्यवस्था कायम करने का उत्तरदायित्व डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है और वह कहता है कि शांति भंग होने का अन्देशा था और उसके बाद में भी यह कहते हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या डी० एम० ने ऐसा लिखा है?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने निवेदन किया है कि डी० एम० ने विकास अधिकारी की रिपोर्ट पर एस० पी० को लिखा है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : वैसे तो 141 की कार्यवाही और 107 की कार्यवाही में कुछ नहीं होने वाला है लेकिन असूल का सवाल है कि वे हरिजन थे उनको गिरफ्तार कर लिया, उनकी पिटाई हो गई और इल्जाम लगाकर उनको रगड़ दिया गया, क्या अब वे गलती को करेक्ट करने की मोरल हिम्मत रखते हैं?

श्री अध्यक्ष : क्या मोरल हिम्मत रखते हैं?

श्री हीरालाल देवपुरा : हिम्मत है इससे कोई इन्कार नहीं कर सकता। यह मामला अदालत के सामने जेर तजवीज है इसलिए ऐसी स्थिति में हम बीच में कुछ नहीं कर सकते।

श्री मूलचन्द डागा : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि हरिजन भाई थे और ऐसा

(श्री मूलचन्द डागा)

कौन सा उपद्रव हो रहा था जिससे अशांति हो रही थी। आप यह बतायें कि किस की जान का खतरा था कि उसके लिए उनको गिरफ्तार करने की आवश्यकता थी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अगर मुझे फेक्ट्स रखने की इजाजत दी जाय तो मैं फेक्ट्स रख सकता हूं। माननीय सदस्य दूसरे जिले के रहने वाले हैं और दूसरे जिले का पूछा गया है।

श्री दौलतराम सारण : नोटिस का सवाल नहीं है। मंत्री महोदय से पूछा गया है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, प्रश्नकर्ता ।

श्री दौलतराम सारण : उसके हिसाब से कहना चाहते हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपको यही पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार का यह इरादा नहीं है कि इस केस को विथड्रा किया जाय ? यदि नहीं है तो क्यों ? यदि विथड्रा नहीं करती है तो क्या सरकार विचार रखती है कि हरिजनों के मामले में जितना खर्चा लगे वकील वगैरह का या आने जाने का वह सारा खर्चा सरकार बरदाश्त करे ?

श्री दामोदरलाल व्यास (गृह मंत्री) : इस मामले पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से विचार करके अगर कोई ब्रीच आफ पीस का अन्देशा नहीं होगा तो पुलिस इस मामले को परस्यू नहीं करेगी ।

(हियर हियर)

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री हरिवल्लभ शर्मा ।

सवाई माधोपुर में अस्पताल भवन का निर्माण कार्य

67. **श्री हरिवल्लभ शर्मा** (सवाई माधोपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि सवाई माधोपुर में 50 बेडेड अस्पताल (नं० 2) बनाने के लिए विभाग द्वारा मान टाउन एवं अध्ययन केन्द्र के पास के स्थान के लिये फरवरी सन् 67 में ही टेन्डर आमन्त्रित कर लिये गये थे ?

(2) क्या यह सही है कि तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रीजी ने अध्ययन केन्द्र के पास के स्थान पर अस्पताल बनाए जाने की मन्जूरी सार्वजनिक निर्माण विभाग को दी और इसलिए सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री जी द्वारा लोएस्ट टेन्डर्स स्वीकार कर लिए गए ? यदि हां, तो तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्रीजी ने यह स्थान किस तारीख को तय किया तथा टेन्डर्स किस तारीख को स्वीकार किये गये ? और किस ठेकेदार के ?

(3) क्या यह सही है कि टेन्डर्स स्वीकार हो जाने के पश्चात् भी यह काम राज्य सरकार द्वारा विभागीय तौर पर किया जा रहा है ? यदि ऐसा है, तो क्यों ?

(4) क्या अब राज्य सरकार द्वारा अध्ययन केन्द्र का भवन जो सरकार द्वारा शिक्षा विभाग के लिए निर्माण कराया गया था उसको काम में लेते हुए अस्पताल बना रही है ? यदि हां, तो इस शिक्षा विभाग की इमारत में राज्य सरकार का क्या व्यय हुआ और इस राशि को एवजाने के तौर पर किस काम में कहां काम लाया जायेगा ?

(5) क्या सरकार यह राशि सवाई माधोपुर की उच्चतर माध्यमिक शाला की वर्तमान इमारत के विस्तार में व्यय करने का इरादा रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण (श्री माधोसिंह) : (1) जी हां ।

(2) जगह का निर्णय राज्य सरकार के 11-3-68 के आदेश में दिया गया था तथा टेन्डर पर सरकार का अंतिम निर्णय 7-1-69 के आदेश द्वारा दिया गया जिसके अनुसार टेन्डर नामन्जूर कर दिये तथा कार्य विभागीय तौर पर कराने के आदेश दिए।

(3) जी हां । सरकार ने अधिकाधिक काम विभागीय तौर पर करने का निश्चय कर लिया था ।

(4) जी हां, 28,690) रु० की धनराशि खर्च हुई है। शिक्षा विभाग स्वास्थ्य विभाग से मुआवजा लेगा या नहीं, इस विभाग को जानकारी नहीं है ।

(5) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, सप्लीमेन्ट्री ।

कृपया यह बताने की कृपा करें कि जो प्रशासनिक स्वीकृति थी अस्पताल बनाने की वह कितने रुपये की थी ?

श्री माधोसिह : 5,95,000 रु० की।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : क्या एक्स० ई० एन० इस टेन्डर को मन्जूर कर सकते थे या नहीं ? मंत्री महोदय के पास क्यों आया ?

श्री माधोसिह : टेन्डर वे मन्जूर कर सकते थे लेकिन जब लोएस्ट टेन्डर मन्जूर नहीं करना हो तो उसकी अपील डिप्टी मिनिस्टर को सप्लाई होती है इसलिये मेरे पास आया।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : आपके पास आया तो उसको एप्रूव किया या नहीं ?

श्री माधोसिह : मैंने एफ० डी० की राय से इत्तफाक करके एप्रूव कर दिया था ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : फाइनेन्स डिपार्टमेंट की राय ली या नहीं ?

श्री माधोसिह : फाइनेन्स की राय लेना आवश्यक है ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : फाइनेन्स की राय किसके पक्ष में थी ?

श्री माधोसिह : फाइनेन्स डिपार्टमेंट की राय लोएस्ट टेन्डर के पक्ष में थी ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : तो यह बताने की कृपा कर कि फाइनली एप्रूव्ड होकर यह टेन्डर मन्जूर हुआ समझा जायगा ?

श्री माधोसिह : 1968 में फाइनेन्स ने जो अपनी राय दी उसके नीचे यह जाहिर किया है कि जहां पर सरकार ने डिपार्टमेंटली काम लेने का निर्णय कर लिया है इसलिये इसको डिपार्टमेंटली लिया जाय अगर नहीं दिया गया हो तो, उसके अनुसार मुख्य अभियन्ता और पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर साहब की बातचीत हुई और यह निर्णय लिया गया कि इस को डिपार्टमेंटली लिया जाय ।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : पूरा एप्रूव्ड होने के बाद फाइनेन्स डिपार्टमेंट को दुबारा क्यों लिखा और अगर लिखा तो कितने महीने के बाद ?

श्री माधोसिह : दुबारा 1968 में लिखा है ।

Page No 21

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह नहीं, राज्य सरकार ने यह पॉलिसी निर्धारित की है कि जितने भी बिल्डिंग्स के काम होंगे वे विभागीय तरीके के ऊपर कराये जायेंगे तो उसके पश्चात् क्या राजस्थान में कोई भी कार्य विभागीय आधार पर नहीं कराया गया ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह विभागीय मामला है राजस्थान के सार्वजनिक निर्माण विभाग का।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न। दौलतराम सारण।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह बहुत जरूरी प्रश्न है क्योंकि इसमें बात यह है कि विभेद हो रहा है और विभेद यह हो रहा है कि मरजी आई उसका टेन्डर एक्सेप्ट कर लिया।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, प्रश्न पूछिये आप।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : शुद्ध प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : उप-मंत्री महोदय ने कहा है तो मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे इस प्रकार का भेद किया गया है आपके द्वारा निर्णय लेने के बाद कि सारा काम ठेकेदारों के बिना विभाग से बनना चाहिये।

श्री माधोसिह : जैसी सुविधा होती है वैसे कराया जाता है। ठेके भी दिये गये हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : तो इस पर्टिक्यूलर केस में राज्य सरकार के सामने क्या असुविधा थी कि फाइनेन्स डिपार्टमेंट से सेंक्शन हो जाने के बाद भी और टेन्डर चीफ इन्जीनियर के द्वारा एप्रूव किये जाने के बाद भी मंत्री महोदय ने स्वयं अपना इनीशियेटिव लेकर फाइनेन्स डिपार्टमेंट की दूसरी ओपीनियन ली.......

श्री अध्यक्ष : (श्री दुर्गालाल बाढ़दार के बोलने के लिए उठने पर) किसके केस को एडवोकेट कर रहे है, अच्छा ही है.....

(अश्रव्य)

(श्री हरिवल्लभ शर्मा के खड़े होने पर) अभी और भी प्रश्न हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह तो हास्पिटल बन रहा है और एज्यूकेशन डिपार्टमेंट की बिल्डिंग आपने बताई है कि उसमें 28 हजार रुपये राज्य सरकार ने पहले ही खर्च कर दिये और जब यह बिल्डिंग आलरेडी मौजूद थी बनी बनाई तो इस बिल्डिंग का मुआवजा एज्यूकेशन विभाग को दिया गया ?

श्री माधोसिह : शिक्षा विभाग और उस विभाग का आपस का ताल्लुक है।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : शिक्षा विभाग को मुआवजा दिया गया है या नहीं ?

श्री अध्यक्ष : अलग से प्रश्न है, नेक्स्ट।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अलग से नहीं है काम कम कर दिया...

श्री अध्यक्ष : पशुपालन मंत्री उत्तर दें। आर्डर प्लीज।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह मैंने आरम्भ में दिया......

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। मंत्री महोदय उत्तर दें।

Page No 22

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, इसका जवाब नहीं आया है। प्रश्न यह है कि 30 हजार रुपये....

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ने काफी समय ले लिया है। प्रश्न कई हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : मैं निवेदन करूंगा.......

श्री अध्यक्ष : अभी 7-8 प्रश्न ही हुए हैं और प्रश्न भी हैं।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : यह मामला बड़ा अहम मामला है। बिल्डिंग बनी बनाई पी० डबल्यू० डी० को मिल गई है....

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता।

श्री हरिवल्लभ शर्मा आज वहां कई विभागीय बिल्डिंग्स हैं और हॉस्पिटल की जो प्रशासनिक स्वीकृति दी ह तो उसमें एजूकेशन डिपार्टमेंट को मुआवजा देने का पी० डबल्यू० डी० ने निर्णय किया है क्या ?

श्री अध्यक्ष : अगर ऐसा निर्णय किया है तो बता दें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : इस विभाग का कोई निर्णय नहीं है। जिस विभाग की बिल्डिंग है वह निर्णय ले।

श्री अध्यक्ष : पशु पालन विभाग...

श्री हरिवल्लभ : पशु पालन विभाग को कैसे देंगे ?

श्री अध्यक्ष : दूसरा सवाल ले लिया है।

श्री दौलतराम सारण: प्रश्न संख्या 68।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : किस को देंगे...

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। स्थान ग्रहण करें।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : 30 हजार की जो...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य काफी प्रश्न पूछ लिये गये हैं। स्थान ग्रहण करें कृपया।

श्री हरिवल्लभ शर्मा : अध्यक्ष महोदय, एक अहम प्रश्न रह गया है कि 30 हजार की बिल्डिंग मौजूद है तो उस एमाउन्ट में से 30 हजार रुपया शिक्षा विभाग को दे दिया या नहीं सार्वजनिक निर्माण विभाग ने ?

श्री अध्यक्ष : अब स्थान ग्रहण करें। नेकस्ट।

राज्य में पशु-रोग

68. **श्री दौलतराम सारण** (डूंगरगढ़) : क्या पशु-पालन मंत्री यह बतलाने का कष्ट करेंगे :—

(1) राजस्थान में सन् 68 और चालू वर्ष में कहां कहां कौन कौन सा पशु-रोग हुआ ?

(2) उन रोगों की रोकथाम और चिकित्सा के लिए क्या व्यवस्था की गई ?

(3) इन रोगों से कितने पशु मर गये ? जिलेवार संख्या देने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि चूरू जिले में डूंगरगढ़ सरदारशहर, तहसीलों में पशु-रोग मुंहपका, खुरपका और शीतला (रिन्डरपेस्ट) व्यापक रूप से फैले और उससे हजारों कीमती पशु मर गये ?

(5) क्या यह भी सही है कि पंचायत समिति, सरदारशहर, डूंगरगढ़ जिला परिषद्

(श्री दौलतराम सारण)
और अकाल सहायता समिति तथा विधायकों ने समय पर राज्य सरकार और जिला अधिकारियों को प्रस्तावों और पत्रों द्वारा इस रोग की चिकित्सा व्यवस्था अविलम्ब करने और खतरे से अवगत कर दिया था ? परन्तु समय पर आवश्यक चिकित्सा व्यवस्था के अभाव में हजारों पशु मर गये ?

(6) यदि हां, तो इसमें किसकी लापरवाही हुई ? और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ? नहीं, तो क्यों नहीं ?

उप-मंत्री, पशु-पालन (राव श्री हरिसिंह): (1) राजस्थान में वर्ष 68 एवं चालू वर्ष में फैले पशु रोगों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जब जब भी कहीं से किसी पशु-रोग के फैलने की सूचना प्राप्त हुई है उसकी रोक थाम के लिए उस क्षेत्र में कार्यरत पशु पालन विभाग की विभिन्न एजेन्सियों द्वारा संबंधित रोग की रोक थाम की समुचित व्यवस्था की गई है। साथ ही स्वस्थ जानवरों के टीके भी लगा दिये गये हैं जिससे कि संक्रामक रोग स्वस्थ पशुओं में न फैले।

(3) इस सम्बन्ध में जिलेवार सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जहां बीमारियां फैलीं थी वहां इन बीमारियों के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई।

(5) जब जब भी विभाग को रोग की सूचना मिली उसके सभी अधिकारियों ने रोग की रोकथाम व इलाज की समुचित व्यवस्था की और व्यवस्था के अभाव के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई।

(6) जी नहीं, कोई लापरवाही नहीं बरती गई। अतः कार्यवाही का प्रश्न ही नहीं उठता।

(सूची विस्तृत होने से विधान सभा पुस्तकालय में भेज दी गई)

(12 मध्यान्ह)

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान के अन्दर कुल रोगों से पशु मरे हैं 3,702। और जैसलमेर में कोई मरा ही नहीं रोग से। बीकानेर में 32 मरे।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : भरतपुर में मरे हैं 13। तेरह मरे हैं।

श्री दौलतराम सारण : जैसलमेर में 15 मरे हैं। बाड़मेर में 20।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : प्रश्नों का उत्तर तो इन्क्वायरी करके सही आना चाहिए। अखबारों में देने के लिए आंकड़े हैं। प्रेस में देने के लिए आंकड़े हैं। इस प्रकार .. ..

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य।

श्री दौलतराम सारण : उपाध्यक्ष महोदय, आपने प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में कहा है जहां बीमारी फैली थी वहां बीमारी के कारण कोई विशेष मृत्यु नहीं हुई है। वह विशेष क्या है, केवल यह जानना चाहते हैं। और बीकानेर में रिण्डरपेस्ट है ही। चूरू में है ही नहीं। चूरू जिले में एक एक गांव में तीन तीन सौ चार चार सौ पशु मर गये हैं।

श्री अध्यक्ष : क्या आपकी सूची सही है ?

आर्डर प्लीज, माननीय सदस्य। प्रश्न पूछा जा चुका है।

श्री हरिसिंह : (उप-मंत्री) हमारे पास यही सूचना है ।

श्री रोशन लाल शर्मा : क्या आप झूठे आदमी हैं ?

श्री हरिसिंह (उप-मंत्री) : पहले में निवेदन करना चाहूंगा, आप ने यह सूचना दी है, किस प्रकार की है । और यह ऑथेंटिक है क्या ? यह में जानना चाहूंगा जितना आप ने बताया है जैसलमेर, बाड़मेर में ये सब मिलाकर 30,702 पशु मरे हैं । राजस्थान में कुल पशुओं की संख्या 383 लाख है । इसको आपने जीरो परसेंट बना दिया है ।

श्री दौलतराम सारण : अब कितने है वहां ? रिण्डरपेस्ट है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय सदस्य ।

श्री हरिसिंह (उप-मंत्री) : इफेक्टेड हुआ है । मृत्यु की सूचना जो हमें मिली है वह ऑथेंटिक मिली है ।

श्री नत्थीसिंह : यह सफेद झूठ है जांच कराइये । जिसने यह गलत सूचना दी है ।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, जनवरी को जिला परिषद की मीटिंग थी । वहां जिला परिषद् ने प्रस्ताव किया । प्रधान ने चिट्ठी लिखी है । यह कह रहे हैं कि रिंडर पेस्ट है ही नहीं ।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज । उप-मंत्री महोदय ।

श्री हरीसिंह (उप-मंत्री) : चूरू जिले में 20 की डेथ हुई । चेक हुआ । 6,893 में कुल ने बीमारियों के साथ....

श्री दौलतराम सारण : ऊंट मर गये । गायें मर गईं । बैल मर गये ।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप कह रहे थे, जेर इलाज हैं ।

श्री श्रवण लाल : यह मरी हुई संख्या बताई है वह वेटेनरी हास्पीटल की है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर ।

श्री मोहन लाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री) : इस प्रश्न को स्थगित करें । मिनिस्टर महोदय और जानकारी करके उत्तर दे देंगे ।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न स्थगित किया गया ।

श्री दौलतराम सारण : जब विभाग को रोगों की सूचना मिली , तब तक रोगों की रोक थाम के लिए क्या कोई समुचित व्यवस्था की है ?

श्री मुकुट बिहारी लाल गोयल : कितने दौरे किये हैं । कितना टी०ए०, डी० ए० कमाया है ?

श्री अध्यक्ष : आर्डर, माननीय मुकुट-लाल जी ।

श्री मुकुटबिहारी लाल गोयल : बिहारी लाल जी ।

श्री अध्यक्ष : बिहारी लाल जी । नैक्स्ट । श्री दुर्गालाल बाढ़दार ।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार ; 69 ।

जयपुर में सूचना केन्द्र का स्थान

69. **श्री दुर्गालाल बाढ़दार** (हवामहल, जयपुर): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(श्री दुर्गालाल बाढ़दार)

(1) जयपुर नगर में वर्तमान में सूचना केन्द्र किस स्थान पर स्थित है और इसके चारों तरफ किस किस के बंगले बने हुए है?

(2) सूचना केन्द्र जिस प्लॉट में बना हुआ है उसका कुल एरिया प्रारम्भ में कितना था और क्या वतमान में भी उतना है?

(3) क्या यह सच है कि सूचना केन्द्र के कुछ भाग में से पड़ौसी प्लॉट वालों ने जमीन दबाली है? यदि हां, तो किस किस ने जमीन दबाई है और कितनी कितनी?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री भीखाभाई): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि इस प्रश्न को स्थगित किया जाये।

श्री अध्यक्ष : स्थगित।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह जयपुर के बिल्कुल पास का सवाल है। इसको स्थगित करना उचित नहीं है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्नों के उत्तर जो हमें मिलते हैं, यह सही है कि माननीय मंत्रियों को काम ज्यादा है तो इतना तो कह दें जो सवाल का जवाब लिखकर देते है......

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, श्री दुर्गालाल बाढ़दार।

श्री दौलतराम सारण : अध्यक्ष महोदय, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया।

श्री अध्यक्ष : वह स्थगित कर दिया गया है।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : यह जयपुर के पास का सवाल है।

श्री अध्यक्ष : श्री सालोदिया।

सार्वजनिक सभा के आयोजन में सार्वजनिक निर्माण विभाग के कर्मचारी

70. **श्री जयनारायण सालोदिया** (निवाई): क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि नवम्बर सन् 67 में जब भारत के उप-प्रधान मन्त्री का जयपुर में आगमन हुआ उस समय जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा रामलीला मैदान में उनके अभिनन्दन में एक सार्वजनिक सभा का आयोजन किया गया था? यदि हां, तो उसकी व्यवस्था के लिए सार्वजनिक निर्माण विभाग के कितने कर्मचारी काम पर लगे तथा कितनी बल्लियां कितनी रोशनी व बिछायत का सामान काम में लिया गया?

(2) क्या एक संस्था द्वारा किये गये स्वागत समारोह में सरकारी कर्मचारियों व सामान आदि का उपयोग नियमानुकूल है?

उप-मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग (श्री माधोसिंह): (1) भारत के उप-प्रधान मन्त्री के जयपुर आगमन पर हुई सभा में बेरीकेड व रोशनी आदि की व्यवस्था में इस विभाग के लगभग 50 कर्मचारियों ने तीन दिन तक कार्य किया था। इसकी व्यवस्था के लिए लगभग 400 नग बल्लियां, व 200 जूडे काम में आये। मुख्य मार्ग पर 16 रोशनी लगाई गई थी। बिछायत का कोई सामान इस विभाग द्वारा काम में नहीं लाया गया था।

(2) उपरोक्त खर्चा नियमानुकूल हुआ है।

श्री जयनारायण सालोदिया : यह नियम में कहां है, अगर जनसंघ का नेता आयेगा उसमें आप पी० डब्ल्यू० डी० के आदमी बुलायेंगे? तो यह किस नियम के अनुसार है?

श्री माधोसिंह (उप-मन्त्री) : अगर आप शासन के मन्त्री हैं तो सुरक्षा के लिए व्यवस्था करेंगे।

श्री जयनारायण सालोदिया : वह मीटिंग एक संस्था के द्वारा हो रही थी।

श्री माधोसिंह (उप-मन्त्री): मीटिंग की व्यवस्था आप कीजिए।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): प्राइम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के लिए यह विशेष व्यवस्था की जाती है। इसी तरह से किया गया था।

श्री विजयसिंह (मकराना): अभी मन्त्री के लिए आपने यह फरमाया है, मैं स्वतन्त्र पार्टी का मन्त्री हूं मेरे लिए भी यह व्यवस्था करेंगे?

श्री माधोसिंह (उप-मंत्री) : आप शासन के मंत्री नहीं हैं।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मन्त्री): आप के अनुकूल हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट, श्री ओमदत्त भाटी।

जल प्रदाय विभाग जयपुर की फाइलें

71. **श्री ओमदत्त भाटी** (सरदारपुरा): क्या जन स्वास्थ्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि जयपुर के जल प्रदाय विभाग के कार्यालय में आग एवं बन्दरों के उत्पात के कारण बहुत फाइलें नष्ट हो गईं?

(2) क्या यह फाइलें अलमारियों में नहीं रखी हुई थीं?

(3) किसकी लापरवाही से ऐसा हुआ व उसके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा): (1) जी नहीं।

(2) फाइलें अलमारियों में ही रखी जाती हैं।

(3) प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री ओमदत्त भाटी : मन्त्रियों के लिए पानी की न फाइलें नष्ट हुई न रजिस्टर नष्ट हुये। आप ने जांच किससे कराई ?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा): जांच का सवाल ही कहां उठता है? जब फाइल ही नहीं जली।

श्री ओमदत्त भाटी : क्या फाइलें जलाई गई थीं?

राज्य मंत्री, जन स्वास्थ्य (श्रीमती सुमित्रा): फाइलें कहां जलीं? माननीय सदस्य आप को यह गलतफहमी हो कैसे गई ?

श्री श्रवणलाल (हिन्डौन): पानी के बिल्स जो 64 में ही दे दिये जाने चाहिये थे उन बिल्स के भुगतान के नोटिस इश्यू हो रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा : इससे क्या सम्बन्ध है?

श्री श्रवणलाल : 64 के बिलों का पैसा 69 में उन डीलर से बिल भेजकर कराया जाये जो जल चुके थे।

एक माननीय सदस्य : वह बन्दरों से खतम कराये जा चुके।

श्रीमती सुमित्रा : कोई फाइल नष्ट नहीं हुई न बन्दर ले गये।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री श्रवणलाल : इतने बिल पेंडिंग रहने का कारण क्या था? आज भी पुराने बिल वसूली करने के लिए दिये जा रहे हैं।

श्रीमती सुमित्रा : कोई भी पेंडिंग नहीं है 64 का।

श्री बालसिंह सोढ़ा (जैसलमेर) : आज भी चार वर्ष, पांच वर्ष की वसूलीयां बाकी कैसे है ?

श्री श्रवणलाल : क्या यह सही है कि 64 के बिल आज वसूल किये जा रहे हैं? अगर आज किये जा रहे हैं तो क्या आप उसको गलत समझती हैं? और उनकी वसूली करने के लिए किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं करेंगी ?

श्रीमती सुमित्रा : कोई एक दो बिल ऐसे हो सकते हैं। जिनके और कारण हो सकते हैं समय पर भुगतान नहीं होने के। नष्ट होने का कोई प्रमाण नहीं है।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न समाप्त हुए।

श्री भैरोंसिंह (किशनपोल, जयपुर): अध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आगे जो प्रश्न रह गये हैं उनमें कुछ तो इस कारण से रह गये हैं कि समय नहीं रहा है। लेकिन उनमें कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न हैं जिन प्रश्नों के संबंध में सरकार की ओर से माननीय अध्यक्ष को लिख कर दे दिया गया है कि वह स्थगित कर दिये जायें। ऐसे प्रश्न भी दुबारा प्रश्नों की सूची में नहीं लिये जाते हैं जो कि स्थगित कर दिये जाते हैं। दो तरह के इसमें प्रश्न हैं, एक तो ऐसे प्रश्न हैं जो समयाभाव के कारण सदन में नहीं पूछे जा रहे हैं और दूसरे जिनके बारे में स्थगित करने के लिए सरकार की ओर से लिख कर दे दिया गया है।

श्री अध्यक्ष : जो स्थगित किये गये हैं वह दुबारा आयें ?

श्री भैरोंसिंह : जैसे आज प्रश्न रह गया है, जो 73 है।

श्री अध्यक्ष : मैं ले लेता हूं जो स्थगित कर दिया है प्रश्न दुबारा।

श्री भैरोंसिंह : इस संबंध में व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष : सरकार की ओर से जिन प्रश्नों को स्थगित करने का निवेदन प्राप्त हो चुका है उनको दुबारा ले लिया जायगा।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिये परिशिष्ट 3 देखिये)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

रामगढ़ में टेलीफोन की व्यवस्था

21. **श्री बालसिंह सोढा** : (जैसलमेर): क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) क्या यह सही है कि रामगढ़ जिला जैसलमेर में टेलीफोन की व्यवस्था है? परन्तु पी० सी० ओ० नहीं होने से टेलीफोन सेवा से वंचित रहना पड़ता है? अगर हां, तो पी0 सी0 ओ0 नहीं होने के क्या कारण है, जब कि वहां पर सीमा सड़कों के दो डिवीजन का हैड क्वार्टर है और सैकड़ों रुपये टेलीफोन के अभाव में खर्च करने पड़ते हैं?

(2) क्या इस संबंध में सरकार भारत सरकार को लिखने का विचार कर रही है?

Page No 28

उत्तर

(1) रामगढ (जिला जैसलमेर) में पी० सी० ओ० लगवाने के लिये उचित कार्यवाही की जा रही है। इस विषय में पोस्ट मास्टर जनरल (राजस्थान क्षेत्र) राजस्थान सर्किल जयपुर अपनी सिफारिश महानिदेशक, डाक व तार, देहली को भेज चुके हैं अतः उनकी सहमति आते ही यह सुविधा जैसलमेर में इसी वित्त वर्ष में प्राप्त हो जाने की आशा है।

(2) अगर जरुरत समझी गई तो जरूर लिख दिया जावेगा।

भूमि बन्धक बेंक सीकर द्वारा ऋण

22. **श्री हरलालसिंह खर्रा** (श्री माधोपुर): क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) भूमि बन्धक बेंक सीकर द्वारा आज तक कितने लोन किस किस को कितना कितना व कब कब व किस किस कार्य के वास्ते दिया? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उपरोक्त बेंक में कितने मामले कब कब से लोन के लिये किस किस के पेंडिंग हैं।

(3) उपरोक्त बेंक में लोन के कितने कितने कार्य पूर्ण हो गये व कितने नहीं हुए? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें?

(4) क्या यह सही है कि उक्त बेंक द्वारा कुछ कार्यों के लिये सीधा कृषक को भुगतान नहीं दिया जाता? यदि हां, तो किस किस कार्यों के लिये? यह लोन इस बेंक द्वारा आज तक किस किस कम्पनी को किस किस का कब कब कितना कितना दिया गया है? क्या यह कम्पनियां राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हैं?

(स्थगित किया गया)

जयपुर दुग्ध वितरण योजना

23. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी): क्या पशु पालन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में सरकार की ओर से किन किन स्थानों पर दुग्ध वितरण योजनाएं चालू हैं और उनमें कितना कितना दूध इकट्ठा किया व बेचा जा रहा है?

(2) दुग्ध वितरण योजना चलाने का सरकारी व्यय व्यापारिक है अथवा स्वास्थ्य की दृष्टि से शुद्ध दूध उपलब्ध कराने का? यदि स्वास्थ्य की दृष्टि से है तो कितनी आबादी के ऊपर इस प्रकार की व्यवस्था सरकार उचित समझती है?

(3) जयपुर दुग्ध वितरण योजना पर सरकार ने केपिटल इन्वेस्टमेंट के रूप में अब तक कितना धन खर्च किया ह व इस योजना की चालू आमदनी व खर्चा क्या है? कृपया 1965-66 से अब तक का सालवार ब्यौरा सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) जयपुर में रोजाना वितरित किये जाने वाले दूध की औसतन तादाद कितनी है और वह शहर की टोटल आवश्यकता का कितना प्रतिशत होता है? कृपया दूध की खरीद व बेचान के भाव भी बताने का कष्ट करें साथ साथ यह भी बताएं कि इस योजना को चलाने हेत कुल कितने व्यक्ति काम कर रहे हैं?

(श्री जुझार सिंह)

(5) जयपुर दुग्ध वितरण योजना के तहत क्या घी व मक्खन भी तैयार किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितना तैयार किया गया है और उससे कितनी आय प्राप्त हुई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान सरकार की ओर से केवल जयपुर शहर में ही दुग्ध वितरण योजना चलाई जा रही है। इस योजना में करीब औसतन 5,000 लीटर दूध प्रतिदिन प्राप्त होता है व बेचा जाता है।

(2) शहर की जनता को शुद्ध एवं निरोग दूध उचित मूल्य पर उपलब्ध करना इस योजना का मुख्य ध्येय है। साथ ही शहर के आस पास के गांवों के पशुपालकों को दूध के लिए बाजार मिल सकें जिससे उनकी रुचि पशुपालन में बढ़े व पशुधन का सुधार हो तथा सुधार के साथ पशुपालकों की आर्थिक स्थिति में भी सुधार हो।

(3) जयपुर दुग्ध वितरण योजना पर अब तक कुल 29,69,000 रु० केपीटल इन्वेस्टमेन्ट हो चुका है। चालू आमदनी व खर्च का ब्यौरा वर्ष 65-66 से 67-68 तक सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(4) औसतन करीब 5,000 लीटर दूध रोजाना शहर में वितरित किया जाता है जो शहर की पूर्ण आवश्यकता का 4 प्रतिशत है, इसके खरीद के भाव दूरी के अनुसार निर्धारित किये जाते हैं व बाजार भाव के अनुसार कम व बेशी होते रहते हैं।

वर्तमान भाव निम्न प्रकार हैं:—

दूरी	गाय का दूध	भैंस का दूध
योजना पर	) 81 प्र०लि०	1) 06 प्र० लि०
योजना से 20 मील तक	) 77 ,,	1) 01 ,, प्र० लि०
21 मील से 35 ,,	) 73 ,,	) 96 प्र०लि०
35 से ऊपर	) 69 ,,	) 91 प्र०लि०

(5) योजना द्वारा गाय का व भैंस का स्टेन्डराइज्ड दूध 1) 3 पैसे प्रति लीटर बेचा जाता है। इस योजना में कुल 224 व्यक्ति कार्य कर रहे हैं इस योजना द्वारा घी व मक्खन तैयार किया जाता है। अब तक कितना तैयार किया गया है व उसकी कितनी आय हुई है इसकी सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(कृपया परिशिष्ट 4 देखिये)

भू-संरक्षण योजना

24. **श्री जुझार सिंह** (रामगंज मंडी): क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि भूमि कटाव की क्षेत्र उग्रता को ध्यान में रखते हुए सांगोद व अटरू में रिफाइनेन्स कोरपोरेशन की मदद से भू-संरक्षण योजना बनाई गई है ? यदि हां, तो योजना की रूप-रेखा स्थान व पूरा होने का समय आदि बताने की कृपा करें ? इस साल कौन से क्षेत्र के कितने कितने रकबे में भू-संरक्षण कार्य किया जाने वाला है ?

(2) क्या यह सही है कि वगड़ा व पोकल्या नालों के अनियमित वहाव से वहाव क्षेत्र में (sub soil deposits) होने लगे हैं और कई गांवों में जैसे देगन्या,

(श्री झुझार सिंह)
मकडावद, लालाहेडा आदि में औसत पैदावार में बहुत कमी आ गई है ? यदि हां, तो क्या गांवों के साथ विभाग की स्ट्रीम वाइज या वाटर शेड्स टू वाटर शेड्स का कटाव रोकने की भी योजना है और यदि नहीं तो क्या सरकार इस पर ध्यान देगी ?

(3) क्या सरकार कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे भू-संरक्षण कार्य को पूर्ण सन्तोषजनक मानती है ? यदि हां, तो जो क्षेत्र कृषकों के क्षेत्र अधिकार में नहीं होते उनमें से बहने वाले पानी को खेतों में नियमित रूप से लाये जाने का प्रबन्ध है ?

(4) क्या सरकार भू-संरक्षण हेतु विभागीय परिधियों से ऊपर उठकर कोई ठोस व व्यवहारिक कार्यक्रम अपनाने का विचार करेगी जो कैचमेन्ट व मार्जीनल एरियाज में भी कृषि भूमि के साथ भू-संरक्षण कार्य कर सकें ?

उत्तर

(1) ऐसी योजना नहीं बनाई गई है, अतः प्रश्न के अन्य भागों के उत्तर का प्रश्न नहीं उठता ।

(2) जी हां । जैसे उक्त नालों के कैचमेन्ट में आने वाले काश्तकार अपने अपने खेतों में कार्य कराने को तैयार होते हैं वैसे ही बजट में धन-राशि उपलब्धि के अनुसार पंचायत समिति की सहमति से यह कार्य कराया जाता है ।

(4) जी हां । सरकारी जंगलात की भूमि में जंगलात विभाग व राजस्व भूमि में कृषि विभाग द्वारा अपने अपने प्रावधानों द्वारा भू-संरक्षण कार्य कराया जाता है । प्रश्न के दूसरे भाग के सम्बन्ध में जब राज्य सरकार के समक्ष इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत होते हैं, उन पर विचार कर आवश्यक कार्यवाही की जाती है ।

(4) राज्य सरकार इस विषय में पूर्णतः सजग है तथा ठोस व व्यवहारिक भू-संरक्षण का कार्यक्रम चालू है ।

चित्तौड़गढ़ जिले में अपराधों की घटनाएं

25. **श्री रामकुमार नन्दवाना** (चित्तौड़गढ़):—क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कितने पुलिस स्टेशन हैं तथा कितने सब-इन्सपेक्टर व इन्सपेक्टर इस जिले में हैं ? सूची संदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) इस जिले में सन् 1967-68 के वर्ष में कितनी चोरियां, नकबजनी हुई कितनी डकैतियां व लूट की घटनायें हुई जिसमें धन जन की कितनी हानि हुई ?

(3) इस जिले में इस वर्ष कितनी हत्यायें हुई और उनमें पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की गई और इन मामलों की अब तक की स्थिति क्या है ? पुलिस स्टेशन वाईज सूची देने का कष्ट करें ।

उत्तर

(1) मण्डल चित्तौड़गढ़ में 25 पुलिस स्टेशन हैं । इस मंडल में 44 सब-इन्सपैक्टर एवं 5 इन्सपैक्टर हैं ।

(2) मण्डल चित्तौड़गढ़ में सन् 1967 में 325 चोरियां, 344 नकबजनियां, 20 लूट व 4 डकैतियां हुई जिनमें कुल धन रु० 2,89,216.22 पै० की मालियत सरका हुई थी । सन् 1968 में 224 चोरियां, 354

Page No 31

(गृह मंत्री)

नकबजनियां, 24 लूट हुईं। डकैती कोई नहीं हुई। इस वर्ष में कुल रु० 2,99,087.71 पै० का धन माल चोरी गया। जन हानि होने की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(3) सन् 1968 में 27 कत्ल की वारदातें गुजरी हैं और 27 केस कत्ल के दर्ज होकर तफतीश की गई है। थानों वाईज स्थिति निम्न प्रकार हैं:—

(ए) **थाना निम्बाहेड़ा**:—3 केस कत्ल के दर्ज होकर बाद तफतीश चालान अदालत हुए जो जेर ट्रायल कोर्ट हैं।

(बी) **थाना भदेसर** :— दो केस कत्ल दर्ज हुए जिनमें से एक बाद तफतीश चालान होकर जेर ट्रायल कोर्ट है तथा एक केस में अदम-वकुआ में एफ० आर० पेश की गई है।

(सी) **थाना धौलापानी**— एक केस कत्ल दर्ज हुआ जो बाद तफतीश चालान हुआ और जेर ट्रायल कोर्ट है।

(डी) **थाना चित्तौड़गढ़** :— पांच केस कत्ल के दर्ज हुए। दो बाद तफतीश चालान होकर जेर ट्रायल कोर्ट है। दो अभी जेर तफतीश हैं तथा एक केस में अदम पता में एफ० आर० दी गई।

(ई) **थाना प्रतापगढ़**:– तीन केस कत्ल दर्ज हुए जिनमें से दो बाद तफतीश चालान होकर जेर ट्रायल कोर्ट हैं तथा एक केस में अदमपता में एफ०आर० दी गई।

(एफ) **थाना डूंगला** :– एक कत्ल का केस दर्ज हुआ जो बाद तफतीश चालान हुआ और जेर ट्रायल कोर्ट है।

(जी) **थाना सालमगढ़**:– तीन कत्ल के केस दर्ज हुए जिनमें से एक चालान किया गया जो कोर्ट से बरी हुआ तथा बाकी के दो केस जेर तफतीश हैं।

(एच) **थाना रंठाजना**:– एक केस कत्ल दर्ज हुआ जो अदम वकुआ में गया है।

(आई) **थाना भावतांडा**:–एक केस कत्ल दर्ज हुआ जो चालान होकर अदालत से सजायाब हो चुका है।

(जे) **थाना छोटी सादड़ी**:– एक केस कत्ल दर्ज हुआ जो चालान होकर अदालत से सजायाब हो चुका है।

(के) **थाना कपासन**:– एक केस कत्ल दर्ज हुआ जो चालान होकर अदालत में जेर ट्रायल है।

(एल) **थाना गंगरार** :- एक केस कत्ल दर्ज हुआ जो चालान होकर अदालत में जेर ट्रायल है।

(एम) **अरनोद**:– दो केस कत्ल के दर्ज हुए जिनमें से एक चालान हुवा व कोर्ट से मुलजिम बरी हुआ। दूसरा केस अभी जेर तफतीश है।

(एन) **थाना बड़ी सादड़ी**:–दो केस कत्ल के दर्ज हुए जिनमें से एक चालान होकर जेर ट्रायल कोर्ट है तथा एक जेर तफतीश है।

कोटा जिले में अपराधों की घटनाएं

26. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:–

(1) कोटा नगर व जिले में वर्ष सन् 68 में कितनी घटनायें चोरी, अपहरण, कत्ल,

(श्री श्रीकृष्ण कुमार गोयल)
मारपीट की घटित हुई ? कृपया थानेवार बताने की कृपा करें ।

(2) उपरोक्त में से कितने अपराधी पकड़े गए कितने के चालान हुए व कितनों को सजा हुई व कितनी बरामदगी हुई ?

(3) क्या यह सही है कि कोटा जिले में सन् 68 में अपराधों की घटनाएं राज्य के अन्य इलाकों की अपेक्षा सबसे अधिक हुई हैं? अगर हां, तो सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

(उत्तर स्थगित किया गया)

गलता रोड़ पर पाई गई लाश

27. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** (कोटा) : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 22-7-68 को श्री मुकेश कुमार एच० देसाई की लाश गलता रोड, जयपुर पर पाई गई थी ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त लड़का अग्रवाल कालिज, जयपुर में पढ़ रहा था ?

(3) क्या यह सही है कि मृत्यु छुरों से की गई थी ?

(4) अगर हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) जी हां ।

(2) जी हां ।

(3) जी हां ।

(4) इस हत्या के बारे में मुकद्दमा नं० 189, तारीख 22-7-68, जुर्म जेर दफा 302 भा०दं० सं० दर्ज होकर जेर तफतीश है व मुलजिमान का पता चलाया जा रहा है ।

थाना असनावर में दर्ज चोरियों एवं डकैतियों के मामले

28. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) थाना असनावर, जिला झालावाड़ में सन् 67 व सन् 68 में कहां कहां कितनी कितनी चोरियां व डकैती के केस रजिस्टर हुये ? कृपया सूची हर साल की सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें ।

(2) इन केसों में कितनी चोरियां अथवा डकैतियों का माल बरामद होकर मुल्जिमों को सजायाब किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि मानपुरा व बड़ोदिया थाना असनावर की डकैतियों के मुल्जिमों को नहीं पकड़ा गया और न ही माल बरामद हुआ है ? यदि हां, तो क्या कारण है ?

उत्तर

(1) थाना असनावर, जिला झालावाड़ में सन् 1967 में 1 डकैती व 14 चोरियां हुई हैं व 1968 में 1 डकैती व 15 चोरियों के अभियोग दर्ज हुये हैं । गांव वाइज लिस्ट सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(2) सन् 1967 की डकैती में 1,293.37 पै० का माल चोरी गया जिसमें से 916.37 पै0 का माल बरामद हुआ । मुकद्दमा जेर तजबीज अदालत है । इसी प्रकार 1967 की चोरियों में कुल माल 8,107.16 न०पै० का चोरी गया जिसमें से 2,903.16 न० पै० का माल बरामद हुआ जिनमें 10 अदमपता

Page No 33

(गृह मंत्री)

गईं व 3 का चालान हुआ जो एक सजा, दो जेर तजवीज अदालत हैं। सन् 1968 की डकैती में 38,415.00 का माल चोरी गया जिसमें से 20,509.00 का माल बरामद हुआ जो जेर तफतीश पुलिस है। इसी प्रकार 1968 की चोरियों में कुल माल 7,584.00 रु० चोरी गया जिसमें से 3,540.00 का माल बरामद हुआ जिनमें से 4 जेर तजवीज अदालत व 1 बजे राजीनामा एक सजा फैसला हुआ व 9 लापता रही। गांव वाइज लिस्ट संलग्न है।

(3) जी नहीं। यह गलत है। बड़ोदिया की डकैती 1968 में हुई जिसमें 38,415.00 का माल चोरी गया व 20,509.00 का माल बरामद हुआ मुकद्दमा जेर तफतीश है। जिसमें 10 मुलजिमान गिरफ्तार हो चुके हैं, 2 अदम गिरफ्तार हैं व मानपुरा की डकैती 1967 में हुई जिसमें 1,293.37 पै० का माल चोरी गया जिसमें से 916.37 पै० का माल बरामद हुआ जिसमें 3 मुल० गिरफ्तार हुये एक का चालान 512 जा० फौ० में किया गया व एक मर गया जो जेर तजवीज अदालत है। कुल पांच थे।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय को भेज दी गई)

झालरापाटन थाने में दर्ज चोरी व कत्ल के मामले

29. **श्री राम प्रसाद बोहरा** (झालरापाटन): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) झालरापाटन थाना, जिला झालावाड़ में सन् 67 व 68 में कितने केस चोरी के व कितने केसे कत्ल के रजिस्टर किए गए? कृपया हर साल की सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) इन केसों में कितनी चोरियों का माल बरामद होकर मालिकों को मिल चुका है और कितने व्यक्तियों को सजा हुई? चोरियां बरामद नहीं होने का क्या कारण है?

(3) कत्ल के केसों में किन किन को सजा मिली है? बाकी केसों में क्या हुआ?

उत्तर

(1) थाना झालरापाटन में सन् 1967 में चोरी के 25 केस एवं कत्ल के 2 केस दर्ज हुए। सन् 1968 में चोरी के 22 केस एवं कत्ल के एक केस दर्ज रजिस्टर हुए थे।

(2) सन् 1967 की 14 चोरियों का माल बरामद हुआ और छः केसों का माल मालिकों को मिल चुका है। सन् 1968 में 11 चोरियों का माल बरामद हुआ जिसमें से छः केसों का माल मालिकों को मिल चुका है। बाकी का बरामदशुदा माल चालानी मुकदमात में अदालत में जेर तजवीज है। सन् 1967 के कुल मुकदमात में रु० 25,988) का माल चोरी गया था जिसमें से 22,353) का बरामद हुआ था तथा सन् 1968 के कुल मुकदमात में रुपये 6,134.34 पै० का माल चोरी गया था जिसमें से रु० 3,198.77 पै० का माल बरामद हुआ था। सन् 67 के 15 मुकदमात चालान हुए जिनमें से 3 मुकदमों में तीन व्यक्तियों को सजाएं हुई, 3 मुकदमों में मुलजिमान रिहा (बरी) हुए व बाकी के 9 मुकदमें जेर तजवीज अदालत है। सन् 68 में 10 मुकदमों का चालान हुआ एक जेर तफतीश है। तीन मुकदमों में तीन मुलजिमों को सजा

(गृह मन्त्री)

हुई, एक मुकदमें में अदालत से राजीनामा हुआ तथा बाकी के 6 मुकदमें जेर तजवीज अदालत हैं। सन् 67 के 11 व सन् 68 के 11 चोरी के मुकदमों में माल इस कारण बरामद नहीं हो सके हैं कि थाने के इलाके में आठ स्थानों पर अलग 2 जंगलों में कंजरान आबाद हैं जो जरायम पेशा हैं और अक्सर अपनी सकूनतों से रूपोश रहकर छिपे तौर पर वारदातें करते हैं तथा दवीशें देने पर भी 6-6 महीने, 1-1 वर्ष तक नहीं मिलते हैं। इस कंजरान के यहां इलाका गैर के कंजरान मध्य प्रदेश वगैराह से आते रहते हैं जो चोरियों का माल लेकर वापस फरार हो जाते हैं। इसके अलावा झालरापाटन में दो बड़े मेले (एक मवेशियों का व दूसरा धार्मिक) वर्ष में लगते हैं जिसमें बाहर के बदमाशान भीड़ में छिपे तौर पर वारदातें कर जाते हैं। जिन मुकदमात में बरामदगी माल नहीं हो सका है उनमें कोई मुकदमा संगीन नहीं है।

(3) सन् 67 के दोनों मुकदमें व एक सन् 1968 का मुकदमा कत्ल चालान अदालत हो चुके हैं और तीनों मुकदमें जेर तजवीज अदालत हैं।

अजमेर में हाउस टैक्स की वसूली

30. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर नगर परिषद् द्वारा कस्टोडियन के पास बची हाउस टैक्स की पुरानी बकाया वर्तमान मकान मालिकों से वसूल की जाती है ? यदि हां, तो नागरिकों को कस्टोडियन से सम्बन्धित बकाया हाउस टैक्स से कब छुटकारा मिलेगा ? यदि हां तो क्या सरकार नगरपालिका को ऐसी बकाया वसूल न करने के निर्देश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(2) क्या यह सत्य है कि नगर परिषद्, अजमेर द्वारा हर तीन वर्ष के बाद हाउस टैक्स असेसमेन्ट के समय जनता को परेशानी उठानी पड़ती है ? यदि हां, तो क्या सरकार एसेसमेन्ट डिपार्टमेन्ट के लिए विशेष आयुक्त नियुक्त करने का विचार रखती है ताकि काम सही ढंग से हो और जनता को परेशानी नहीं उठानी पड़े ?

(3) क्या यह सही है कि नगर परिषद्, अजमेर टेम्पोरेरी तहबाजारी तख्तों की रेट 10 पैसा प्रति चौरस फुट की बजाय 25 पैसे प्रति चौरस फुट वसूल करती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसी वसूली को रोकने का निर्देश देने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) हालांकि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 में प्रावहित प्रावधानानुसार भूमियों या भवनों या दोनों के वार्षिक किराये पर आरोपित कर, का प्रथम भार ऐसे भवन या भूमि पर है और उसे बकाया सहित वसूल किया जा सकता है किन्तु ऐसा होते हुये भी नगर परिषद्, अजमेर कस्टोडियन द्वारा बेची गई सम्पत्ति पर पुराना गृह कर कस्टोडियन से ही मांग कर रहा है और यदि पुराना गृह कर कस्टोडियन से वसूल नहीं किया जायगा तो खरीददारों से वसूल किया जावेगा ऐसी स्थिति में राज्य सरकार द्वारा आदेश दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

(स्वायत्त शासन मन्त्री)

(2) जी नहीं। कोई परेशानी नहीं उठानी पड़ती है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में प्रावहित प्रावधानानुसार भवन कर का निर्धारण प्रति 3 वर्ष में संशोधित किया जाता है नगर परिषद्, अजमेर भी उसी के अनुसार कार्य करती है। असेसमेन्ट के लिये किसी विशेष आयुक्त को नियुक्त करने का कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। न इसकी कोई आवश्यकता ही है।

(3) तख्तों पर तहबाजारी नियमानुसार निर्धारित रेट के अनुसार ही ली जाती है परन्तु जो व्यक्ति बगैर इजाजत रास्तों व अन्य नगर परिषद् की भूमि पर कब्जा कर लेते हैं और अनधिकृत कब्जा नहीं हटाते तो पेनेल्टी के रूप में अधिक रेट पर तहबाजारी ली जाती है और इसके लिये नगर परिषद् सक्षम है।

अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि प्रक्रिया के नियम 134 के अन्तर्गत अध्यक्ष, राजस्थान विधान सभा के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है।

इस संकल्प को प्रस्तुत करने की अनुमति के लिये प्रस्ताव 12 मार्च, 1969 की कार्य सूची में अनुच्छेद 179 संविधान के अनुसार दर्ज कर लिया जायगा।

स्थगन-प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, सदस्य विधान सभा ने प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 263 के अन्तर्गत कल दिनांक 26-2-1969 की रात को निन्दा प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने के पश्चात् सदन में उत्पन्न हुई स्थिति पर विचार किए जाने संबंधी एक प्रस्ताव की सूचना दी है।

इसी विषय पर एक अन्य प्रस्ताव की सूचना स्थगन प्रस्ताव के तौर पर श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल, श्री नत्थी सिंह, श्री मुकुटबिहारीलाल, श्री दौलतराम सारण, श्री कृष्ण कुमार गोयल, श्री विजय सिंह मकराना, व श्री दुर्गालाल बाढ़दार, सदस्य विधान सभा ने दी है।

उपरोक्त दोनों प्रस्ताव जिन नियमों के अन्तर्गत दिए गए हैं वे उन नियमों के अन्तर्गत नहीं आते और न इस प्रकार की घटना पर विचार किए जाने के लिए हमारे नियमों में कोई प्रावधान है।

जहां तक विधान सभा अध्यक्ष के आचरण के संबंध में चर्चा किए जाने का प्रश्न है, इस विषय में जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है अध्यक्ष के विरुद्ध जिस अविश्वास के प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है उसका नियमानुकूल कार्यक्रम घोषित किया जा चुका है और यथासमय उक्त प्रस्ताव पर सदन में चर्चा किए जाने का अवसर प्राप्त हो सकेगा।

ऐसी स्थिति में उपरोक्त दोनों प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : तब तक कुछ भी करो आप।

श्री अध्यक्ष : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री ओमदत्त भाटी, सदस्य, विधान सभा ने जोधपुर नगर में नगर परिषद् के प्रशासक द्वारा अवैधानिक ढंग से गृह कर

(श्री अध्यक्ष)
की वसूली के नोटिसेज दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के बारें में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है। इस संबंध में राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर मैं इस पर लिए गए निर्णय से माननीय सदस्यों को सूचित कर दूंगा।

इसके अतिरिक्त निम्नांकित तीन स्थगन प्रस्तावों की भी सूचनायें प्राप्त हुई हैं जो इस प्रकार हैं :—

(1) श्री रामचन्द्र आर्य व श्री केदार नाथ, सदस्य विधान सभा ने जिला गंगानगर की राजस्थान केनाल व भाखरा केनाल के चकों में मौखे बन्द किए जाने व एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदले जाने से कृषि उत्पादन में होने वाली गिरावट आदि के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(2) श्री रामकिशन व श्री नत्थीसिंह, सदस्य विधान सभा ने चम्बल तथा बनास के खदरों की जमीन को किसी व्यक्ति को एलाट किए जाने से उत्पन्न स्थिति के बारे में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

(3) श्री केसरीसिंह हाड़ा, सदस्य विधान सभा ने जिला बूंदी के थाना हिन्डोली की पेचकी बावड़ी स्थित चौकी के हैड कान्स-टेबल द्वारा किसी व्यक्ति की मारपीट किए जाने के संबंध में एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी है।

उपरोक्त तीनों स्थगन प्रस्ताव इतने अविलम्बनीय लोक महत्व के नहीं हैं कि सदन की पूर्व निश्चित कार्यवाही को स्थगित की जाकर आज इन पर विचार किया जाय।

इसके अतिरिक्त राज्यपाल महोदय के अभिभाषण, बजट व अनुदानों की मांगों पर होने वाली चर्चाओं के दौरान भी संबंधित माननीय सदस्य द्वारा इनके बारे में अपने विचार व्यक्त किए जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में मैं इन स्थगन-प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना श्री मुकुटविहारीलाल, श्री नत्थीसिंह, श्री राम किशन, श्री विट्ठल भाई व श्री हीराभाई से प्राप्त हुई है जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय के एक जज के कर्त्तव्य पालन के दौरान उनके आचरण के संबंध में शिकायत की गई है। संविधान के अनुच्छेद 121 के अन्तर्गत उच्च न्यायालय के जजों के आचरण के संबंध में कोई चर्चा सदन में नहीं की जा सकती और न उनके विरुद्ध कोई स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है। अतः मैं इस स्थगन-प्रस्ताव को सदन में प्रस्तुत किए जाने की अनुमति देने में असमर्थ हूं।

श्री रामचन्द्र आर्य (नोहर) : अध्यक्ष महोदय, गंगानगर जिले में राजस्थान केनाल और भाखरा केनाल के अन्दर चकों में मौखे बन्द करवाये जाते हैं····

श्री अध्यक्ष : इसे अस्वीकार किया है, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके प्रमाण में जो सूची है, मैं यह चाहूंगा····

श्री अध्यक्ष : आपका स्थगन प्रस्ताव मैंने अस्वीकार किया है, माननीय सदस्य !

श्री रामचन्द्र आर्य: अध्यक्ष महोदय, यह मामला बड़ा ही अविलम्बनीय लोक महत्व का था····

श्री अध्यक्ष : जैसा था, मैंने उस पर अपनी मान्यता प्रकट कर दी है।

श्री रामचन्द्र आर्य : जो इस प्रकार का कैनाल से संबंधित प्रश्न है····

श्री अध्यक्ष : इस पर व्यवस्था दे दी गई है । स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : इसके संबंध में संबंधित मंत्री जी से वक्तव्य दिलाने की व्यवस्था करें । यह काश्तकारों से संबंधित प्रश्न है ।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामकिशन (वैर) : अध्यक्ष महोदय, मैंने प्रस्ताव दिया था जमीन के एलाटमेंट के संबंध में, उसे आपने अस्वीकार कर दिया है और व्यवस्था दी है कि उस पर आगे चर्चा हो जायगी । लेकिन जो प्रस्ताव सदन में सुनाया उससे हो सकता है इसकी जरूरत न पड़े । पोजीशन यह है कि एक व्यक्ति को एलाट नहीं की गई है, खदरे की जमीन को राजस्थान और राजस्थान के बाहर के पूंजीपतियों को दिया गया है जब कि भरतपुर में बीस हजार परिवार भूमिहीन हैं । यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, सारे राजस्थान के भूमिहीन किसानों का क्वेश्चन है । राजस्थान सरकार····

श्री अध्यक्ष : मैंने व्यवस्था दे दी है ।

श्री रामकिशन : आपकी व्यवस्था में गड़बड़ी रह गई है ।

श्री अध्यक्ष : अभी तो व्यवस्था दे दी है ।

श्री रामकिशन : मैं इस पर पुनर्विचार करने के लिए आपसे निवेदन करूंगा ।

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे मिल लें मैं देख लूंगा ।··

श्री रामकिशन : इस महत्वपूर्ण प्रश्न पर सरकार की नीति मालूम हो जाय । यह एक व्यक्ति का प्रश्न नहीं है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं सूची पेश करना चाहता हूं, मैं सदन की मेज पर रखना चाहता हूं स्थगन प्रस्ताव के संबंध में····

श्री अध्यक्ष : स्थगन-प्रस्ताव पर व्यवस्था दे दी गई है ।

श्री रामचन्द्र आर्य : आज भी मौके बन्द किये जा रहे हैं····

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : मैं सूची सदन की मेज पर रखना चाहता हूं ।

श्री अध्यक्ष : सूची नहीं रखी जायगी क्योंकि स्थगन-प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ है । स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : अध्यक्ष महोदय, मैं सूची····

श्री अध्यक्ष : मैं बार बार माननीय सदस्य, आपसे निवेदन कर चुका हूं । आप स्थान ग्रहण करें ।

श्री रामचन्द्र आर्य : यह बहुत जरूरी है ।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

Page No 38

श्री रामानन्द अग्रवाल : अध्यक्ष महोदय, परसों मैंने अलवर में असुरक्षा की स्थिति के बारे में एक स्थगन-प्रस्ताव दिया था, उसके बारे में आपने सूचना मंगा कर कोई उत्तर दिलाने की बात कही थी। उस संबंध में, मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट के बड़े ऑफिसर वहां पर हो आये हैं, गवर्नमेंट के पास पूरी सूचना है और गृह मंत्री जी यहां मौजूद हैं। अगर उस पर वक्तव्य आज दे दिया जाय तो उचित होगा। वहां पर स्थिति काफी गम्भीर है, लोगों में बड़ा आतंक छाया हुआ है। गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसकी जानकारी मिल जाय तो ठीक होगा।

श्री अध्यक्ष : इसकी मेरे यहां जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। मैं आज फिर सजगता से देखूंगा कि जानकारी प्राप्त हो। उसके बाद समय निर्धारित किया जा सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास : अलवर वाला ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : हां।

श्री नत्थीसिंह (भरतपुर) : अध्यक्ष महोदय, × × × ×

श्री अध्यक्ष : आचरण की चर्चा नहीं होगी।

श्री रामकिशन : आचरण की चर्चा नहीं है।

श्री नत्थीसिंह : × × × ×

श्री अध्यक्ष : यह मेरी व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री नत्थीसिंह : × × × ×
(व्यवधान) (अश्रव्य)

श्री अध्यक्ष : व्यवस्था दे दी गई है उस पर।

श्री नत्थीसिंह : × × × ×
++++

श्री अध्यक्ष : एक्सपंज किया जाता है (माननीय सदस्य के बोलते रहने पर) माननीय सदस्य ! एक्सपंज किया जाता है। (माननीय सदस्य के बोलते रहने पर) भाषण को न लिखा जाय।

(माननीय सदस्य बोलते रहे)

माननीय सदस्य ! स्थान ग्रहण करें। इस प्रश्न पर अध्यक्ष की व्यवस्था का कन्वेंसिंग नहीं होगा। नम्बर दो, भाषण इस प्रश्न पर नहीं होगा क्योंकि जुडिशियरी से यह संबंधित है। जजमेंट के संबंध में जो बात कही, उससे संबंधित है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल (बयाना) : × × × ×

श्री अध्यक्ष : आप इस पर चर्चा न करें, मैं यह चाहता हूं। फिर भी आप चर्चा कर रहे हैं, यह न लिखा जाय–इसका आदेश दिया है। (माननीय सदस्य के बोलते रहने पर) आर्डर प्लीज ! माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें। स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें।

आर्डर प्लीज, मैं इस पर कोई डिबेट अलाउ नहीं करूंगा।

× × × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गये।

++++अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण नहीं लिखा गया।

Page No 39

श्री मुकुटबिहारीलाल : मैं तथ्य रख दूं।

श्री अध्यक्ष : कोई तथ्य नहीं, व्यवस्था दिये जाने के बाद कोई तथ्य यहां नहीं रखे जा सकते।

श्री मुकुटबिहारीलाल : स्वस्थ परम्परा रखने के लिये....

श्री गिरधारी लाल व्यास : पॉइन्ट ऑफ आर्डर....

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर है।

श्री गिरधारीलाल व्यास (आसींद) : परम्पराओं के अनुसार हाई कोर्ट के जज के खिलाफ यहां सदन में चर्चा नहीं कर सकते।

श्री रामकिशन : पाइन्ट ऑफ आर्डर का कौनसा रूल है ?

श्री अध्यक्ष : बड़ा साफ है। इनसे मत पूछिये, मैं बता दूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास : अगर किसी हाई कोर्ट के माननीय जज के खिलाफ कोई शिकायत हो तो वहां की जो बेंच है, उसमें अपने अधिकारों का आप प्रयोग कीजिये। विधान सभा में इस प्रकार की कोई शिकायत, कोई चर्चा नहीं कर सकते, जजेज के एक्शन को यहां क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, जजेज की प्रेस्टिज को यहां लोअर डाउन नहीं कर सकते, हमारे रूल्स हैं, उनके भी यह खिलाफ है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : क्या पॉइन्ट ऑफ आर्डर है ?

श्री गिरधारीलाल व्यास : इसलिये मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का डिस्कशन यहां नहीं होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : पाइन्ट ऑफ आर्डर आपका वाजिब है, इसीलिये मैंने इस डिस्कशन को अलाउ नहीं किया है।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : एक पाइन्ट ऑफ आर्डर है, तथ्य सदन के सामने आ जायं तभी राय कायम की जाय।

श्री अध्यक्ष : किस संबंध में ?

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : मैं समझता हूं कहीं समझने में गलती हुई है....

श्री अध्यक्ष : आर्डर, आर्डर प्लीज। समझने में कहीं गलती नहीं है, सारी स्थिति को मैं समझे हुए हूं। इस प्रश्न पर कोई चर्चा मैं अलाउ नहीं करूंगा,

(शोरगुल)

माननीय मुकुटबिहारीलाल जी, स्वयं अच्छे वकीलों में आपका नाम है, उस परम्परा को मत तोड़िये, जूडिशियरी से टकरावट होती है व्यर्थ ही, इस प्रकार पार्टी का प्रश्न यहां लाकर निरर्थक समय न लें।

श्री रामकिशन : ××××

++++

श्री अध्यक्ष : इसको एक्सपंज किया जाय राजनीति का प्रश्न यहां नहीं, एक्स्प्रेशन जजेज का है, उनको यहां नहीं आने दूंगा। आपका कोई भाषण का अंश रेकार्ड पर नहीं आयेगा।

(व्यवधान)

यह मेरी व्यवस्था का कन्वेसिंग है, हाई कोर्ट के जज के आचरण पर भी एस्पर्शन है।

श्री मुकुटबिहारीलाल : ×××

(व्यवधान)

×××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार निकाले गए।

+++ अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण नहीं लिखा गया।

श्री अध्यक्ष : वह आर्डिनेन्स था·····

श्री नत्थीसिंह : ×××

श्री अध्यक्ष : गलत या अच्छा, बुरा या भला, यहां पर विधेयक था ।

यह विधेयक नहीं है, किसी जज के आचरण से सम्बन्धित है ।

श्री मुकुटबिहारीलाल गोयल : ×××

श्री अध्यक्ष : कोई रेकार्ड नहीं किया जाय ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य !

बार बार आप फिर गिर कर उसी पर आ रहे हैं, मुझे दुख होता है कि उसी प्रश्न को जो बड़ा डेलीकेट है, जुडिशियरी का है उसी को पार्टी के नाम पर यहां उठाते हैं ।

(व्यवधान)

मैंने व्यवस्था दे दी है, इस सम्बन्ध में भाषण को अंकित नहीं किया जाय ।

(व्यवधान)

आप समझते हैं मुख्यतः मुकुट बिहारीलालजी, आपकी गुड सेंसेज को अपील करता हूं । यहां की परम्पराएं हैं, जुडिशियरी की बड़ी नम्रता के साथ जजेज के सामने आप अपनी बात रखते हैं, उस जुडिशियरी के लिये यहां पर इस प्रकार की परम्पराएं न डालें ।

श्री मुकुटबिहारीलाल ×××

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज, माननीय मुकुट बिहारीलालजी, प्रोमिनेन्ट एडवोकेट ऑफ दी हाई कोर्ट हैं । स्थान ग्रहण करें । आपकी भाषा अभिव्यक्ति अंकित नहीं की जाय ।

(व्यवधान)

माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें ।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्र

श्री मोहनलाल सुखाड़िया !

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं कम्पनीज अधिनियम, 1956 की धारा 619 (क) के अन्तर्गत, राजस्थान स्टेट होटल्स कारपोरेशन लि०, जयपुर का तृतीय वार्षिक प्रतिवेदन····

श्री नत्थीसिंह : अध्यक्ष महोदय, इससे पहले व्यवस्था का प्रश्न है···

श्री अध्यक्ष : इसके बाद व्यवस्था का प्रश्न । सदन की मेज पर पत्र रखे जा रहे हैं माननीय मुख्य मंत्री खड़े हैं, व्यवस्था का प्रश्न कहां आ जाता है? उसके बाद आ सकता है ।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : एवं 31 मार्च, 1968 को समाप्त होने वाले वर्ष से संबंधित लेखे सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री अध्यक्ष : श्री मथुरादास माथुर !

श्री बृज प्रकाश गोयल : अध्यक्ष महोदय, ····

श्री रामकिशन : मथुरादासजी माथुर कहां हैं ?

×××अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार भाषण नहीं लिखा गया ।

श्री भैरोंसिंह : आन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर। माननीय मथुरादासजी माथुर के नाम पर डिप्टी मिनिस्टर खड़े हो गये, वैसे आप कहेंगे कि .... मिनिस्टर इन्क्लूड्स डिप्टी मिनिस्टर ....

श्री अध्यक्ष : आप मान्यताओं को समझ रहे हैं।

श्री भैरोंसिंह : अभी सेंट्रल पार्लियामेंट में व्यवस्था दी गई है कि जिस मिनिस्टर का नाम पुकारा जाय, वे अगर अनुपस्थित हों तो वे अध्यक्ष को लिख कर सूचना दें कि मेरे कार्य को फलां फलां अंजाम देंगे।

श्री अध्यक्ष : यह परिपाटी माननीय सदस्य ने बताई है, वह ठीक है, यदि कोई मंत्री महोदय नहीं आ सकते हों तो अध्यक्ष को इसकी सूचना दी जानी चाहिये और भविष्य में इस परिपाटी का अनुपालन किया जाना चाहिये।

श्री बृज प्रकाश गोयल : (उप-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफ० 5 (164) एफ० डी० (सी०टी०) 67, दिनांक 9 सितम्बर, 1968 को सदन की मेज पर रखता हूं जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर नियम, 1955 के नियम 59 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष : प्रतिवेदनों का उपस्थापन।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल, जयपुर) : सभापति, याचिका समिति : अध्यक्ष महोदय, मैं याचिका समिति के तृतीय एवं चतुर्थ प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष : विधायी कार्य।

प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय में वृद्धि

श्री जयकृष्ण शर्मा (राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान होमियोपैथिक चिकित्सा विधेयक, 1968 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को वर्तमान सत्र के द्वितीय सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि उक्त विधेयक पर प्रवर समिति की रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिये सेकिन्ड वीक ऑफ मार्च तक समय बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ा दिया गया।

राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1968 पर प्रवर समिति क प्रतिवेदन के उपथास्पना हेतु नियत समय में वृद्धि।

श्री बृज प्रकाश गोयल (उप-मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान नगरीय भूमि कर (संशोधन) विधेयक, 1968 पर प्रवर समिति के प्रतिवेदन के उपस्थापन हेतु नियत समय को अप्रेल, 1969 के प्रथम सप्ताह तक बढ़ा दिया जाय।

श्री अध्यक्ष : प्रश्न यह है कि प्रवर समिति के प्रतिवेदन को अप्रेल के प्रथम सप्ताह तक बढ़ाया जाय।

(स्वीकृत)

समय बढ़ा दिया गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद हेतु समय का विभाजन

इसके पूर्व कि वाद-विवाद प्रारंभ हो, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना

(श्री अध्यक्ष)

चाहता हूं कि समय के विभाजन का हमेशा से संघर्ष रहता आया है और कई माननीय सदस्य बोलने से वंचित रह जाते हैं और कई माननीय सदस्य अधिक समय ले लेते हैं। इसलिए समय का निर्धारण करना उचित है ताकि वाद-विवाद पर नियंत्रण रखा जा सके समय के संदर्भ में। मैं समय को इस तरह से रखना चाहता हूं। 27-2-69 से 5-3-69 तक बहस चलेगी और 6-3-69 को इसका जबाब होगा। टोटल एस्टीमेटेड आवर्स 15। यहां कांग्रेस, स्वतंत्र, जनसंघ, बी० के० डी०, एस० एस० पी०, साम्यवादी व निर्दलीय हैं। तो कांग्रेस 7 घंटे, स्वतंत्र ढाई घण्टे जनसंघ 2, बी० के० डी० 2, एस०एस० पी० 1, साम्यवादी 30 मिनिट और निर्दलीय 30 मिनट। स्वतंत्र दो घंटे 50 मिनट। यह

(विराम)

टेन्टेटिव समय का मैंने विभाजन किया है।

श्री रामकिशन : एस० एस० पी० को कम दिया है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम 4 जनों के लिए 30 मिनट कम हैं।

श्री अध्यक्ष : कांग्रेस के जो 7 घंटे हैं, इनमें जबाब भी शामिल है। जो समय का विभाजन है, उसमें आपत्ति कुछ दलों को, मुख्यतः निर्दलियों को हो सकती है····।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : (हवामहल, जयपुर) : अध्यक्ष महोदय, जो एलाटमेंट समय का आपकी तरफ से किया जाता है, उसमें कई महत्वपूर्ण विषय आपके सामने आते हैं। यह सही है कि हमारे दल में जो कुछ संख्या है उसके आधार पर कम से कम समय निश्चित होना चाहिये। परिणाम यह होता है कि हमारे दल के सदस्यों को बिल्कुल समय नहीं मिलता है और जब मिलता है तो मुश्किल से 5-5 मिनट मिलता है····

श्री अध्यक्ष : मैं इस दृष्टिकोण को रिजिडिटी के साथ नहीं रख रहा हूं। 15 घंटे के हिसाब से मैंने समय का टेन्टेटिव विभाजन किया है। इसका मतलब 4 मिनट इधर और उधर, यह तो इसमें है ही। आप देख रहे हैं कि 5 मिनट कहते हैं, 15 मिनट चले जाते हैं।

श्री नत्थीसिंह : संसोपा को डेढ़ घंटा मिलना चाहिये।

श्री रामकिशन : अध्यक्ष महोदय····

श्री अध्यक्ष : माननीय रामकिशनजी, 15 घंटे का आप विभाजन कर दें।

श्री रामकिशन : हां मैं करता हूं। एक तो निर्दलियों को समय देना लोकतंत्र के लिए नुकसान करना है····

श्री मनोहरसिंह मेहता : ये बोल लें फिर मैं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया।

श्री भैरोंसिंह : निर्दलियों को समय देना लोकतंत्र के लिए नुकसान है तो समाजवादियों को इतना समय देना बिलकुल सत्यानाश करना है।

श्री मनोहरसिंह मेहता : हम 4 सदस्य हैं और 4 के लिए आधा घंटा बहुत कम है। 45 मिनट कर दो।

Page No 43

श्री अध्यक्ष : मैं समझ गया। मुझे भी लगता है कि जो एक साम्प्रदायी सदस्य हैं उनको भी 30 मिनट और आप 4 को भी 30 मिनिट में इसका ख्याल रखूंगा।

श्री गिरधारीलाल व्यास: (आसीन्द) : आपने 7 घंटे में सरकारी रिप्लाई भी शामिल कर दिया है ?

श्री अध्यक्ष : चीफ व्हिप महोदय, आप घंटों को बढ़ा दें। मैं बढ़ा दूं ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : 15 घंटे का आधा तो मिलना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : मैंने टेन्टेटिव प्रोग्राम रखा है उसके बाद वह फ्लेक्सीबल है, उसको बाद में देख लिया जायगा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वादविवाद

श्री हरिप्रसाद शर्मा !

श्री दुर्गालाल बाढ़दार: पाइंट ऑफ आर्डर।

श्री अध्यक्ष : जब चेयर अपने पैरों पर है तो·····

श्री रामकिशन : श्री बाढ़दार की आपत्ति हम समझ गए। वह कहते हैं कि उनके दल के लिए समय कम है लेकिन जब उनके दल की संख्या निश्चित नहीं····

श्री अध्यक्ष: श्री हरि प्रसाद शर्मा।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : व्यवस्था का प्रश्न है। इस सदन में गृहमंत्री द्वारा यह आश्वासन दिया गया था कि बेरी आयोग की रिपोर्ट जो अंग्रेजी में राज्य सरकार के पास उपलब्ध है वह·····

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे बात कर सकते हैं यह पाइंट ऑफ ऑर्डर नहीं है। इन्फोरमेशन का सवाल है। अब आप डिस्टर्ब मत करें। आपका पॉइंट ऑफ ऑर्डर कहीं नहीं जायगा। मैं यहीं बैठा हूं।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : एक और व्यवस्था का प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, राजपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो सदन के समक्ष आ रहा है इसी संदर्भ को लेकर मैं संविधान के अनुसार पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज करना चाहता हूं। यह डिस्कशन संविधान की धारा 174 के तहत राज्यपाल महोदय के नाम पर राज्य सरकार के सारे कार्य, व्यवहार, एग्रीमेंट्स, सब पर बोलेंगे। राज्यपाल राज्य के एग्जीक्यूटिव हैड हैं। यह बड़ा गंभीर और महत्वपूर्ण प्रश्न है। राज्य का जो कारोबार है जो व्यापार लाटरीज का राज्य सरकार के द्वारा किया गया है, वह सारा कारोबार भी राज्य सरकार के द्वारा संचालित है और राज्यपाल महोदय उस कारोबार को करने में एक पार्टी हैं। संविधान की मर्यादाओं के पालन की दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय ने इस कारोबार को सारे राज्य में अपने नाम पर चलाया, जिन लोटरीज के टिकटों को जनता ने खरीदा उसका सबसे पहला टिकट खरीदने वाले व्यक्ति राजस्थान के राज्यपाल हैं। इसका परिणाम यह होगा कि राजस्थान के राज्यपाल महोदय चूंकि जिस ट्रेड को स्वयं करते हैं। उसी ट्रेड में वह स्वयं पार्टी नहीं हो सकते और ऐसी अवस्था में उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद प्रस्ताव पास नहीं करना चाहिये····

श्री अध्यक्ष : आर्डर आर्डर··

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : उस पर वाद-विवाद नहीं किया जा सकता।

श्री अध्यक्ष : रूल आउट श्री हरिप्रसाद शर्मा।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव और उस पर वादविवाद

श्री हरिप्रसाद शर्मा (मन्डावर) : मेरा प्रस्ताव है कि इस सत्र में समवेत विधान सभा के सदस्य, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने कृपापूर्वक सदन में दिया है, अत्यन्त कृतज्ञ हैं।

अभिभाषण में राज्यपाल महोदय ने जहां राज्य के सामने आई हुई भीषण व विषम समस्याओं को हमें अवगत कराया, वहां साथ ही साथ राज्य सरकार ने इन विषम समस्याओं का किस साहसपूर्वक और कितनी सफलता से सामना किया उसका भी हमें अवलोकन कराया। आज यह हमारे लोगों में से किसी से छिपा नहीं है कि पिछले पांच वर्षों से हमारा देश, और राजस्थान के लिये विशेषतौर से कह रहा हूं किन दिक्कतों से गुजर रहा है। सिवाय एक फसल के 67-68 की फसल के अलावा बराबर ही एक अभाव की स्थिति चली आ रही है। इसके अलावा कुछ हमारी विशेषतायें रहती हैं। जो डाइरेक्टली और इन्डाइरेक्टली हैं, जैसे चीन से युद्ध हुआ, पाकिस्तान से युद्ध हुआ, उनके इन्डाइरेक्ट इम्प्लीकेशन्स हुए हैं। उनसे हमारी समस्यायें घटी नहीं बढ़ी हैं।

अध्यक्ष महोदय, जो भी राज्यपाल महोदय ने और राज्य सरकार ने प्रयास किये हैं उनकी काफी झलक अपने भाषण में दे दी है। लेकिन मैं आंख मीच कर उन आंकड़ों को दोहराऊंगा नहीं। मैं समझता हूं कि ऐसी डिबेट में जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो तो सदन के सामने ऐसे अवसर आते हैं कि पिछले साल राज्य सरकार ने क्या किया उसका लेखा जोखा, अगले वर्ष में किस दिशा में क्या पोलिसी वे फौलो करना चाहते हैं उसका संकेत होता है। यह समय ऐसा होता है कि जब सदन के लिये उसके ऊपर यदि मैं यह शब्द प्रयुक्त करूं तो अत्युक्ति नहीं होगी कि जिम्मेदारी और ईमानदारी से विचार करने का समय होता है। मैं राज्य सरकार के सारे कार्यों को आंख मीच कर डिटो नहीं करूंगा जैसा मैंने पहले ही निवेदन कर दिया लेकिन एक बात जो मैंने अभी कही उसको दोहराऊंगा कि जो एक मीनींगफुल, अर्थपूर्ण क्राइटेरिया हो जज करने का, राज्य सरकार ने क्या किया, कहां तक उसको सफलता मिली और कहां तक असफलता मिली। उसके अन्दर हम राज्य सरकार की विशिष्ट मजबूरियां और उनके रिसोर्स के लिमिटेशन इत्यादि सब बातों को पूर्ण तौर से नहीं देखेंगे तब तक मेरा निवेदन है कि मीनिंगफुल, अर्थपूर्ण कान्ट्रिब्युशन इस डिबेट में नहीं कर पायेंगे।

वैसे तो मैं पहले ही कह चुका हूं कि राज्यपाल महोदय ने सारे आंकड़े रख दिये सारी एक्टीविटीज डेसक्राइब कर दी लेकिन मैं चाहता हूं उन सवालों का जवाब जो सवाल इससे खड़े हों उनका जवाब दें हीं लेकिन सरकार एक कदम आगे जाय और जो फन्डामेंटल सवाल देश के सामने है, केवल हमारे सामने ही नहीं है, जो आज से बीस साल पहले आजादी हासिल की गांधीजी और जवाहरलालजी ने देश के सामने एक रास्ता बताया कि यहां के भारतीय नागरिक को मिनिमम वेजेज जिससे उसका गुजर बसर हो सके उसके माने में हमने क्या प्रगति की, मैं समझता हूं उन सवालों पर भी विचार होना चाहिये।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

पर आज राजस्थान की जो भी समस्यायें हैं उनको किसी भी दृष्टिकोण से, किसी भी विचार प्रणाली से किसी भी तरीके से देखें तो एक सबसे बड़ी समस्या जिसका शुरु से आखीर तक ध्यान रखना पड़ेगा वह हमारे सामने अकाल की स्थिति है। अकाल के ऊपर कल भी चर्चा हुई और जो जो आंकड़े हैं और रिलीफ वर्क्स हुए हैं मैं उनको जैसा मैंने कहा कि आंख मीच कर नहीं दोहराऊंगा लेकिन विकास के कार्यों में उसके कारण रुकावट पड़ी है जिससे आगे के प्लानिंग में रुकावट आ रही है थोड़ी सी बातों को लेकर मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सबसे पहले अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि यह अकाल की स्थिति आयी है वह साधारण मानसून के फेल होने की स्थिति नहीं थी। मानसून आया और जल्दी वापस चला गया और पानी पुनः नहीं बरसा। यह स्थिति पांच–चार साल की कम्युलेटेड स्थिति थी। एक साल की यह स्थिति होती कि पानी न बरसने के कारण यह कमी हो गई तो राज्य सरकार कहीं ज्यादा सहूलियतों से इसका मुकाबला कर सकती थी। इसलिये हमारे सामने जो स्थिति है वह एक साल की स्थिति नहीं है। पांच–सात साल और कहीं कहीं तो नौ–नौ साल तक वर्षा नहीं हुई है। उसका जो कम्युलेटिव इफेक्ट हो रहा है उस स्थिति का सामना करने का प्रश्न है। केवल 67-68 की फसल को छोड़ कर, मेरे ख्याल से मैं ज्यादा दूर नहीं जा रहा हूं, उसको छोड़ कर करीब करीब अभाव की स्थिति में ही पांच साल चलते रहे हैं। पांच साल की अभाव की स्थिति पूरी हो ही नहीं पायी थी कि मानसून शुरु हो गया तो बाढ़ और भीषण वर्षा के प्रकोप का हमें सामना करना पड़ा। झुंझुनू और सीकर तो मुझे जाने का मौका नहीं पड़ा, मैं अपनी कमी को महसूस करता हूं। लेकिन मेरे सामने और दूसरे माननीय सदस्य जो वहां नहीं गये, उनके सामने झुंझुनू–सीकर की तस्वीर यह है कि वहां पर रेत के टीबे हैं और वहां पर कोई चीज पैदा नहीं होती है और हमेशा वर्षा के अभाव की स्थिति वहां बनी रहती है लेकिन उन जिलों में बाढ़ का प्रकोप आया और भयंकर रूप से आया यह सदन के सामने रखना चाहता हूं। वर्षा के अभाव की स्थिति थी ही लेकिन जो जिले हमेशा से अभावग्रस्त रहे हैं वहां पर भी बाढ़ का सामना करना पड़ा। बाढ़ से नुकसान सीकर–झुंझुनू में ही नहीं हुआ भरतपुर, अलवर और अन्य जिलों में भी हुआ। जो भी साधन थे सारे के सारे इस बाढ़ का जो चेलेंज आया उसका मुकाबला करने में लग गये। हम समझते थे कि बाढ़ आती है उसके बाद एक फसल खराब होती है लेकिन दूसरी फसल में एक काफी तरीके से कम्पन्सेशन हो जाता है। लेकिन एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हमारे लिये रही कि बाढ़ का प्रकोप खत्म हुआ तो करीब 2 सारे राजस्थान में वर्षा बन्द हो गयी और राजस्थान के सारे रिसोर्सेज जिनको विकास के अन्दर खर्च किया जा सकता था और राज्य सरकार के सामने बहुत बड़ी जिम्मेदारियां जो कभी खत्म नहीं होने वाली हैं, उन सबको छोड़ कर राजस्थान की सारी शक्ति इस चलेंज को मीट करने में लग गयी।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

अध्यक्ष महोदय, कल मैंने सारी डिबेट तो नहीं सुनी । माननीय रामकिशनजी ने जो कुछ भी कहा उसको सुना, माननीय भैरोंसिहजी ने कहा उसको भी सुना। उन्होंने इस प्रोग्राम में कमियां निकालीं। उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रकृति के प्रकोप के कारण फेमीन नहीं था यह केवल कांग्रेस का बनाया हुआ प्रकोप था। कुछ माननीय रामकिशनजी बुरा न मान तो उन्होंने वह शब्द यूज किया कि इन्द्र की वजह से नहीं इन्द्रा की वजह से यह था । जरा सोशलिस्ट पार्टी वाले मुझ क्षमा करेंगे, मैं डाइरेक्टली ही कह रहा हूं, इतना बड़ा चलेंज, इतनी बड़ी भीषण जिसे स्टुपेन्डस कैलमिटी ही कह सकते हैं, उसके लिये उन्होंने एक कारण बताया और वह यह बताया कि कांग्रेस के कारण ही सारी जगह पर अकाल की स्थिति बन रही है। जहां तक सोल्यूशन का सवाल है उन्होंने एक या दो सुझाव दिये हैं । पहला तो यह था कि भरतपुर से जो चारा भिजवाया गया था। उसके बारे में जो चिट्ठियां चीफ मिनिस्टर को दीं, उसका जवाब नहीं दिया गया । दूसरा उन्होंने कहा कि, मथुरा वृंदावन के लोग गायों के लिये बहुत मदद देने को तैयार थे, उसके बारे में भी चिट्ठी दी थी उसका भी जवाब नहीं दिया गया। उनका यह मानना है कि वहां की जनता इसमें बहुत योगदान देती । मैं नहीं समझता चीफ मिनिस्टर द्वारा चिट्ठी का जवाब देने या न देने से इसमें क्या अन्तर आता है लेकिन जिस विचार प्रणाली के वे प्रतीक हैं उनके तर्क का जो ढंग है उसीके अनुसार उन्होंने उसको लिया है । मैं उनसे विनीत स्वर में कहना चाहता हूं कि ऐसे हल्के तौर से कह देने से हमारी समस्याओं का समाधान होने वाला नहीं है ।

भैरोंसिहजी ने अकाल की स्थिति के बारे में कई बातें बतायीं उनको राज्य सरकार को चाहिये कि जिन जिन खामियों की ओर उन्होंने इशारा किया है, उनके निवारण के उपाय किये जाने चाहिये । हमारे आगे का टाइम खराब आने वाला है हमारी जो भी गल्तियां रही हैं, उसके बारे में कन्सट्रक्टिव ढंग से जो जो गल्तियां बतायी हैं उनके बारे में हम सोचें और उनको दुरस्ती करें। मैं एक बात शुरु से ही कह रहा हूं कि राज्य सरकार जो भी कर सकती थी वह किया है और जो उनके पास सोर्सेज अवेलेबल थे उसी दायरे में वह कर सकेगी और किया है। इस साल में अतिवृष्टि और अनावृष्टि से जो हमारे प्रान्त में स्थिति उत्पन्न हुई वह अभाव की स्थिति अब तक भी बनी हुई है। आज भी हमारे प्रदेश के 26 जिले अभावग्रस्त हैं । 65-66 में जो अकाल पड़ा था उसमें करीब 11 हजार गांव अकाल से पीड़ित थे लेकिन इस वर्ष के अकाल से 23 हजार गांव प्रभावित हैं । हमारे प्रान्त की 1 करोड़ 32 लाख की आबादी पर इसकी छाया पड़ी हुई है । आगे आने वाले दिनों में यह और भी ज्यादा भयंकर स्थिति हो सकती है, इसको भी हम मानकर चलना है। आने वाले समय में भी राज्य सरकार इससे आंख मीच कर नहीं रह सकती । इसी संदर्भ में मैं राज्य सरकार की और मुख्य मंत्री की मैं खुले दिल से प्रशंसा करना चाहता हूं उनकी फोरसाइटेडनेस की दाद देना चाहता

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

हूं, पर्सनली मुझे गत तीन-चार महीनों में चार-पांच मर्तबा मुख्य मंत्रीजी से मिलने का मौका आया है, इनसे बात करने पर ऐसा पता चलता था कि उनके दिल में इस गहन समस्या का कितना असर है। अध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं सदन में राजनीति के आधार पर बातें की जाती हैं, मैं देखता हूं मुख्य मंत्रीजी पर रीजनल प्रेशर की बात कही जाती है, यहां पर अकाल की स्थिति पर भी बढा चढा कर बातें की जा रही हैं इस पर भी मुझे थोडी शिकायत है। हमारे दक्षिण पूर्वी जो जिले हैं, प्लान के अन्दर जो एलोकेशन है जिसका शेयर नहीं मिला। इस तरफ सरकार की जो उदासीनता है वह समझ में नहीं आती। इस कोन्टेक्सट में मैंने चीफ मिनिस्टर से बात की जहां जहां भी पैसा लगाने की बात है, हमने लगाया है अगर हम उस समय सुस्ती कर जाते तो इस अकाल की और ज्यादा गहनता हो जाती जो आज से यह समस्या बीस गुना ज्यादा गहरी हो जाती। मुझे याद है जब यह स्थिति हमारे प्रान्त में होने वाली थी उस समय चीफ मिनिस्टर साहब ने सारे जिलों के कलेक्टर्स की एक मिटिंग 31 अगस्त को बुलाई, उस मिटिंग में जो अकाल की भयंकरता आने वाली है उस बारे में हर कलेक्टर को निदेश दिये अभाव की स्थिति का किस प्रकार से सामना किया जा सकता है। इस बारे के सारे आंकडे आ चुके हैं मैं उनको फिर से दोहराना नहीं चाहता। इस अकाल के कार्य में हम अब तक 19 करोड रूपया खर्च कर चुके हैं। 20-22 करोड से और ज्यादा खर्च और भी करना पड सकता है। अगर जुलाई के अन्दर ठीक समय पर वर्षा नहीं हुई और जो अब हमने इस अकाल के सम्बन्ध में खर्च किया उससे कुछ फायदा हुआ या नहीं यह पूछने का अधिकार हो जाता है अथवा वह खर्च प्लान के मुताबिक हुआ या नहीं हुआ। इसके इम्पलीमेंटेशन के अन्दर तो कोई कमी नहीं रही। [illegible]

अध्यक्ष महोदय, प्लानिंग का जहां तक सवाल आता है मैं इस विषय पर हृदय खोलकर कहना चाहता हूं कि अपनी सारी राजनीति को भूलकर, अपोजीशन के माननीय सदस्यों को, जो सरकार द्वारा प्रयास किये गये खुले दिल से उनकी सराहना करनी चाहिये। जब हमारे सामने एक नेशनल केलेमिटी विद्यमान है उस हालत में हमें राजनीति से ऊपर उठ कर विचार करना चाहिये। भेरोसिंहजी जो अभी यहां नहीं हैं, उन्होंने सही स्थिति बताई क्योंकि वे खुद होकर आये हैं। ऐसे ऐसे इलाके हैं जहां आठ और दस साल से पानी नहीं पड़ा है। ऐसी अभाव की स्थिति में जिस प्रकार से राज्य सरकार ने मुकाबला किया दरअसल वह प्रशंसनीय है, यह मैं मजबूती से और दृढता से कहना चाहता हूं। [illegible]

मैं यह नहीं कहता कि सरकार की तरफ से गलतियां न हुई हों लेकिन जितना भयंकर अकाल है, उसको देखते हुए यह संभावना भी है, यह मैं भी कहता हूं कि इस अकाल की स्थिति में भी भूख से कोई नहीं मरा। आज हमारे डेटा कलेक्ट करने का जो मेथड है उसके बारे में मैं केटेगोरिकली कह सकता हूं कि इसके बारे में जिम्मेवारी से कोई नहीं कह सकता। जहां तक हमारी निगाह का सवाल है हमारे निगाहों में भूख से किसी भी आदमी की मृत्यु नहीं हुई।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

यह भी कहा जाता है कि मेल न्युट्रिशन के कारण काफी मृत्यु हुई है। इसके बारे में मैं यह कह सकता हूं कि हमारी विधान सभा में 184 माननीय सदस्य है, उसी प्रकार हमारे प्रान्त की सवा दो करोड़ की आबादी है उसमें मेल न्युट्रिशन ऐसी समस्या है समाज के सभी वर्गों को जिनमें जो ज्यादा से ज्यादा पैसे वाले भी क्यों न हों सबमें कुछ न कुछ मेल न्युट्रिशन की कमी रहती ही है, उसी प्रकार से आप सारे राजस्थान की जनता की विवशताओं का भी समाधान निकाल सकते हैं। हमारे घर में भी बच्चों में मेल न्युट्रिशन की समस्या होती है तो इस प्रदेश में जहां पर सात-आठ साल से पानी नहीं बरसा हो वैसी हालत में मेल न्युट्रिशन की समस्या हो सकती है और उसके कारण जीवन हानि भी हुई हो, इस आधार पर मैं यह मानने को तैयार हूं इस प्रकार से यह हानि हो सकती है।

हमारे इस देश के अलावा भी इजराइल जैसे आधुनिक विकसित देश में जहां पर अरब रिफ्यूजीज हैं, जिनके लिये सारी दुनियां से बहुत बड़े फण्ड की व्यवस्था है थोड़े से एरिया में जिनके लिये परमानेन्ट रहने के लिये टाउनशिप बन गया है वहां पर भी मेल न्युट्रिशन से भी मृत्युएं होती हैं। यहां राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है है कि यहां पर भी मेल न्युट्रिशन के कारण जो भी मृत्यु हुई हैं उनके बारे में सफाई करनी चाहिये जो भी सरकार की खामियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिये। यह इतनी बड़ी प्रोब्लेम है कि हमारे राजस्थान सरकार के रिसोरज से हल होने वाली नहीं।

(1 म० प०)

अध्यक्ष महोदय यह सुझाव दिया गया कि ट्यूबवेल्स क्यों नहीं बनाये गये। 500 ट्यूबवेल्स की स्कीम पहले से बन जानी थी। मैं समझता हूं अगर पहले से ही स्कीम बनती है तो वह 1,000 ट्यूबवेल्स की बनती, 500 की ही क्यों बने। और जो आसपास के लोग हैं उनको भी पानी की सहूलियत हो। कोई भी जो जिम्मेदार आदमी है, जिनके ऊपर कि जिम्मेदारी है, मैं यह नहीं कहता कि कांग्रेस पार्टी की ही जिम्मेदारी है, अनेक जगह गैर-कांग्रेसी सरकारें हैं उनके सामने रिसोर्सेज के मोबीलाइजेशन का सवाल आता है। अर्थव्यवस्था कितना परमिट उनको कर सकती है, आखिर इसको भी ध्यान में रख कर चलना होता है। यह स्कीम बहुत अच्छी है, यही वह कर हम चलना चाहते हैं।

अकाल की स्थिति जो बराबर बढ़ रही है, यह आज की नहीं है। 50-51 में भी थी। सैंकड़ों-हजारों साल पहले भी यह समस्या थी। जब हमारे सामने हर साल यह स्थिति बनी रही तो इसका कोई न कोई स्थायी सोल्यूशन निकालना चाहिये। लेकिन मजबूरियां ऐसी हैं कि टेम्परेरी रिलीफ भी देना पड़ता है। आज की स्थिति में जो भी कोई जिम्मेदार है, अपोजिशन में जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं, वे इस स्थिति के अन्दर यह नहीं कह सकते कि जो टेम्परेरी रिलीफ मेजर्स लिये गये थे, वे नहीं लिये जाने चाहिये थे। ट्यूबवेल्स लगाना जरूरी था किन्तु जो इमीजियेट करना था उसमें टेम्परेरी रिलीफ मेजर्स रखना जरूरी था। मैं मानता हूं कि इसमें गल्तियां, इनके इम्पलीमेंटेशन में थोड़ी बहुत जरूर गल्तियां रही होंगी। आज हम जानते है कि समाज की जो स्थिति है,

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

हमारे कर्मचारी वर्ग का जहां तक ईमानदारी का स्टेन्डर्ड है, उसमें यह हो सकता है। मेरा निवेदन करना यही है कि टेम्परेरी रिलीफ में केवल सड़क बनाना ही नहीं है। इसके लिये इतनी बलेक-व्हाइट लाईन नहीं खीचें। अध्यक्ष महोदय, इसमें दो प्रश्न आ जाते हैं। एक तो वहां की जनता को किस प्रकार का रिलीफ दिया जाय और दूसरा वहां के पशुधन का सवाल है। आदमियों के लिये जो कुछ भी किया जा सकता था, वह उनके लिये किया गया है। उनके लिये अनाज इक्ट्ठा किया गया। पानी पीने के लिये ट्यूबवैल्स जहां कहीं खोदे गये। गवर्नमेन्ट आफ इंडिया ने 60 ट्यूबवैल्स दिये और इसमें कहा गया कि 24 वैल्स बनें। लेकिन इसके अन्दर मुझ भी एक शिकायत है। वह मुझे अकाल मन्त्री जी, खाद्य मन्त्री जी, बताने की कृपा करेंगे। 60 वैल्स में 24 वैल्स बन गये किन्तु इसमें भी सिर्फ 2 ट्यूबवैल्स ही इनरजाईज हुए हैं। यह क्यों? जब इतनी भयंकर स्थिति चल रही है तब ऐसा क्यों हुआ? यह गलत है। 60 ट्यूबवल्स के 24 बनते हैं और उसमें दो ही इनरजाइज क्यों होते हैं? इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ है। दूसरा आई० सी०टी०पी० के दस ट्यूबवेल्स का प्रोग्राम है बीकानेर के अन्दर वह हो चुका है। ई० टी० ओ० के 250 ट्यूबवैल्स में 140 ट्यूबवैल्स हो चुके हैं और उसमें से 126 ट्यूबवैल्स सक्सेसफूली इनरजाईज हो चुके हैं। इसको मैं बहुत बुरी परफामन्स नहीं मानता।

साथ ही साथ हमें यह भी देखना है कि इससे इस साल की हमारी अर्थव्यवस्था नहीं बिगड़े। आगे आने वाले साल के ऊपर इसका क्या असर पड़ेगा और इसके लिये आप क्या कदम उठाने की सोचते हैं। जितना आप में इन्थुजीयाज्म है और जिस तरीके से आप इसमें लगे हैं उसी तरह से आप आगे आने वाली समस्या के सुलझाने के बारे में भी सोचें।

माइग्रेशन की जैसी कि स्टेटिसटिक्स है, वह पांच जगह की हैं। अकाल की स्थिति सबसे ज्यादा तीव्र जहां रही है उस इलाके की पशु संख्या 60 लाख है। इस इलाके में जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर और बीकानेर जिले हैं। इन इलाकों के 60 लाख पशुओं में 20 लाख गायें ही गायें हैं। अगर हम यह समझ लें कि इन गायों में से 5 लाख गायें इधर उधर भेज देते हैं, तब भी गवर्नमेन्ट के पास जो रिसोर्सेज है उसमें 15 लाख गायें उधर के इलाके में रह जाती हैं। इनके चारे के लिये हम केलकुलेशन लगायें और प्रति दिन एक एक गाय को कम से कम 6 किलो चारा दिया जाता है तो 7000 टन चारा रोज का हुआ। यह तो उनको मीनिमम स्टेन्डर्ड पर पड़ेगा। इसके लिये 400 वैगन्स एवरीडे वहां पहुंचनी चाहिये। इसके साथ प्रोक्योरमेंट की प्राब्लम है। भरतपुर, मध्य प्रदेश में ब्रॉडगेज, मीटर गेज है, उसमें यह बाटलनेक है। दरअसल इस फेमिन के अन्दर क्या क्या डिफिकल्टी आयेंगी यह गवर्नमेन्ट को और हमको भी मालूम नहीं था कि हमको एवरीडे ट्रांसशिपमेन्ट की इस समस्या से उलझना पड़ेगा। इसका इमीजियेटली हल हमारे हाथ में नहीं था जिसका कि हमारे अकाल सहायता मन्त्री आर्डर करके हल निकाल लेते। यह बड़ी दिक्कत है। अध्यक्ष महोदय, साथ ही साथ इसमें कुछ दिक्कतें और आ गई। कल माननीय श्री भैरोंसिंह जी ने एक बात कही। वे जब इस सदन में बोलते हैं तो मैं उनकी बात बड़े सम्मान के साथ सुनता हूं। उन्होंने

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

जोधपुर राज्य की तारीफ की कि वहां पहले से ही अकाल की समस्या के हल के लिये जगह पाबंद हो जाती थीं। गांव के गांव अपाइन्ट हो जाते और निश्चित गायें वहां चरती थी और इस तरह अकाल राहत का कार्य बड़ी आसानी से हल हो जाता था। मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या आप उस स्थिति में जाना चाहते हैं? वह तो एक आथोरिटेरियन तरीका था। हुक्म हो गया कि इस गांव मे 10 गायों की केपिसिटी है, वहां 10 गायें रहेंगी। 1000 रहेंगी तो वहां 1000 गायें रखी जायेंगी। इससे कम गायें वहां नहीं रहेंगी। आज जो हालात हैं, इसको उस रूप में देखें। क्या यह आज हो सकता है? अलवर का एक एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं। वहां एक बड़ा भारी एरिया शिकार करने के लिये रोक लिया गया। वह सारा का सारा एरिया करीब 400 स्क्वायर मील का खाली करवा लिया गया और कई ढाणियां हटवा दीं महज शिकार का शौक पूरा करने के लिये। यह इतिहास की चीज़ है। इसको लेकर मैं कोई छींटा कशी नहीं करना चाहता। यह तो एक अथोरिटेरियन तरीका था। आज की गवर्नमेन्ट इस तरीके से नहीं चल सकती। पहले आज जैसी सारी चीजों का सवाल नहीं था जो हुकुम हो गया वो हो गया। उसमें किसी चीज को लेकर शोरगुल नहीं होता था। आज की गवर्नमेन्ट इसके लिये, गायों के चरने के लिये एरिया के एरिया पहले से स्पेसीफाई नहीं कर पायी।

अध्यक्ष महोदय, इस विषय के ऊपर जो हमारी दिक्कतें हैं, आगे भी आयेंगी। वे सबकी सब इस अकाल और अभाव की वजह से चल रही हैं। लेकिन यह तो हम मानकर चलें और यह आशा लेकर चले कि यही स्थिति अब इमीजियेटली नहीं दोहराई जायेगी आज भी यह विश्वास के साथ हम नहीं कह सकते हैं कि अगली जुलाई में फिर वर्षा टाइमली हो जायेगी। इसलिये यह सोचकर चलना होगा कि जो समस्याएं हैं, उनका स्थायी तौर पर हल निकालना हैं। अगले 4-6 महीने जो आ रहे हैं, उनका हम किस तरह से मुकाबला करें पर इसके बाद राजकीय और काम हैं। वकास की चीजें हैं अन्य चीजें हैं जिनमें इतनी दिक्कतों के रहते हुए भी प्रगति हुई है। मैं समझता हूं कि उनको भी हमें देखना चाहिये।

अकाल का आसान हल आज यह है कि हमारा एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन बढ़ाया जाय। जब भारत आजाद हुआ तो दूसरे देशों की समृद्धि का चित्र हमारे बड़े बड़ नेताओं और योजना निर्माताओं के सामने था और उसी के अनुरूप तरक्की करने के विचार से प्रारम्भ में बड़ी बड़ी योजनाओं में देश के इन्डस्ट्रिलाइजेशन को प्राथमिकता दी गई। उस वक्त किसी के ध्यान में यह नहीं आ रहा था कि एग्रीकल्चर को उससे भी ऊंची प्राथमिकता दी जाय। इसके लिये अगर उस समय की प्लानिंग को गलत कहा जावे तो यह उस वक्त की पृष्ठभूमि को नहीं समझने जैसा होगा। हालां कि उस वक्त भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी बराबर यह प्रस्ताव पास करती रही कि खाद्य समस्या के हल की तरफ भी बराबर ध्यान देना चाहिये। पर मुझे इसके अन्दर डाउट है कि इसकी गम्भीरता को लोग उस समय समझ पाये हों। किसी को भी इसका पूर्ण रूप से ज्ञान नहीं था।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

आगे जाकर कोई तीसरी प्लान में इसको महसूस किया गया कि विकास कामों को वैलेन्स्ड रूप में चलाना है तो खाद्य समस्या को प्रायोरिटी देनी होगी।

(1.12 म० प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष पदासीन)

यह मेरे खयाल से 62 के चीनी आक्रमण के समय और 65 में पाक आक्रमण के बाद अधिक रूप से महसूस किया गया। क्योंकि उस समय अमरिका ने भी यह कह दिया था कि खाद्यान्न वह उन्हीं को भेजेगा जो अपने रिसोर्सेज बढ़ावेगा। इसको हमने अपने आन्तरिक मामलों में दस्तन्दाजी समझा और अपनी सोवेरेनिटी पर चोट मानी। इसका इन डायरेक्ट इफेक्ट यह हुआ कि सारे देश ने समझा कि एग्रीकल्चर प्रोडेक्शन में हमें आत्मनिर्भर हो जाना चाहिये। हमारे यहां 72 परसेन्ट आदमी जमीन पर लगे हैं और नेशनल इन्कम में 50 परसेन्ट का उनका कन्ट्रीब्यूशन हैं। इसके अलावा जो भी इण्डस्ट्रीज हैं मिनरल बेस्ड को छोड़कर वे भी सारी किसी न किसी रूप में एग्रीकलचरल प्रोग्रस पर बेस करती हैं। स चीज को महसूस करके सरकार ने सेन्ट्रल लेवल पर और स्टेट लेवल पर एग्रीकल्चरल प्रोग्राम की एजेन्सी को प्रायोरिटी दी। तो जैसा कि सबको जाहिर हैं एवीएट इससे थोड़े जरूर हुए पर मार्जिनल ही इसे कहना चाहिये, टेकनिकल ब्रेक थ्रू के जरिये एग्रीकल्चर म प्रगति हुई। मैं अपने को गौरवान्वित समझता हूं कि हिन्दुस्तान आज इस लाइन पर खड़ा है। एक तरफ उसे एग्रीकल्चर में सेल्फ सफीसियेंसी हासिल करनी है और दूसरी तरफ इण्डस्ट्रियल प्रोग्रेस का क्रम भी जारी रखना है। देश के सामने यह बहुत बड़ी ट्रेजेडी होगी अगर आज की यह अनुकूल स्थिति उपलब्ध होते हुए भी इस स्थिति को हम नहीं सम्भाल पाये। आज रीअली हम ब्रेक थ्रू के पोइन्ट पर हैं। कितनी बार हम अपने विघटन और कमजोरी की बात करते हैं। हर वक्त अपने प्रयासों को नीचे गिराने का प्रयास करते हैं। पर अगर हम अपने प्रोग्रामों को योजनाओं को पूरी तरह से आगे बढ़ावें तो मैं विश्वास से कह सकता हूं कि हिन्दुस्तान, इतनी बड़ी समस्याओं के सामने होते हुए भी, उनको हल करते हुए आगे जा सकता है। अभी तक सफलता हमारे दायरे मे है। सन् 50 में हमारा फूड प्रोडक्शन 50 मिलियन टन था जो बढ़ कर 67-68 में 96 मिलियन टन हो गया है। अब नया हमारा टारगेट 71-72 तक 120 मिलियन टन का है। आज बहुत से यह डाउट करते हैं कि यह पूरा हो पावेगा या नहीं। आज हम हर चीज को विघटन के तरीके से देखने लगे हैं वे इसमें भी सन्देह की दृष्टि से देखेंगे। वे यह भी नहीं मानेंगे कि हम पचास से 96 पर पहुंच चुके हैं। पर आज जो फेसीलेटी हैं हाई ब्रीड सीड की, फरटीलाइजर्स की, पेस्ट कन्ट्रोल करने वाले पेस्टीसाइड्स की दवाइयां हैं, बैंक की क्रेडिट फेसीलिटीज हैं ये सारी फेसीलिटीज ऐसी चीजें हैं जो हमें इस ब्रेक थ्रू के कगार पर से हटाकर प्रगति की तरफ ले जा सकती हैं।

स्टेट के फूड मिनिस्टरों ने और सेन्टर के फूड मिनिस्टर ने मिलकर यह फैसला किया है कि इस प्रोग्राम पर चल कर वे 71 तक सेल्फ सफिशियन्सी हासिल कर लेंगे एग्रीकलचर प्रोडक्शन में।

Page No 52

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

अब इस प्रोग्राम को पूरा करने के बीच में, हालांकि राजस्थान में अकाल की स्थिति आई, पर साधारण तौर पर कहीं कहीं अकाल के ये दौर भी आते रहेंगे, यह तो मानकर चलना पड़ेगा, पर फिर भी नार्मल स्थिति भी चलती रही और यह प्रोग्राम लेकर हम उस पर अमल करते रहे तो मेरा पूरा विश्वास है कि 120 मिलियन टन का टारगेट हम अचीव करके रहेंगे। इसके अन्दर इन्टेसिव कल्टीवेशन लगा हुआ है। देश के सामने फर्टीलाइजर और हाइब्रीड एग्रीकल्चरल है इसको वहीं इस्तेमाल किया जाय जहां पर ओपटिमम रिजल्ट मिल सकें। बजाय इसके सारे देश में बराबर बांट लें जहां से बेस्ट रिजल्ट मिल सके उन उन जगह इसको लगायें। पिछले सालों में जो रहा है उससे अन्दाज लगा कर चलें तो यह टारगेट प्राप्त करना कोई मुश्किल नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे फर्टीलाइजर की समस्या आ रही है पर इसका भी हमें विश्वास है जिस प्रकार की प्रगति पर चल रहे है—9 कारखाने खुले हैं और खुलने वाले हैं और जो इम्पोर्ट हो रहा है उसकी कमी से यह वंचित नहीं रहेगी। परन्तु, उपाध्यक्ष महोदय जहां इस समय रोजी, तस्वीर खींच रहा हूं मतलब वह समस्या हल होने वाली है। आगे के लिये सरकार और सोचे और जागरुक रहे। स्वाइल का अगर ठीक तरीके से एग्जामिनेशन लेकर नहीं चले तो ठीक नहीं होगा। मिनरल रिसोर्सेज कम हैं, जहां जितना फर्टीलाइजर डालें उससे उसकी पूर्ति नहीं होने वाली है। अमेरिका है वहां भी फर्टीलाइजर डाले गये हैं, कुछ साल फसलें जोरदार हुईं लेकिन बाद में सारा का सारा डेसट्राय हो गया। केमिकल फर्टीलाइजर चाहे जितना डालें उनका आगे बढ़ने का रास्ता बन्द हो गया। आज नई नई चीजें जो किसान को मुहैया कराई जा रही हैं उससे राजस्थान सरकार को जागरुक होना चाहिये कि उसको सही तौर से निगाह में लायें।

दूसरे, उपाध्यक्ष महोदय जो अगले 5-7 साल में इम्पोरटेन्स रखने वाले हैं वह है एग्रीकल्चर रिसर्च का सवाल है। तरह तरह की नई समस्यायें खड़ी हो रही हैं, फर्टीलाइजर, नाइट्रोजन, पोटाशियम परमेगनेट, माइक्रो-न्यूट्रोन बीसों चीजें ऐसी हैं जैसे मानव शरीर में विटामिन की जरूरत होती है-ये होती तो छोटी मोटी हैं लेकिन वैसे इनका महत्व बहुत होता है, उन पर अगर ध्यान नहीं दिय गया तो मैं समझता हूं आगे चल कर उससे नुकसान होने की सूरत की आशंका है। राज्य सरकार इसको ध्यान में रख कर चले।

रिसर्च के लिये हमारे यहां काफी कम पैसा लगाया जाता है—आज तो मोटे मोटे फिगर हैं, ये फिगर कहां तक प्रूव करते हैं, हमारे यहां एक लाख किसान हैं उन पर तीन आदमी लगे हुये हैं पाकिस्तान में 6 लगे हुये हैं, जापान में 60, फारमूसा में 70, नीदरलैन्ड में 133 मतलब साइन्टिफिक रिजल्ट्स लेने के लिये प्रयत्न किया जा रहा है। इसके अन्दर जो अलोकेशन आफ फन्ड होना चाहिये वह बहुत जरूरी है। अगर साथ ही साथ यह नहीं होता है तो आगे चलकर इससे नुकसान हो सकता है, माईक्रो घट सकता है बेक्टोरिया घट सकता है। इन बातों के लिये मैं निवेदन करता हूं कि राज्य सरकार ध्यान देकर चले।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल (जोहरी बाजार, जयपुर) : कोई सुनने वाला नहीं है आपकी बातों को–कोई नहीं है जो ध्यान से सुनें ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप तो हैं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : हम तो ध्यान से सुन रहे हैं । आप अपने तजुर्बे को बता रहे हैं क्योंकि आप अमेरिका होकर आये हैं । वहां के लाभ इस सदन को दे रहे हैं । हम तो बैठे हुए हैं लेकिन मिनिस्टर कनसर्न तो हैं ही नहीं ।

श्री हरिदेव जोशी : यह कह कर आप इनको डिसटर्ब नहीं करें । इनको कन्टीन्यू करने दें ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : कोई सुनने वाला ही नहीं है ।

श्री हरिदेव जोशी : मैं तो बैठा हूं ।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप तो अब आये हैं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप लोग भी कम से कम साथ दें । माननीय सतीशचन्द्र जी हमेशा सद्भावना से कहते हैं...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : मैं बिल्कुल सद्भावना से कह रहा हूं ।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : माननीय सदस्यों को और राज्य सरकार के सोचने का प्रश्न है, किस हद तक ये विश्वास करते हैं और थैंक्स देते हैं । मैं आपके सामने एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं । जौ, गेहूं के बीज हैं मतलब उसमें ऐसे रिवोल्यूशनरी चेन्जेज हो रहे हैं–वैसे तो हम सब उसमें शामिल हैं, सब ही निगेटिव विचारों को लेकर चलते हैं, ऐसी भावना रखना गलत है । मैं एक चीज और निवेदन करूं हालांकि वह इससे सम्बन्धित नहीं है । एक दिल्ली से मेगजीन निकलती है—सोविनियर—बड़ी इन्टेलेक्चुअल सोविनियर है । बाहर वाले भी इसको रिकोगनाइज करते हैं—लन्दन, पैरिस आदि । उसने एक स्पेशल नम्बर निकाला है—उसका ठीक टाईटिल मुझे याद नहीं है । उसका नाम शायद कोलोनियल... .....है । उसमें लिखा है कि आजादी तो हासिल कर ली है लेकिन सोचने की बात पर आजादी नहीं ला पाये हैं । उस सोविनियर में इस संबंध में प्रकाश डाला है । दो बातें कही हैं । एक बात तो यह कही है कि लक्ष्य ठीक है क्योंकि इसमें अमेरिका की स्टाम्प लगी हुई है, रशिया की है इसलिये यह मान्य है, दूसरी प्रोबलेम यह है कि हम अपने प्रयासों को सही तौर से नापने की स्थिति में नहीं हैं । मैं यह नहीं कहना चाहता हूं जैसा मैंने पहले कहा था जो अपोजीशन में सोचते हैं तो यह प्रणाली कोलोनियल माइन्ड की है— दूसरा फेस हम अपोजिट साइड को देखने की कोशिश नहीं करते हैं, निगेटिव साइड देखने की कोशिश करते हैं, यह रिवोल्यूशनरी चेन्ज है । यह एक देश के लिये बड़े गौरव की बात है, एक निगेटिव एटीट्यूड लेकर चलें तो मैं कह सकता हूं बहुत दुख की बात है, जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने ऐसी बात नहीं कही–जो व्हीट एक्सपर्ट हैं उन्होंने यहां के प्रयासों को देखकर कहा था जैसे जैसे नये फूड एग्रीकल्चरल टक्नोलोजी के हैं उसमें किसान वर्ग का जैसे जैसे प्रवेश होगा उनकी खुद की दिलचस्पी इतनी बढ़ जायगी और वे स्वयं इसमें सहयोग देंगे । उन्होंने मेक्सिको की एजाम्पिल दी है यह भी पुरानी है, मेरे ख्याल से 59 से है । इस रिसर्च प्रोजेक्ट के अन्दर तीन चौथाई कन्ट्रीब्यूशन किसान लोगों

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

का है। वे वालन्टरी आकर करते हैं मतलब उनको विश्वास है, गवर्नमेन्ट के खुद के जबरदस्त प्रयास हैं और तीन चौथाई फारमर्स के वालन्टरी प्रयासों से चल रहा है। मैं समझता हूं ऐसी स्थिति में हम खड़े हो जांय आज इसके अन्दर निराशा की भावना लायें यह हमारी सरकार की कम्पलीसेन्सी या इम्पलीमेन्टेशन के अन्दर कमजोरी दिखती है। नई नई चीजें आ रही हैं लेकिन उनको हम देखते नहीं हैं यह हमारे लिये शर्म की बात है।

उपाध्यक्ष महोदय, एग्रीकल्चर का तो बहुत लम्बा चौड़ा विषय है और आज वैसे विषय भी यही एक है और इसी पर हम चाहें जितनी देर तक बोल सकते हैं लेकिन मैं ज्यादा समय इसमें नहीं लूंगा। हमारी प्रोडक्शन में, आपने देखा होगा, 10 परसेन्ट कीड़े लग जाते हैं और उससे इतना नुकसान हो जाता है। अगर चूहों से नुकसान को देखें तो उससे भी 10 परसेन्ट नुकसान हो जाता है। तो 20 परसेन्ट जो हमारी टोटल प्रोडक्शन है उसका यों नुकसान हो जाता है। आज जब कि हम यह स्थिति देखते हैं कि हम सेल्फ सिफीशियेन्सी के नजदीक हैं और उसके बाद म 20 परसेन्ट अपनी टोटल एग्रीकल्चरल एफर्ट्स में लैक करते हैं। हम इस तरह से प्रोडक्शन तो करते चले जायें लेकिन नुकसान की तरफ नहीं देखें तो यह नहीं होना चाहिये। हम आज सभी सवालों को लेकर चलना पड़ता है। मैं यह भी जानता हूं कि आज हमारी सरकार को बफर स्टाक के बनाने के लिए 500 करोड़ रुपये की जरूरत है। इसके लिये भी हमारे सामने कई तरह की दिक्कतें हैं। अगर हम ख्याल करके काम करें तो यह जो 10 परसेन्ट और 20 परसेन्ट का नुकसान है वह सारा हट सकता है। दो मिनिट में तो इन दिक्कतों को दूर नहीं किया जा सकता लेकिन फिर भी राज्य सरकार द्वारा इसकी ओर कदम उठाना चाहिये।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेटिस्टिक्स तब यूज़ किये जाने चाहिएं जबकि उससे कोई खास मतलब निकालना हो। लेकिन फिर भी जरूरत की दो तीन स्टेटिस्टिक्स मुझे कहनी पड़ेंगी। यहां पर हाई यील्डिंग प्रोग्राम जैसे चल रहा है 1966-67 में यह हाई यील्डिंग प्रोग्राम 42 हजार एकड़ में था, 1967-68 में 4 लाख एकड़ में हुआ और करेन्ट ईयर में 7½ लाख एकड़ में होगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि बराबर स्टीडी प्रोग्रेस इस दिशा में है।

दूसरे सीड प्रोडक्शन का सवाल है। जब तक हम अपने किसानों को इम्प्रूव्ड सीड्स नहीं देते हैं तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि वह आगे प्राडक्शन बढ़ावें और अगर ऐसी हम उम्मीद करते हैं तो वह भी गलत सी बात होगी। हाई ब्रीडिंग का प्रोडक्शन 1967-68 में—मैं राजस्थान के फिगर्स दे रहा हूं 2,373 एकड़ में किया गया और उसमें 6 हजार क्विन्टल का प्रोडक्शन हुआ। 1968-69 में 5,470 एकड़ में किया गया और इस हाई ब्रीडिंग को बढ़ाया गया।

इसके बाद में तीसरी चीज मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। इम्प्रूव्ड सीड के साथ साथ अच्छे फर्टीलाइजर की भी आवश्यकता है और इसके अलावा प्लान प्रोडक्शन मैजर्स हैं—यह दो तीन चीजें खास खास हैं और ज्यादा फिगर्स नहीं देकर मोटी मोटी बातें कहूंगा। फर्टीलाइजर के बारे में इतना ही निवेदन करना चाहता

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

हूं 1966-67 में 78 हजार टन का फर्टीलाइजर का यहां डिस्ट्रिब्यूशन हुआ और उसके अगली साल याने 1967-68 में 1.22 लाख का हुआ और सन् 1969-70 के अन्दर तो यह उम्मीद करते हैं कि 1.60 लाख का फर्टीलाइजर का डिस्ट्रिब्यूशन होगा। लेकिन उसमें फिर मैं एक बात कह देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी जरा माननीय मंत्री महोदय का ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं। आप कुछ सुन तो लें......

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप अपनी बात रख रहे हैं और मंत्री जी सुनें नहीं तो कौन सुनेगा। हमारे हाथ में तो एक्जीक्यूशन है नहीं आप सजेशन्स दे रहे हैं उनका इम्पलीमेन्टेशन तो वहीं करेंगे और वह नोट ही नहीं कर रहे हैं। एग्रीकल्चर के मिनिस्टर यहां नहीं हैं, इरिगेशन के मिनिस्टर यहां नहीं, पावर के यहां नहीं और चीफ मिनिस्टर साहब हैं तो उनको कोई लेना देना नहीं है।

श्री हरिदेव जोशी : इनको कैसे लेना देना नहीं ?

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप डिस्करेज मत कीजिये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : मैं डिस्करेज होने की स्थिति में नहीं हूं। मैं केवल एक स्थिति में ही डिस्करेज होता हूं कि जब आप नेगेटिव विचारधारा लेकर बैठ जाते हैं और निराशा की भावना लेकर बैठ जाते हैं।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : जब गवर्नमेन्ट सुनेगी ही नहीं और एग्जीक्यूशन नहीं करेगी तो यहां कागजों पर आने से क्या फायदा है ?

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आप जब निराशा की विचारधारा को लेकर चलते हैं उस समय मैं डिस्करेज होता हूं वर्ना नहीं।

प्लान प्रोडक्शन मेजर्स भी लिए जा रहे हैं, हां फर्टीलाइजर के बारे में एक बात और कह देता हूं और वह बहुत इम्पोरटेन्ट है। नाइट्रोजन और फासफोरस का जो प्रपोर्शन है 1:1 का उसका कॉम्बीनेशन होना चाहिए। आज जो हम इसको कम ज्यादा रखते हैं उससे नुकसान होता है। आज उसका रेश्यो 1:0.25 है। यह राज्य सरकार के सोचन का विषय है कि इस रेश्यो को जल्दी से जल्दी सही करे। नहीं तो इसमें सही रिजल्ट नहीं मिलेंगे और आने के लिए जो नुकसान हो जायगा। इस सोइल के लिए हमेशा के लिए नुकसान की चीज होगी।

इसके बाद माईनर इर्रीगेशन के बारे में और कुओं के बारे में जो जो भी रुपया दिया गया, अनुदान दिया गया है, नम्बर बढ़ाया गया है-जब बिजली का सवाल आयेगा उस समय आपकी सेवा में पेश करना चाहूंगा।

अब सारी बातें आ जाती हैं। हमारे किसान आज इन चीजों को मान भी गये हैं। उनके सामने जो पहले साइकोलोजीकल बैरियर था कि वह प्रोडक्शन नहीं बढ़ा सकते हैं वह साइकोलोजीकल बैरियर अब टूट गया है। लेकिन हमारी सीमाएं हैं। बिना क्रेडिट फैसेलिटी हुए न तो किसान इम्प्रूव्ड सीड्स खरीद सकते हैं और न ट्रेक्टर खरीद सकते हैं। क्रेडिट फैसेलिटीज उनको चाहिये। मैं यह कह कर चलना चाहता हूं कि राज्य सरकार ने अच्छी प्रगति की है लेकिन प्रगति सब माने में सही तौर से हुई है या नहीं इसके बारे में जरूर मुझे शक है। कोआपरेटिव्स किस

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

तरीके से काम करती हैं, किस तरीके से लोन का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। हर जगह फेयर ही होता हो यह मैं समझता हूं कि गवर्नमेन्ट को इसमें काफी देख रेख करने की जरूरत है। जो क्वेन्टम ऑफ लोन बटा है मैं मोटे मोटे रूप से कहना चाहता हूं कि इसमें गवर्नमेन्ट ने सिगनीफिकेंट स्टेप्स लिए हैं। 1959-60 में केवल 70 हजार रुपये के लोन का वितरण हुआ, 1960-61 में 5 लाख रुपये का, 1961-62 में 13 लाख रुपये का, 1963-64 में 10 लाख रुपये, का 1964-65 में 22 लाख रुपये का, 1965-66 में 37 लाख रुपये का और 1967-68 में $1\frac{1}{2}$ करोड़ रुपये डिस्ट्रिब्यूशन किया। मतलब 59 से आज 67-68 साल तक में जहां हमने 50 हजार से स्टार्ट किया वहां आज हम डेढ़ करोड़ रुपये तक पहुंच गये हैं, और डेढ़ करोड़ भी पूरा आइडिया नहीं देता है क्योंकि पिछले 6-7 महीनों में सवा करोड़ रुपया जा चुका है, मतलब आज इस दिशा में राजस्थान गवर्नमेन्ट जागरुक है इससे ज्यादा अच्छा तरीका क्या होगा।

इसके बाद जो कि क्रेडिट की समस्या है वह इसी से हल नहीं हो जाती है। कोआपरेटिव्ज में यह भी दिक्कत आती है कि जो जो मेम्बर्स होते हैं वे ही फायदा उठा सकते हैं। बाकी लोग क्या करें? उनके लिए समस्या आती है। उनको क्रेडिट देने के लिए अलग अलग तरीकों से पैसा दिया गया है। एग्रीकल्चरल फाइनेन्स कार्पोरेशन जिसको लेकर पांच प्रोजेक्ट्स दिये गये हैं और उसके अन्दर चार करोड़ का इन्वेस्टमेंट इन प्रोजेक्टस में किया जा रहा है। तो इस ओर भी सरकार के प्रयासों की तारीफ करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, चाहता तो मैं भी यह था कि विद्युत मंत्री भी यहां होते क्यों कि विद्युत के लिए हमारे यहां जो भी प्रयास होंगे वैसे माननीय चीफ मंत्री जी यहां मौजूद है इसलिए मैं समझता हूं कि वह कमी पूरी ही जायेगी उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर जो अगले साल से....

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: चीफमिनिस्टर साहब इसलिए बैठे है कि आपको मंत्री नही बनाया और यह प्रस्ताव प्रस्तुत करने का मौका दिया है तो वे देखना चाहते है कि आप सैटिस्फाइड है या नहीं, केवल।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: धन्यवाद सतीश जी, आपकी विचार-प्रणाली से सिर्फ वहीं आकर अपना मतभेद होता है।

तो बिजली के बारे में....

श्री मदनसिंह: आप शपथ लेलें कि मिनिस्टर नहीं होंगे।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं बिजली के बारे में कि शुरू से आज तक के प्रयासों का मिलान करना पड़ेगा लम्बे-चौड़े स्टेटिस्टिक्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन यह कहना चाहता हूं कि जब राजस्थान बना उस समय करीब करीब इलेक्ट्रिफिकेशन (श्री सतीशचन्द्र के कुछ कहने पर) यह बात पहले कही जा चुकी है, लेकिन दो मिनट में कहकर दोहराना चाहता हूं।

करीब 2 इलेक्ट्रिफिकेशन स्टेट कैपिटल्स में लाइटिंग से ज्यादा कुछ नहीं था। पहले और दूसरे प्लान भी इसी में गये थे और शहरों में लाइटिंग का इन्तजाम किया और शहरों के अन्दर जो थोड़ी बहुत इन्डस्ट्रीज हो सकती थी उसके अन्दर लगाया। यह सिर्फ थर्ड प्लान में आकर यह महसूस किया गया

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

कि हमारी जिम्मेदारी–जिम्मेदारी तो पहले भी समझते थे, लेकिन उसकी इमरजेन्सी की दृष्टि से, इलेक्ट्रिफिकेशन की दृष्टि से फायदे की दृष्टि से रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन की ओर ध्यान देना चाहिए। थर्ड प्लान के अन्दर हमारे सामने और भी कई दिक्कतें आई। प्रकृति के प्रकोप हमारे यहां हो रहे हैं। (श्री सतीशचन्द्र के कुछ कहने पर) मध्य प्रदेश का भी वही हाल है। हमारे यहां इन्डीजिनस सोर्स नहीं है पावर जेनेरेशन का। यह चम्बल वाला था इसमें हमारा हिस्सा है। इस थर्ड प्लान में जो दिक्कतें आई हैं वे इस सदन के जो पुराने मेम्बर्स हैं उनके सामने डे टू डे समस्याएं आती रही हैं कि आज राणा प्रताप सागर में वाटर लेवल कम है, कितना घटा है, कितना बढ़ा है इस प्रकार की चीज है। तो मैं निवेदन यह करना चाहता हूं कि 66-67 में थर्ड प्लान के अन्दर जब चम्बल की इलेक्ट्रिसिटी फैल हो गई तो उस वक्त हमने डीजल सेट्स लगाये, डीजल टरबाइन्स लगाये; पावर दूसरी स्टेट्स से खरीदी तो पावर मंहगी मिली। उन्होंने जो रेट ठीक समझा वह लिया, तो इससे रेवेन्यू पर इफेक्ट पड़ा। थर्ड प्लान के हिसाब से जो हम समझते थे कि जितना प्रयास करना पड़ेगा इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए वह मेरे ख्याल से इन दिक्कतों से नहीं हो पाया, पर पिछले दो सालों से हम काफी जबरदस्त सफलताएं हासिल हुई हैं। सतपुड़ा थर्मल पावर, उपाध्यक्ष महोदय, की हमने जो 1, 2, 3, 4 स्टेजेज हैं वे सब कमिशण्ड हो चुकी हैं। उनसे बराबर पावर मिल रहा है। चम्बल प्रोजेक्ट से पूरा हिस्सा मिल रहा है। भाखरा का जो शेयर है और जितना मिल रहा है उसके अलावा भी जो है 220 के०वी० की दो लाइनें कम्पलीट हो जाती हैं- लुधियाना से संगरूर और हिसार और हिसार से खेतड़ी होते हुए जयपुर, तो पूरा क्वान्टम ऑफ पावर भाखरा वाला भी हमें मिलने लग जायगा। इसके बाद एटोमिक पावर प्रोजेक्ट जो लगाया जा रहा है उसके भी रिजल्ट्स हमें उपलब्ध हो सकेंगे...

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: उसमें कितना रख रहे हैं?

श्री हरिप्रसाद शर्मा: उपाध्यक्ष जी, अब मैं माननीय सतीश जी से कहूंगा कि जिस ध्यान से मैं उनकी बात सुनता रहा हूं उसी तरह से वे मेरी बात सुनें।

श्री केदारनाथ: अगर उस...

श्री हरिप्रसाद शर्मा: मैं माननीय सतीश जी से कह रहा, आपसे बाद में बात करूंगा।

आज जो पावर की पोजीशन है, तो जैसा कि मैंने पहले निवेदन किया था कि केवल निगेटिव भावना लेकर न चलें, जहां करीब करीब इलेक्ट्रिफिकेशन की 67-68 की फर्म कैपेसिटी है, इन्स्टाल्ड कैपेसिटी नहीं कह रहा हूं, उसमें फर्क है, 67-68 में 122 मेगावाट हमें उपलब्ध हैं वह 68-69 में 223 मेगावाट हो जायगी, जो 122 मेगावाट है उसका अगले साल 233 हो जायगा। 69-70 में 344, 70-71 में 452 मेगावाट हो जायगा। उसके बाद 71, 72, 73 में 672 मेगावाट के करीब एस्टेब्लिश हो जायगा।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल: 91 में 1400 हो जायगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: अगर प्रयास होंगे, अगर कांग्रेस को जनता बिठाये रहेगी और इसी तरह से कन्स्ट्रक्टिव काम में लगे रहे तो बहुत दूर नहीं है। मैं चाहता हूं कि मध्य प्रदेश में आप लोग बने रहें और हमें दिखायें कि आपके क्या रिजल्ट्स हैं। बिहार के अन्दर, पंजाब के अन्दर और बंगाल के अन्दर मुझे परवाह नहीं अगर कांग्रेस गई और अगर यहां से भी हट जाती है तो इसके लिए मैं रोष प्रकट नहीं करूंगा। कोई भी गवर्नमेंट जनता का विश्वास लेकर आये वह जनता की आशाएं कहां तक पूर्ण कर सकते हैं। क्राइटेरिया यह होना चाहिए। जहां तक इसकी सफलता है आज 122 है और चार साल में 627 मेगावाट की पावर की स्थिति होगी, और उसके बावजूद यह कहें कि यह जो प्रयास है वह बहुत एन्करेजिंग नहीं है। यह तो आपके सोचने की प्रणाली है। लेकिन मैं यह चाहूंगा कि, मैं यहां डिबेट में समय ज्यादा नहीं लेता हूं। आप चाहे मध्य प्रदेश में बैठें, पंजाब में बैठें, बंगाल में बैठें लेकिन कांग्रेस ने जो कुछ किया था वह प्रयास आज मौजूद हैं और गवर्नमेंट मौजूद हैं। यह क्राइटेरिया हैं। मैं नम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि थोड़ी देर आप मेरी सिन्सियेरिटी पर विश्वास करें और पोलिटिकल थिंकिंग को थोड़ी देर के लिए हटा दें।

श्री मदनसिंह: दोनों ही कर दें।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: बिल्कुल तो जो नॉन-कांग्रेस गवर्नमेंट आज कल बन रही है चाहे युनाइटेड फ्रन्ट हो या और कोई बने हम उनको इसी आधार पर समझें और क्रिटिकली अच्छी तरह से देखें। हो सकता है कि वे नया मार्ग दिखावें, और यह कांग्रेस का फर्ज होगा कि अपनी गलतियों, अपनी खामियों और कमियों को देखे और दुरुस्त करे नहीं तो जैसे बंगाल में से हट गये, बिहार में से हट गये, यहां से भी हट जायेंगे। आप यह विचार न करें कि मैं उनका एडवोकेट बनने जा रहा हूं। मैं यहां इस सिलसिले में पोलिटिकल बात नहीं कहना चाहता हूं लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, माननीय रामकिशनजी भी यहां नहीं हैं, खैर कोई बात नहीं। उन्होंने कहा था कि बंगाल में कांग्रेस बहुत बुरी तरह पिटी तो मैंने सुना चुपचाप। मेरे पास इस समय फीगर्स नहीं, लेकिन जहां पर जो कांग्रेस का इफेक्ट है, आई डोन्ट वान्ट टू मेक इट एन इश्यू ऑफ कन्ट्रेवर्सी। लेकिन उन्होंने सवाल छेड़ दिया था इसलिए एक सेन्टेन्स, में ही जवाब दे दूं कि कांग्रेस ने 42 पर्सेन्ट, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो 42 पर्सेन्ट वोट्स हासिल किये। सीट उनको आई 55/सी० पी० आई० (मार्किसस्ट) ने वोट्स हासिल किये 19 पाईंट समथिंग वहां कांग्रेस को 42 पर्सेंट वोट आये और सीट आई हैं 55 और उन्हें 19 पाईंट समथिंग और सीट आई 88/ यह हमारी डेमोक्रेसी की चुनाव-प्रणाली······

श्री केदारनाथ: उन्होंने 90 सीट ही लड़ी हैं जब कि आपने पूरी सीटें लड़ी हैं।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: यह डेमोक्रेटिक चुनाव-प्रणाली है उसको स्वीकार करते हैं। उसको कान्फिडेन्स कहें तो कांग्रेस का दो साल में पर्सेंटेज ऑफ वोट्स बढ़ा है।

आप समझते तो बहुत कम है, कम हो भी सकते हैं। लेकिन, यह कहना कि विश्वास उखड़ा है, यह गलत है। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी बात नहीं है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : स्टेटमेंट आये है।

Congress is very popular in West Bengal,

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, उस अखबार को माननीय सतीश जी ने पढ़ा है।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : It is as popular as Ayub in Pakistan.

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, यह पेराडाइज अपने पास ही रखें।

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : Congress men are living in fools pradise. फिर भी आप—

श्री हरिप्रसाद शर्मा : ये तथ्य पत्रों में

श्री सतीशचन्द्र अग्रवाल : आप ऐसी बातें पढ़ते ही क्यों है, हाउस में।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : अच्छा नहीं पढ़ेंगे। उपाध्यक्ष महोदय, जितनी इनर्जी देख रहे है, अगले चार सालों में देखना उसमें 10 गुना वेल्यूएबिल होगी। तो फिर हमने जैसा कहा है। और उपाध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार के सामने एक बात हम कहकर चलना चाहते है, जिसकी दिक्कत आयी है। यह हमारी नीति रहती है अगर आगे आने वाली दिक्कतों को नहीं देखते है। आप की पावर पोटेंशियल 33 मेगावाट हो जाएगी। 120 मेगावाट हो जाएगी। अगर हमने समस्या की ओर ध्यान नहीं दिया है। हमारा पोटेंशियल इस मिकदार में बढ़ गया है। अगर आप यूज नहीं कर सके तो नेबरिंग कन्ट्रीज आप से मांगेगी। तो आप यह नहीं कह सकते हैं कि हम अपने घर में रखेंगे। उन नेबरिंग स्टेट को देंगे तो वह छः महीने तक रखना होगा। इसके लिए ट्रांसमिशन लाइन जो पहलो मर्तबा गई है। दो तीन कारणों को दुहराता हूं। ट्रांसमिशन लाइन में ये वोल्टेज प्राप्त होता है। यह जो दूसरे लगातार रहे है, यह टेम्प्रेरी सेल्यूशन है। जितनी इनर्जी का आप को ट्रांसमिशन करना है, उसी केपेसिटी में लगायें।

उपाध्यक्ष महोदय, यह बिजली का विषय हो ऐसा था। आगे राजस्थान में प्रगति ही इसके बल पर होने वाली है। जितने कुओं का हुआ है, वह पूरा नहीं। जैसा कि राज्य सरकार ने 42 लोकेलिटी के अन्दर फर्स्ट फाइव ईयर प्लान में और सेकण्ड फाईव ईयर प्लान में वेल्यू का नम्बर 1038 है। 64-65 तक इस साल तक 731 लोकेलटी के अन्दर लेक्ट्रिक होगी। 1904 लोकेलिटी इलेक्ट्रिफाइड होगी। मतलब तीन साल के अन्दर 713 लोकेलिटी इलेक्ट्रिफाइड होंगी। एवरेज मुकाबले में 13800 हो चुके हैं। यह प्रगति अपने आप में है। उपाध्यक्ष महोदय, हमने राजस्थान के करल इलाके में प्रगति करली है। यह मैं अधिक नहीं कहूंगा। मद्रास में उनका दूसरी प्रकार से था। हमारा 51-52 में फार्मेशन था। जब कि 37-38 से चले है। हमारी वेल्यू का मोटा मोटा आप के सामने निवेदन करना चाहूंगा। सबसे पहला नम्बर आता है, केरला का। लेकिन वहां गांव ही इतने थोड़े हैं। कुल 1500 गांव हैं। मद्रास स्टेट में वहां कुल 14124 गांव में है। परसेन्टेज 08 वाल्टेज 58 परसेंट होता है। जैसा कि दिखाई पड़ता है। अब पंजाब के अन्दर में यह नहीं बढ़ेंगे। परसेन्टेज बढ़ते जायेंगे। पंजाब में 31.5 नम्बर। हरियाना 19.00

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

चौथी स्टेट महाराष्ट्र आती है। इस तरीके से हम चलते हैं। यह राजस्थान का 5.4 परसेंट वोल्टेज का आता है। मद्रास 58 परसेंट। यह हमारे यहां 4 हजार। उस मुकाबले में तो ज्यादा इम्प्रेसिव नहीं निकाल पाये हैं। जहां साल में 1½ इंच वर्षा हो। आधे एरिया में 5 इंच वर्षा हो। उसके मुकाबले में हमें चालान करना है। लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया है। पिछले 4-5 सालों से परसेन्टेज घटना अराइज हुआ है।

(2 म० प०)

मद्रास स्टेट के इलेक्ट्रिफिकेशन, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोग्राम को जरा ध्यान से देखा जाय तो वह एक ऐसा स्टेट है जो कुछ चीजों को लेकर शायद हमें कई तरह के डाइरेक्शन सुझाव दे। उन्होंने जो करा है टोटल इर्रिगेशन लैंड वगैरह में उसको मैं छोड़ देता हूं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : चीफ व्हिप साहब सो गये।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में, मैं समझता हूं, मैं काफी कह चुका हूं और स्टेटिस्टिक्स वगैरह रखने से कोई मतलब नहीं निकलता है।

दूसरी चीज जिस पर सारी समस्यायें घूम फिर कर आकर टिकती हैं वह है कि किसी तरह से कृषि के लिए जल मुहैय्या करें चाहे इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ विलेजेज करें, चाहे इर्रिगेशन के साधन मुहैय्या करें, घूम फिर कर यह जो चीजें ही है, यह दो रास्ते ही खुले हुए हैं प्रोसपेरिटी को लाने के। इर्रिगेशन के सम्बन्ध में हमारे सामने जो स्थिति है, वह यह है कि पहला फाइव ईयर प्लान हमारे यहां शुरू हुआ उस समय कुल इर्रिगेशन की क्या स्थिति थी? इस सम्बन्ध में बात करने से पहले मैं एक सैकिंड के लिए यह कह दूं कि पार्टीशन के टाइम पर हमारे पास 82 पर्सेन्ट पापूलेशन के खिलाने के लिए आ गई वहां इर्रिगेटेड लेन्ड 14.3 था। इर्रिगेटेड लेंड पर्सेन्ट वाइज नहीं आया। एक दिक्कत पार्टीशन से यह शुरू हुई। दूसरी दिक्कत जो हम राजस्थान में देखते हैं वह यहां को जो भौगोलिक और क्लाइमेटिक लिमिटेशन्स हैं उनकी वजह है। इसके इंडिया के फिगर्स लें तो 14.3 पहली पंचवर्षीय योजना में था, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना में 14 पर्सेन्ट हो गया और उसके बाद तीसरी पंचवर्षीय योजना में 36 पर्सेन्ट ऑफ वाटर यूज हुआ। अब मैं इंडिया को छोड़ कर राजस्थान के बारे में दो तीन बातें निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां जो इर्रिगेटेड लेण्ड की स्थिति है, वह 1950-51 में 30 लाख एकड़ थी, 1960-61 में 41.60 लाख एकड़ हो गया, 1965-66 में 50.32 लाख एकड़ हो गया और 1966-67 में 52.04 लाख एकड़ हो गया। मतलब जब से शुरूआत की, जिस समय कोई बांध नहीं था तब से अब तक इतनी प्रगति हुई है। वैसे इसमें काफी बड़ा हिस्सा भाखरा के पानी का है। भाखरा बन्द होकर फिर चालू हुआ है, दस साल बाद चालू हुआ है, उसके बावजूद 30 करोड़ 55 लाख का खर्चा डाइरेक्ट इर्रिगेशन में हुआ, जहां भाखरा नांगल में खर्चा हुआ है 33 करोड़ और 184 करोड़ लगाने का प्रवधान है। इस सिलसिले में बात उठाई जा चुकी है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान कैनाल की सेन्टर के ऊपर जिम्मेदारी है। इसकी जिम्मेदारी पूरी तरह से सेन्टर क्यों नहीं सम्भालती? इस बारे में किसी पार्टी का

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

इस सदन में मतभेद नहीं है। मैं समझता हूं कि राजस्थान की विशेष स्थिति इसलिए है कि यह बोर्डर स्टेट है, इसमें छः सौ, सात सौ मील लम्बा बोर्डर है। वह बोर्डर ऐसा है जो इनहेबिटेड है, जहां थोड़े आदमी रहते हैं। सीक्योरिटी के लिहाज से वहां जितनी जल्दी यह काम हो सके, यह सीक्योरिटी के लिहाज से जरूरी चीज है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं यह बात चाहता हूं कि राजस्थान सरकार सेन्टर के सामने पुरजोर शब्दों में प्रोटेस्ट करे कि नेफा के अन्दर जो सड़क बनती है, लद्दाख के अन्दर जो सड़कें बनती हैं, जो वहां कोई काम होते हैं उनका जो भी एक्सपेन्डीचर होता है वह नेफा का आसाम के बजट में नहीं जोड़ा जाता है। आज लद्दाख के अन्दर जो खर्चा होता है, रोड का खर्चा है वह काश्मीर के बजट में नहीं जोड़ा जाता है। उनको एज ए बोर्डर प्रोबलम लिया है। इनको कन्ट्री की सीक्योरिटी के रूप में लिया जाता है और सेन्टर इनका बोझ बर्दाश्त करता है। राजस्थान के अन्दर सारा बोर्डर खाली पड़ा हुआ है। जो 1965 में लड़ाई हुई थी उस समय यह जो चीज आई सामने, वह यह आई कि बोर्डर तमाम के तमाम खाली पड़े हुए, हैं, किसी भी व्यक्ति के घुसने के रास्ते बने हुए हैं। इस स्थिति का जब ख्याल करते हैं तो वहां राजस्थान कैनाल ले जाते हैं, और या ट्यूब वेल्स बनाते हैं, तो मैं समझता हूं कि इसको सीधे सीधे सीक्योरिटी का प्रश्न मान कर राजस्थान सरकार को सेन्टर गवर्नमेंट के सामने पुरजोर शब्दों में इस मांग को रख कर इसे पूरा करवाने की कोशिश करनी चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि कल अपोजीशन के जिन मेम्बर महोदय ने कहा कि भुखाड़िया जी वहां अनशन करें इस मसले को लेकर यह हम भी करने को तैयार हैं। मैं लिट्रेरी उस बात को लेकर नहीं चलता हूं। मैं समझता हूं, उसमें भावना यह थी कि सदन का सारा हिस्सा, सब पार्टीज, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ पार्टी आइडियोलौजी इस बात को लेकर चलने को तैयार हैं। आज हमारे ऊपर बोर्डर का सारा का सारा बोझ है, इरिगेशन लगाने का है, रोडस बनाने का है, ट्यूब वेल्स लगाने का है यह एक सीक्योरिटी का सवाल है, उसको इस तरह नहीं मनवाया जाय, यह हमारे लिए एक कमजोरी की निशानी है।

उपाध्यक्ष महोदय, और भी कई सिगनीफिकेन्ट चीजें गवर्नर महोदय के अभिभाषण के अन्दर पड़ी हुई है। उन सबको मैं बढ़ा कर नहीं कहूंगा शायद घण्टा भर हो चुका है। लेकिन जिन दो तीन चीजों में सिगनीफिकेन्ट प्रोग्रेस हुई है उसमें एक इन्डस्ट्रियलाइजेशन को एक ऐसा कदम मानता हूं जिसमें राजस्थान ने साइजेबल प्रगति की है। 1950-51 के अन्दर हमारे यहां शायद काटन मिल वगैरह की दृष्टि से इन्डस्ट्रियलाइजेशन करीब निल के बराबर था।

श्री भैरोंसिंह : बाबर के जमाने से मुकाबला करें तो अच्छा होगा।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : आपका जब बोलने का समय हो तब आप इसको करें भैरोंसिंह जी। मेरे पास आज की स्थिति के आंकड़े हैं वह आंकड़े मैं प्रस्तुत कर सकता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, उस समय फेक्ट्रीज की संख्या 207 थी, आज 1946 है। इसको हम कहें कि नौ गुना नम्बर ऑफ फेक्ट्रीज बढ़ा है तो यह भी कुछ नहीं है।

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
मैंने जैसा पहले भी कहा, माननीय भैरोंसिंह जी जब नहीं आये थे तब कहा कि कोलोनियल वे ऑफ थिंकिंग जिसको नहीं छोड़ पाये हैं वह यह होती है कि हर प्रोग्रेस में, हर चीज में सन्देह हो, एक नगेटिव एप्रोच हो। इसके पहले बिजली की पोटेंशियलिटी बढ़ाने की बात हुई, आप इस सब्जेक्ट की पूरी तरह जानकरी रखते हैं, यह सारी चीजें बढ़ी, चम्बल, भाखरा और थर्मल पावर से, लेकिन इसको भी क्रिटिकल और नेगेटिव निगाह से देख सकते हैं। तो यह देखने की प्रणाली हुई। मैंने विनीत शब्दों में, नम्रतापूर्वक निवेदन किया था कि हमारा कान्ट्रीब्यूशन्स गवर्नमेंट की कमी, खामियों को दिखाने में पाजिटिव होगा लेकिन क्रिटिसिज्म की एक सीमा में रखें, न कि बाबर, हुमायूं और अशोक के टाइम में ले जायें। उपाध्यक्ष महोदय, इस समय जो दो-तीन बड़े बड़े प्राजक्ट हैं, उनमें हमें एक सबसे बड़ी शिकायत रही है कि यहां सेन्टर का कोई बड़ा प्राजेक्ट नहीं आ पाया है, लेकिन अब ऐसा मौका आया है जब दो-तीन प्राजेक्ट के लिये कह सकते हैं और यह भी कह सकते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट अपने लेजिटीमेट शेयर को लेने में सफल हुई हैं टू ए सर्टेन एक्सटेंट ऑनली।

यह जो पब्लिक सेक्टर की गंगानगर, बीकानेर, धौलपुर में हैं, डीडवाना में हैं और डूंगरपुर में जो फ्लोराइट फैक्ट्री लगी है वह नई चीज है। हमारे लिये बड़ी लाभदायक है। पर अभी गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया से शिकायत थी कि लेजिटिमेन्ट जो हमारी डिमाण्ड है वह हमें नहीं मिलती वह पूरी तो नहीं हुई पर जिंक स्मेल्टर उदयपुर में लगाया गया है, जहां हमारा कच्चा मेटिरियल दूसरी जगह के प्रोजेक्ट्स पर लेजाया जाता था, उसके लिये अब हमारे यहां पर ही प्रोजेक्ट स्टार्ट कर दिया गया है, यह हमारे लिये बड़ा लाभदायक होगा, उसके लिये मैं बधाई देता हूं, इससे कई बाई-प्रोडक्ट्स निकलेंगे, सल्फर सल्फ्युरिक एसिड 76 हजार टन प्रोडक्ट होगा, इससे सुपर-फास्फट बनेगा जिंक स्मेल्टर के साथ फर्टीलाइजर के प्रोडक्शन में भी बड़ा योगदान मिलेगा, केडमिनियम होगा, यह काफी बड़ा युजफुल मेटिरियल होता है एडवान्स कन्ट्रीज के लिये केडमिनियम का 78 हजार टन प्रोडक्शन होगा, इसके प्रोडकशन को 1 लाख टन तक बढ़ाया जा सकता है। इसलिये मैं राजस्थान सरकार से निवेदन करता हूं कि इस संबंध में सतर्कता बरतें। और 1 लाख टन पर एनम प्रोडक्शन को कैपेसिटी तक ले जायें।

हमारे यहां खेतड़ी का कोपर प्रोजेक्ट है, यह भी हमारे लिये खुशी की बात है. 96 करोड़ रुपया हमारे यहां लगेगा, थोड़ा सेंट्रल इनवेस्टमेंट के फन्ड से। इस तरह ऑल राउन्ड प्रगति होती है वहां यह देखने की आवश्यकता है कि 31 हजार टन कोपर बनना शुरू होगा, सल्फर भी निकलेगा, सिल्युरिक एसिड निकलेगा, उससे भी फर्टीलाइजर बनेगा। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट की कुछ विशेषताएं हैं: 42 हजार आउन्स गोल्ड निकलेगा, 64 हजार आउन्स सिलवर भी निकलेगा जो खुशी की बात है।

कोटा में प्रेसिशन इन्स्ट्रूमेन्टेशन की फैक्टरी लगी है, अजमेर में मशीन टूल फैक्टरी होगी, उसमें 8 करोड़ इन्वेस्टमेंट होगा। यह चीजें है, मैं समझता हूं हमें हमारा ड्यू शेअर नहीं मिला पर इन चीजों को देख कर हमें खुशी होती है कि

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
राजस्थान सरकार जागरूक है इस संबंध में। दो एक प्रोजेक्ट हमारे यहां दे दें तो हमें यह कहने का मौका मिले कि हमें हमारा पूरा ड्यू शेअर मिल गया है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, माननीय मंत्री महोदय जोशी जी, मैं आपको विशेष करके एड्रेस करना चाहता हूं। एक सवाल था जिसके बारे में मैं इस सदन में पहले भी कह चुका हूं। जो हमारे यहां एटोमिक प्लान्ट लग रहा है। एटोमिक मेटिरियल के प्यूरीफिकेशन का प्लांट एक हमारे यहां लगेगा, यह पार्लियामेंट से स्पेसिफिक नहीं है पर 95 परसेंट फैसला मान कर चलता हूं कि एक प्लांट एटोमिक मेटिरियल के प्यूरिफिकेशन का हमारे यहां लगेगा, पर हम इससे यह नहीं समझें कि हम एटोमिक बोम्ब बनायेंगे, पर यह स्पष्ट है कि हम एटोमिक इनर्जी में, एटोमिक रिसर्च में पीछे नहीं रहना चाहते। ऐसे प्लांट में टोटल खर्चा 12 सौ करोड़ से 15 सौ करोड़ का है। फाइव परसेंट का इन्फलेशन मान कर चलें तो और भी बड़ा हो जायगा। हम चाहते हैं कि इस इश्यू को लेकर राजस्थान सरकार सेंटर के साथ परश्यू करे। कोटा हमारे यहां सेन्ट्रल लोकेटेड वहां ऐसा प्लांट लगाने का सवाल आयेगा। हालांकि न्यूक्लीयर प्रोजेक्ट तारापुर में लग रहा है पर वहां कुछ स्ट्रेटेजिक कमजोरियां हैं, वह समुद्र के किनारे हैं, इण्डिया पाकिस्तान की लड़ाई में कुछ ऐसा हुआ था कि सैलिंग वगैरह वहां हुई थी, कोटा खास सेंट्रल प्लेस में आता है, इसलिये वहां ऐसा प्रोजेक्ट लगने वाला है। हमारे यहां एटोमिक पावर प्रोजेक्ट लगा, इससे और दूसरी इन्डस्ट्रीज, सैकेण्डरी फायदे हैं, वह हमें होंगे। कम से कम दूसरी स्टेट्स अपने पुल्स की वजह से इसे दूसरी जगह नहीं खींच कर ले जायें, इसके लिये आपको जागरूक रहना होगा।

श्री उपाध्यक्ष : डेढ़ घण्टे का समय लग गया।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं समय कुछ ज्यादा ले रहा हूं। मैं 10 मिनट में समाप्त करता हूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता : आप बोलिये, हमें मजा आ रहा है।

श्री मदनसिंह (दांतारामगढ़) : आपके आदमी भी आपका भाषण।

श्री हरिप्रसाद शर्मा : यह सारी प्रगति जो आज हुई है, मेजर स्कीम्स ऑफ इर्रिगेशन, मेजर स्कीम्स ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, स्कीम्स ऑफ फर्टीलाइजर एग्रीकलचर में है। पर इसमें एक मेन फैक्टर है, उसको यदि हम भूल जायेंगे तो यह पूरा करा कराया सब धरा ही रह जायगा, हम जहां थे वहीं के वहीं रह जायेंगे। वह मेन फैक्टर है। पोपुलेशन कन्ट्रोल का। यह केवल राजस्थान की ही समस्या नहीं है, यह सारे भारतवर्ष की समस्या है। इलेक्ट्रिसिटी में हमारी 650 मेगावाट की केपेसिटी हो रही है, पर यह सारे के सारे एडवान्टेजेज एब्जोर्ब हो जायेंगे अगर जनसंख्या को सीमित रखने के उपाय विथ सेंस ऑफ इमर्जेन्सी हम नहीं कर पाये तो।

फर्स्ट सैकिंड फाइव ईयर प्लान में एक रसेंट पोपुलेशन इन्क्रीज लगा, पर फिर

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

मालूम हुआ कि वह इससे ज्यादा है 2.5 परसेंट इन्क्रीज चल रही है। डेथ्स घट गई हैं 42.6 पहले थीं, इस वक्त 17.2 हैं डेथ्स की परसेंटेज घट गई है। पोपुलेशन में इन्क्रीज 40 टू 42 इन्क्रीज मान कर चल रहे हैं। इस समस्या का समाधान हम नहीं निकाल पाये तो यह सब हमारे लिये लूजिंग रेस होगी। पार्टिशन हुआ उस समय हमारी आबादी 33 करोड़ थी, आज इस वक्त हमारी आबादी 58-59 करोड़ है। अगर टोटल केपेसिटी दुगनी कर दें तो भी करीब करीब वहीं रह रहे हैं जहां हम पहले थे। इसलिए इस तरफ ध्यान दें कि पोपुलेशन का यदि हम कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं तो यह हमारे लिये लूजिंग रेस होगी दूसरे देशों के साथ। अशोक मेहता साहब का यह कहना जरा अच्छा लगेगा :

"Population growth was like an enemy. (Like a thief in the night, this growth can rob us of all that we achieve, day after day, in economic growth)".

कोई नई बात नहीं पर कहने का ढंग था कि इस चीज का यदि रिकोग्निशन नहीं कर पाते तो हम प्रोग्रेस नहीं कर सकते। एक एक्स्ट्रेक्ट और दे देना चाहता हूं वह अमेरिका के एक लीडिंग न्यूज पेपर न्यूयार्क टाइम्स का एक्स्ट्रैक्ट है, इन दो शब्दों में यह बात कही है :

"The two obvious menaces towards these are automatic energy and sexual energy, and out of these two the later is probably the greater menace..."

यह ज्यादा डेन्जरस है। एटोमिक इनर्जी को रोक सकते हैं पर सेक्सुअल इनर्जी है, इसको नहीं रोक सकते। यह हमें करना है।

"But this sexual energy does not depend upon nations, it depends upon every single person."

इसके मानी एक आदमी का एक वोट है।

जैसे चौथी योजना का ड्राफ्ट आउटलाइन है। इस बात की गंभीरता महसूस की जा रही है कि अगर पापूलेशन कन्ट्रोल नहीं कर पाते हैं Indian conditions and dignity of man requires as its basis the high rate of economic growth and low rate of population increase. Even fare reaching changes will not lead to better life unless population growth is controlled. Limitation of families is essential and inescapable ingredient of development.

यह बात स्वीकार करते हैं, नई पाइंट नहीं है। जहां तक फण्ड्स का एलोकेशन है पहली योजना में सिर्फ 70 लाख खर्च हुआ, दूसरी में 5 करोड़ फेमिली प्लानिंग में लगे और तीसरी में 27 करोड़ खर्च हुए हैं। चौथी योजना में प्रोवीजन 95 करोड़ का था लेकिन अब उसको बढ़ाकर 240 करोड़ किया जा रहा है। तो पहली योजना के दौरान पांच सालों में केवल 70 लाख था और चौथी योजना में 240 करोड़ तक बढ़ाने का प्रावधान है। लेकिन मुसीबत यह है कि रुपया खर्च कर दिया

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

और आपके प्लान का इम्लीमेंटेशन हो रहा है या नहीं इसमें मझ गंभीर शक है। जो फेमिली प्लानिंग प्रोग्राम चल रहा है राज्य के अंदर उससे मैं खुश नहीं हूं। जो आंकड़े दिए गए कि तीन फेमिली प्लानिंग के पखवाड़े लगाए गए: 7,733 आपरेशन्स किए गए, इतने लूप्स लगाए गए। लेकिन जो अरजेन्सी आनी चाहिए वह रिफलेक्ट नहीं होती।

श्री मदनसिंह: चेरिटी बिगिन्स एट होम।

श्री रामानन्द अग्रवाल: प्लानिंग तो चीफ मिनिस्टर....

श्री हरिप्रसाद शर्मा: यहां तो बाबर और हुमायूं वाली बातें कही जाती हैं, प्रेजन्ट को नहीं ट्रेस करते। पापुलेशन एक क्रिटिकल चीज है। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी है। उसने काफी खर्चे से एक कम्पयूटर का मॉडल बनाया और उसके अन्दर उन्होंने अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी को स्टडी करने के लिए 25 साल तक जो आज इन्वेस्टमेंट हुआ अंडरडेवलप्ड इकोनॉमी में, उससे क्या रिटर्न होंगे, उसके लिए कमप्यूटर बनाया। इसके बड़े इन्ट्रेस्टिंग रिजल्ट हैं। उसका क्या असेसमेंट रहा?

It has been assessed that an average infant born in an underdeveloped country consumes Rs. 2,300/- more than what he will produce during his life-time, whereas the cost of his birth is at an average less than Rs. 30/- per annum. Family planning programme produced a cumulative return that is 65 times the amount invested," which is more than 16 times the maximum rate of return from other forms of public investments.

यह कमप्यूटर की फाइंडिंग है।

मेरे पास चिट आई है कि खतम करूं।

श्री मनोहरसिंह मेहता: हमें मजा आ रहा है।

श्री भैरोंसिंह: वेरी साबर एण्ड सीरियस स्पीच।

श्री हरिप्रसाद शर्मा: हमारी जो समस्याएं हैं उनको एक्जामिन करें तो जैसा मैंने पहले निवेदन किया थोड़ी देर के लिए पोलिटिक्स से हटकर तो शायद वह ज्यादा कन्सट्रक्टिव ढंग से हो सकेगा। मद्रास के अन्दर एक फैसला हुआ उसका ब्रिटिश जज था "ए सब्जेक्ट कन्ट्री हैज नो पोलिटिक्स।" उसका जवाब इण्डियन लीडर्स ने दिया, "एक्सब्जेट कन्ट्री हैज नथिंग बट पोलिटिक्स" लेकिन आज हम सब्जेक्ट कन्ट्री नहीं। आज इतना ही कॉन्फीडेन्स होना चाहिये। अपने पैरों पर खड़े हों और आज भी अगर हर टेक्निकल प्रोब्लेम को, हर मैनेजीरियल प्रोब्लेम को, साइंटिफिक प्रोब्लेम को अगर पोलिटिकल निगाह से देखते हैं तो मैं समझता हूं कि हमारे सोचने की विचारधारा में कमी है।

भारत में और कितने इन्टलेक्चूएल्स हैं? लोग निराशा जाहिर करते हैं हिन्दुस्तान की प्रगति और भविष्य से, मैं उनसे इत्तफाक नहीं रखता।

पंचायत राज को लेकर जो जो उम्मीदें थीं वे पूरी नहीं हुई। मेरी पार्टी के अंदर,

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)
म खुला कहना चाहता हूं, दो विचारधारायें हैं। एक संट्रल प्रिंसीपिल था, पार्टीसिपेशन ऑफ दी पीपल। मैं समझता हूं, हम उसको हासिल नहीं कर पाए। इट वाज नॉट ए ब गवर्नमेंट प्रोग्राम जिसके अंदर पब्लिक पार्टीसिपेशन होना चाहिए, लेकिन रिवर्स हुआ। पब्लिक का प्रोग्राम था, सरकार का थोड़ा सा पार्टीसिपेशन था। मैं समझता हूं, कुछ हद तक हम पब्लिक की एन्थ्यूइज्म चैनल करने म सफल नहीं हो सके। इसके क्या कारण हैं ? यह कारण अंडरलाइंग हैं, पोलिटिकल हैं, सोशियल हैं, इकोनॉमिक हैं और हिस्टोरीकल हैं। हमारी सारी की सारी समस्याओं से ये सब जुड़े हुए हैं। इम्पलीमेंटेशन और ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव को न देखकर उसके अन्दर हरेक एलिमेंट को लेकर गांव के स्तर तक इन चीजों को ले जाते ह, उसीसे यह प्रोग्राम तय होते ह।

दो बातें और कहूंगा सिर्फ। अकाल की स्थिति में कुछ दिक्कतें हैं। वहां कितने फण्ड्स का एलोकेशन हुआ और उस समस्या को लेकर किया। पर साथ ही साथ आज एक बात और कहना चाहता हूं, जो मैं समझता हूं गलत नहीं समझेंगे, आपके प्लान्स में डिस्टॉर्शन हो रहा है इसकी वजह से जो एलोकेशन होना चाहिये रीजनल बैलेंस मेंटेन होना चाहिये, वह है, उसका बराबर डिस्टॉर्शन होता चला जा रहा है। यह जो दुख, विषमता और भयंकरता है जो स्थिति है सिर्फ 4-5-7 जिलों में है। उसमें अगर हमारे राजस्थान के नागरिक की भावना जागृत है तो उनके दुख-दर्द, तकलीफ सब शामिल हैं। मैं सवाल इस कान्टेक्स में नहीं उठाना चाहता, लेकिन आगे की प्लानिंग जो कभी कभी प्लान का डिस्टॉर्शन हो जाता है और जिसका मोमन्टम मेन्टेन रहता है, मैं चाहता हूं कि आगे के लिए उसको सुधारा जाय नहीं तो कई जगह असंतोष की भावना पैदा होगी। मैं अलवर, भरतपुर या सवाईमाधोपुर की बात कहूं, लेकिन कहने की जरूरत नहीं समझता। आज अकाल राहत का सवाल है। जिस तरह से आज हम ले रहे हैं इस वक्त चेंज करने का सवाल नहीं, लेकिन आगे के लिए लांग टर्म सॉल्यूशन्स के लिए सोचना पड़ेगा कि आया आपको इतना इन्वेस्टमेंट बाड़मेर में करना चाहिए। बाड़मेर की माननीय सदस्या यहां बैठी हैं, मैं माफी चाहता हूं। इसका गलत मतलब न निकालें। लेकिन आगे के लिए क्या व्यवस्था हो, हमारा इन्वेस्टमेंट पापुलेशन को देखकर होना चाहिये और दूसरी जगहों के टोटल नेग्लेक्ट पर। यह सोचने का विषय है जो सोचा जाना चाहिए। उदाहरण दे दूं कि लद्दाख है वहां पर पैदा नहीं होता है वह। तो हर जगह की अपनी लिमिटेशन्स हैं। वहां पर मेजर इन्वेस्टमेन्ट करें और कश्मीर की वेली में न करें तो इसके लिये सोचना पड़ेगा कि मिनिमम एलोकेशन्स कहां कितने कर सकते हैं जिससे कि अधिक उपयोग हो। गंगानगर को ले लीजिये ग्रेनरी है। फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। यह सोचना होगा कि बफर स्टाक हमेशा रहेगा या नहीं, जो लेजिटिमेट है उसका आधा भाग भी प्लान करके चलें तो और प्रान्तों की फूड समस्या को हल करने में यूजफुल साबित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, लॉ एन्ड ऑर्डर के बारे में कहना चाहता हूं। अलवर जिले के अन्दर ला एन्ड ऑर्डर लॉ थोड़ी

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

सी समस्या बन गयी है जो राज्य सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, वहां कोई पोलिटिकल ओवर्ट हो वह लेकर चलें, मिसाल दे दूं कम्युनिस्ट लोग अपनी विचार-प्रणाली से चल रहे हैं, में तो माननीय रामानन्दजी नहीं कहना चाहूंगा, वहां लॉ एण्ड ऑर्डर की स्थिति दरअसल क्रिएट हो गयी है। जिन चम्बल और भरतपुर रेवाइन्स में डकॉयट्स थे तो वहां तो सक्सेसफुली मुकाबला किया, अब वहां तो अपनी हिम्मत नहीं होती लेकिन वे अपना एरिया शिफ्ट कर रहे हैं और यह लोकल समस्या हो गयी तो सरकार उस ओर ध्यान देगी। इस सिलसिले में अपनी कॉन्स्टिटुएन्सी भी नाम जिसका मन्डावर है वहां के थानेदार को डाकुओं के हाथ मुकाबला करते हुए अपनी जान गंवानी पड़ी। छोटे अफसर हैं। पुलिस का छोटा सिपाही है लेकिन मैं इस बहादुर आदमी के प्रति इस सदन में श्रद्धान्जली अर्पित करना चाहता हूं। डाकुओं की खबर सुनी, जाने का टाइम नहीं था, नीचे के आदमी जाने लगे, लेकिन उसने खुद ने कहा कि मैं खुद जाऊंगा। रात को वहां गया। फिजिकली धर पकड़ हुई। दो आदमी पकड़ने में लगे रहे, तीसरे के पीछे वह भागा तो उन आदमियों ने पाइन्ट ब्लेन्क उसको शूट कर दिया। मैं अपने को खुद को भी शामिल करता हूं। सर्विसेज में कई तरह की कमियां हैं। करप्शन को लेकर निराशा की भावना होती है कि अच्छे प्लान्स होते हुए भी क्या हम इम्प्लीमेन्ट कर सकेंगे? पुलिस के अन्दर छोटे से छोटे अफसर भी इन्सानियत और हिम्मत की भावना लिये बैठे हैं, और अपनी जान की कुरबानी कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि सरकार उस बहादुर आदमी के लिये जो भी उनके नियमों में आता है, चूंकि उसने स्पेशल केस दिखाया है बहादुरी का, अकेले भाग कर पकड़ना, उसके लिए जो भी उचित समझे वह प्रावधान करें। सरकार से मुझे शिकायत यह है कि वहीं के पास खैरथल जगह है, दस हजार की मण्डी है। थाना खोलने की बात काफी अर्से से चल रही है। अलवर के बाद यह सबसे बड़ी मंडी है। एक स्कीम होम डिपार्टमेंट को दी गयी। खर्चे का भी सवाल नहीं। चौकी बन्द कर दीजिये। छोटे से इश्यू पर नहीं जाना चाहता था, लेकिन इतनी छोटी सी चीज समय पर नहीं कर पाते हैं तो लॉ एन्ड ऑर्डर की स्थिति तो बिगड़ती ही है और भी स्थिति पैदा हो जाती है।

उपाध्यक्ष महोदय, यह गांधी जी के सन्टीनरी का वर्ष है। उनको अलग अलग याद करेंगे और अलग अलग क्रेडिट लेने की कोशिश करेंगे। मैं समझता हूं कि गांधी जी एक पार्टी के नहीं सारे देश के थे। किन्हीं माने में वे सारे विश्व को रास्ता दिखाने वाले एक विभूति थे। उनके नाम या सन्टीनरी को हल्के तौर पर इस्तेमाल करके नहीं चलना चाहते। पर एक चीज है। अगर दरअसल उनके प्रति थोड़ी बहुत भी श्रद्धा है हमारे बीच में तो जो उनके प्रिन्सिपल्स हैं उनको आप क्रियान्वित करें। हो सकता है उनको हम इम्पलीमेन्ट करने में नाकामयाब हों। जवाहरलाल जी भी गांधी जी के जो प्रिन्सिपल्स थे उनको हन्ड्रेड परसेन्ट मानते थे। उनके विचार और प्रणाली मिलते थे, लेकिन क्रियान्वित हन्ड्रेड पर्सेन्ट नहीं कर सकते थे। अलग अलग देश की अलग अलग कार्यप्रणाली है, लेकिन उनके ऐसे विचार हैं ऐसी भावना है कि आज इस देश की एक भुखमरी से पीड़ित देश की आजादी हासिल की उस एम्पायर से जिसके लिये कहा गया था

(श्री हरिप्रसाद शर्मा)

कि "सन् नेवर सेट्स इन देट एम्पायर"। उनसे निकाल कर भारतवर्ष को आजादी दिलायी, यह उनका बड़ा योगदान है। सबसे बड़ी बात जो मुझे जंची है वह यह है कि उनका कहना था कि देश को निडर और निर्भय होकर चलना है। इसी ने 30 करोड़ के उस समय के हिन्दुस्तान को अंग्रेजों से लड़ने की क्षमता पैदा की। अन्याय के प्रति डर को निकाल दें तो भारतवर्ष की तमाम दिक्कतें दूर हो जावेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आखिर में दो मिनिट लेना चाहता हूं। उसके बाद समाप्त करूंगा। महात्मा गांधी जी की समाधि दिल्ली में बनी हुई है। दिल्ली में कई बार गया। ऐसा अकस्मात् नहीं हुआ, यह मेरी कमजोरी कहिये कि मैं उनकी समाधि पर गया हूं। पिछली दफा में उनकी समाधि पर गया। गांधी जी की हर तरह की बातें, धर्म, नीति इत्यादि प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी समाधि के बाहर सिर्फ दो लाइन का सैन्टेन्स लिखा हुआ है मैं केवल उसको उद्यत करना चाहता हूं। "मेरी जिन्दगी का ध्येय आंख से हर आंसू को पोंछना है"। जिन्दगी भर उनकी कही जाने वाली बातों को छोड़ कर सिर्फ दो लाइन लिखी हुई है उसी को पढ़ देना चाहता हूं। और मैं नम्रता पूर्वक यह आशा करता हूं कि सदन के दोनों ओर ही यह लागू होगी। इस लाइन का जहां तक मैं याद कर पाया हूं वह इस प्रकार है :—

"I am a man of faith. I only think of the first step; the second step I leave on the grace of God that he will give me the strength to take the second step."

मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा आज इनको राजस्थान का नेतृत्व करते 15 साल हो गये उनके सामने कितनी ही दिक्कतें आयी हैं कितनी ही बातें विरोधी दल के सदस्यों से सुनते हैं। मैं तो समझता हूं आज के दिन जो भी सवाल हमारे सामने हैं उनके बारे में मुझे कहने का अधिकार है और यह लाइनें हमारे मुख्य मंत्री ही पर हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामनारायण।

श्री रामनारायण चौधरी (मंडावा) : उपाध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया मैं उस प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये आपके सामने खड़ा हुआ हूं।

उपाध्यक्ष जी, राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाषण में राजस्थान में पड़े हुए इस भाषण अकाल की स्थिति के बारे में सही चित्रण प्रस्तुत किया है। उन्होंने सदन के सामने अभिभाषण देकर हमें कृतार्थ किया है हम उनके प्रति आभारी हैं।

प्रस्तावक महोदय ने इस सम्बन्ध में बहुत ही विस्तृत एवं काफी तथ्यों के साथ सब बातें रख दी हैं, मैं उन बातों को दोहराकर सदन का समय नहीं लेना चाहता। उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान ने इन पिछले बीस सालों में चहुंमुखी प्रगति की है वह भी योजनाबद्ध तरीके से की है। अभी कल ही निन्दा प्रस्ताव के सम्बन्ध में इस सदन में बोलते हुए हमारे माननीय सदस्य जो भरतपुर से आये हैं उन्होंने फरमाया था कि योजनाबद्ध तरीके से देश में काम नहीं हुआ। योजनाओं का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया गया जिसके कारण यह दुष्काल पड़ा है और हम इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मैं उनके इस बात से और तथ्यों से सहमत नहीं हूं। उन्होंने ये सब बातें कहकर सदन में एक प्रकार का वातावरण

(श्री रामनारायण चौधरी)

बनाने का प्रयत्न किया है । लेकिन दुख इस बात का है कि उन्होंने आलोचना तो कर दी लेकिन अपनी तरफ से कोई प्रोग्राम या योजना या सुझाव नहीं रखा, जिनके ऊपर विचार किया जा सके । महज नेगेटिव व्यू ही उन्होंने रखने की कोशिश की है, मैं समझता हूं उन जैसे विद्वान् के लिये यह उचित नहीं था ।

उपाध्यक्ष महोदय, देश की योजनाओं का भी एक एम है जिसके कारण ही देश इतना आगे बढ़ा है और खुशहाली आई है । आज देश में जो चेतना और विकास की गति आयी है वह हमारी पंचवर्षीय योजनाओं का परिणाम है । उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा कि हमें देश की प्रगति को चीन की प्रगति के साथ मुकाबला करना चाहिये, अपने देश का मुकाबला पाकिस्तान से करना चाहिये । मैं इस मामले में भिन्न दृष्टिकोण रखता हूं । मैं कहता हूं कि हिन्दुस्तान का मुकाबला चाइना से नहीं किया जा सकता । हिन्दुस्तान का आज से बाइस साल पहले दुनियां में कहीं स्थान नहीं था वह केवल मात्र अंग्रेजी साम्राज्य का एक हिस्सा मात्र था । चाइना तो बरसों से एक स्वतंत्र और स्वाधीन राष्ट्र था । चांगकाई शेक के नेतृत्व में भी उसने काफी उन्नति की थी वह भी चाइना मे बहुत लोक प्रिय प्रधान मंत्री था । उस समय हम अंग्रेजों के गुलाम थे, यहां पर राजाओं और जागीरदारों का शासन था, हमें बोलने तक का अधिकार नहीं था । आर्थिक क्षेत्र में, राजनैतिक क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में कोई अधिकार हमें नहीं था उस वक्त भी चाइना पांच दुनियां भर की शक्तियों में गिना जाता था । उसका और हिन्दुस्तान का मुकाबला करना उचित नहीं होगा । मुझे इस बात में हिचकिचाहट नहीं है कि हमें चाइना से अधिक प्रगतिशील होना चाहिये, लेकिन जो देश काफी अरसे से स्वाधीन हो और जो दुनियां की पांचवीं शक्ति में हो उसके समकक्ष होने में समय लगेगा ।

उपाध्यक्ष महोदय, जब चाउ एन ला यहां भारत में आये थे उन्होंने भी यह माना था कि चाइना हिन्दुस्तान से औद्योगिक क्षेत्र में काफी पीछे है । यह बात वहां के प्राइम मिनिस्टर ने कही थी ।

श्री रामकिशन (वर): और आपने उसको सही मान लिया ।

(2.45 म०प०)

(श्री केदारनाथ, सभापति, पदासीन)

श्री रामनारायण चौधरी : उस समय उन्होंने यह कहा था कि चाइना हिन्दुस्तान से औद्योगिक क्षेत्र में बहुत पीछे है । आज देश के अन्दर दो क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें प्रगति की जानी चाहिये वह हैं औद्योगिक क्षेत्र और कृषि क्षेत्र । मैं मानता हूं हिन्दुस्तान एक कृषि प्रधान देश है इसके बावजूद भी हम कृषि क्षेत्र में वह लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सके जो प्राप्त किया जाना चाहिये । लेकिन हम इस मामले में निराश नहीं हो सकते । मैं यह कहना चाहता हूं कि इन बीस सालों में हिन्दुस्तान में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन हुआ है उसका अनुकरण दूसरे देश भी करने लगे हैं । हम चाइना से कृषि के क्षेत्र में भी मुकाबला नहीं कर सकते । हिन्दुस्तान की कृषि योग्य भूमि चाइना की भूमि से बहुत भिन्नता रखती है । चाइना में 70 करोड़ की जनसंख्या है जब कि हमारे हिन्दुस्तान में 55 करोड़ की

(श्री रामनारायण चौधरी)

जनसंख्या है इस कारण हम कृषि के क्षेत्र में भी चाइना से मुकाबला नहीं कर सकते। इसके बावजूद भी मुझे यह कहने में खुशी है कि कृषि के मामले में जो भी प्रगति की है उसकी सब तरफ सराहना हो रही है।

आज हमारा दृष्टिकोण इस प्रकार का बनता जा रहा है कि हमें अपने पैरों पर किस प्रकार से खड़ा होना चाहिये। खुशी की बात है जब हमारा कन्फ्लिक्ट चाइना से 1962 में हुआ·····

श्री रामकिशन : आप कन्फ्लिक्ट मत कहिये, चाइना ने आक्रमण किया।

श्री रामनारायण चौधरी : जिस वक्त चाइना ने हमारे देश पर आक्रमण किया उस वक्त भी हमने अपने आपको संभाला। संभालने के बाद आज हम इस स्थिति में आ गये हैं कि आज हम किसी भी देश का सफलता के साथ मुकाबला कर सकते हैं। रामकिशन जी के पास ये भी आंकड़े होंगे कि उस वक्त कितना खाद्य पदार्थ हमें बाहर से मंगाना पड़ा, आज हम कितना मंगा रहे हैं जो पिछले वर्षों से कई गुना कम है।' आज राजस्थान में भीषण अकाल है राजस्थान में पिछले सौ सालों में भी ऐसा भयंकर अकाल नहीं पड़ा था। जैसा कि मुख्य मंत्री महोदय ने कहा था बिहार में जो अकाल पड़ा था उससे भी भयंकर यहां का अकाल है। ऐसी हालत में भी राजस्थान के प्रत्येक जिले में फूड प्राइसेज कन्ट्रोल में हैं। आज हमारे यहां की जनता राशन की आवश्यकता को उतना महसूस नहीं करती जितना चार पांच साल पहले आवश्यकता अनुभव कर रही थी। क्यों नहीं करती ? मैं इसके लिये सरकार को दाद देता हूं कि उन्होंने अनाज की प्राइसेज और स्टोरिंग पर कन्ट्रोल किया, नियन्त्रण किया और प्रशासन की नीति से समझिये, या प्रशासन की कुशलता को समझिये, उन्होंने होर्डिंग को रोका है। आज जिलों के अन्दर हम अनाज की समस्या उतनी नहीं महसूस करते हैं जितनी आज से 8 साल पहले करते थे। आज अमेरिका और दूसरे देशों से अनाज नहीं आ रहा है फिर भी हमें अनाज की कोई दिक्कत नहीं हुई है। अब की बार जब अमेरिका ने घोषणा नहीं की कि हिन्दुस्तान को कितना अनाज देंगे, तो लोगों को और सरकार को निराशा हुई कि अमेरिका अनाज नहीं देगा तो क्या होगा, लेकिन फिर भी साल भर आराम से व्यतीत हो गया और अब केवल दो तीन महीने ही बचते हैं। यह सब कैसे हुआ ? यह सब हमारी योजनाओं की वजह से हुआ है और हमने जो कृषि के बारे में प्रोग्राम बनाया उसकी वजह से हुआ है। इसके बाद भी यदि माननीय रामकिशन जी नहीं मानते हैं तो ताज्जुब है।

आज राजस्थान कैनाल हिन्दुस्तान में तो सबसे बड़ी कैनाल है ही, पर दुनिया में भी बड़ी बड़ी कैनाल्स में से एक है। जिस वक्त वह अन्तिम चरण पर होगी उस वक्त की आप कल्पना करिये। यह अलग बात है कि साधनों के अभाव में हम उसे पूरा नहीं कर पा रहे हैं।

बिजली की बात देखिये। बिजली का कृषि के उत्पादन में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज से 15 साल पहले जहां राजस्थान में केवल एक-आध जगह पर बिजली थी, वहां आज राजस्थान में कोई भी शहर नहीं है जहां पर बिजली न हो। आज जो प्रकाश हम यहां देख रहे हैं वह राजस्थान के कई गांवों में भी देखने को

(श्री रामनारायण चौधरी)

मिलता है। इतना होने के बाद भी आप नेगेटिव व्यू लेते हैं और कहते हैं कि राजस्थान में कुछ नहीं हुआ तो मैं समझता हूँ कि आप जो कुछ भी हुआ है उस सब पर परदा डालकर एक निराशा का वातावर सोसायटी में पैदा करना चाहते हैं, जिससे न तो आपका भला होगा, न जनता का और न इस देश का भला होगा। देश में अगर निराशपूर्ण वातावरण बनगा तो वह किसी के लिये भी हितकारक नहीं होगा। मैं इस बारे में निवेदन करना चाहता हूँ कि कृषि के मामले में हिन्दुस्तान और राजस्थान में हर क्षेत्र में प्रगति की है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है एग्रीकल्चर का जिसमें हम पीछे रहे हों। कुओं का मामला आप लीजिये, चाहे ट्यूबवैल्स ले लीजिये, बिजली की वजह से आज हर जगह प्रोडक्शन बढ रहा है और लोगों की प्रॉस्पेरिटी बढ़ रही है। देश में फल-फूल, सब्जी का प्रोडक्शन भी बढ़ा है। तो यह नहीं कहा जा सकता कि हमारी योजना असफल रही है और उस वजह से राजस्थान में अकाल पड़ा। आप अन्दाजा कीजिये कि यदि यह योजना नहीं होती और य सब काम नहीं हुए होते तो क्या हालत होती? बीकानेर में आज मे 100 साल पहले अकाल पड़ा था वह इतना भंयकर था कि 50 प्रतिशत आबादी नष्ट हो गई। और 1956 में जो जोधपुर में अकाल पड़ा था उसमें 90 प्रतिशत पशुधन नष्ट हो गया जबकि आज यह पोजीशन है कि बाड़मेर में, जैसा कि बाड़मेर से आनेवाली माननीय सदस्या ने फरमाया, जो पशुधन नष्ट हुआ है वह ऐसा है जो कि अनप्रोडक्टिव था। वह इस नेचर का था जो कि हर साल, चाहे कितनी भी अच्छी फसल हो, राजस्थान में ही नहीं, सारे हिन्दुस्तान में नष्ट होता ही है, क्योंकि हम आर्थिक दृष्टिकोण से चलते हैं। अच्छा बछुआ होगा, दूध देने वाला पशु होगा, तो उसको बांध कर रक्खेंगे और उसका ख्याल रखेंगे। और अगर बेकार पशु होगा तो उसको छोड़ देंगे। तो इस प्रकार के बेकार पशु तो राजस्थान और हिन्दुस्तान मे माइग्रेट होते ही रहते हैं और मरते ही रहते हैं। यह कोई नई बात नहीं है। लेकिन खुशी है इस बात की कि बाड़मेर में इस भीषण अकाल में भी, जैसा कि माननीय सदस्या ने बताया, अच्छे नस्ल का पशुधन नष्ट नहीं हुआ। इससे बढ़कर और आपको कौनसा प्रमाण चाहिये इस योजना के सफल होने का?

सभापति महोदय, दूसरी बात रामकिशनजी ने कही कि पाकिस्तान हमारा शत्रु देश है, उससे भी अगर हम कम्पेयर करके देखें तो हम उससे पीछे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि पाकिस्तान से आप किसी भी मामले में हमारा मुकाबला करें, हम किसी भी क्षेत्र में पाकिस्तान से पीछे नहीं हैं। एग्रीकल्चर की लें तो भी पाकिस्तान कभी हिन्दुस्तान को मुकाबला नहीं कर सकता। आपको मालूम है, सभापति महोदय, कि जिस वक्त पार्टीशन हुआ था उस वक्त देश का उपजाऊ हिस्सा पाकिस्तान को गया था। चावल की प्रोडक्शन म बंगाल, और गेहूं के लिहाज से पंजाब और सिंध, ये महत्वपूर्ण हिस्से थे, ये दोनों ही पाकिस्तान को गये। देश में उस वक्त बड़े से बड़े केनाल और केनाल्स में आन वाली भूमि पाकिस्तान के हिस्से में आई, पाकिस्तान की आबादी केवल दस करोड़ हैं और हमारी 55 करोड़ है। यह सब होते हुए भी आज पाकिस्तान फूड प्रोडक्शन में हिन्दुस्तान का मुकाबला नहीं कर सकता।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह पार्टिशन की बेवकूफी किसने की थी ?

श्री रामनारायण चौधरी : इन्डस्ट्रीज के अन्दर हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का कोई मुकाबला नहीं। हिन्दुस्तान पाकिस्तान से कहीं आगे है। पाकिस्तान में 1956 में वहां पर डेमोक्रेसी खत्म कर दी गई। आप 1956 से पहले और बाद के वहां के आंकड़े देख लीजिये। 1956 के बाद वहां पर डिक्टेटरशिप आ गयी। तो डिक्टेटरशिप और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के अचीवमेंट्स का भी मुकाबला करिये। जहां डिक्टेटरशिप है और जहां पार्लियामेंट्री फार्म ऑफ डेमोक्रेसी है उनके अचीवमेंट्स का भी मुकाबला करना पड़ेगा। पार्लियामेंट्री फार्म ऑफ गवर्नमेंट में और डिक्टेटरशिप में हर बात में फर्क आयेगा, उनके प्लानिंग में, उनके टारगेट्स में और उनके रिजल्ट्स में भी फर्क आयेगा, वे कभी भी बराबर नहीं आयेंगे। हमने पार्लियामेंट्री फार्म ऑफ गवर्नमेंट को ऐक्सेप्ट किया है। तो आप इस तरह का भ्रामिक प्रचार मत करिये कि डिक्टेटरशिप अच्छी होती है। आप इस तरह से देश के लोगों को बहकाओ मत। लोग यह समझेंगे कि डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट अच्छी होती है।

श्री रामकिशन : मैंने अच्छा नहीं बताया।

(3.00 म० प०)

श्री रामनारायण चौधरी : लेकिन यह माना हुआ तथ्य है कि डिक्टेटोरियल गवर्नमेंट, राष्ट्रपति शासन, तानाशाही शासन जैसा शासन आप कहें वह पाकिस्तान में है। उस शासन का हिन्दुस्तान के डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट से कोई मुकाबला नहीं कर सकते। सन् 56 के बाद के पाकिस्तान को आप देख लीजिये। क्या मुकाबला करते हैं उससे आप ? आज आप हिन्दुस्तान में चाहे जो कह सकते हैं। अच्छे काम को अच्छा आप नहीं बताते हैं। सत्य को असत्य कहते हैं। दिन को रात और रात को दिन कहते हैं। इस देश में विचार करने की, भाषण करने की पूरी स्वतन्त्रता है। इसके मुकाबले में आप मेहरबानी करके पाकिस्तान की हालत को देख लीजिये।

श्री रामकिशन : आप यह मत कहें कि हमने कल सब उल्टा ही उल्टा कहा। कल मैंने आपको श्री रामनारायणजी के बजाय श्रीमती रामनारायण चौधरी तो नहीं कहा....

श्री रामनारायण चौधरी : यह भी आप कह सकते हैं। आज इस देश ने कांग्रेस के साथ आजादी हासिल की। आजादी से पूर्व कांग्रेस ने महज यह नारा दिया था कि देश को स्वतन्त्र करेंगे और आजाद करेंगे। उसके साथ साथ सारे मुल्क ने प्रतिज्ञा की थी। देश के साथ कांग्रेस का यह कमिटमेंट था कि आजादी के बाद सबसे पहले देश रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक होगा। आजादी के बाद यह देश इस बात को तय करने के लिए आजाद होगा कि वह किस तरह का शासन इस देश के अन्दर लाना चाहता है। आप सब यह बात जानते हैं। कांग्रेस की देश को यह सबसे बड़ी देन है। विश्व, संसार आज इस दृष्टि से देख रहा है कि हम इसमे कितनी सफलता प्राप्त करते हैं। आज देश के अन्दर लोकतन्त्र पनप रहा है, अतीव शोभा

(श्री रामनारायण चौधरी)

और उत्साह के साथ पनप रहा है। लोकतन्त्र के साथ साथ देश के अन्दर प्रगति, डेवलपमेंट भी हो रहा है और वह डेमोक्रेटिक सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट की तरह से हो रहा है। देश की जनता कोई भय नहीं खाती। जनता चाहती है कि हमें अच्छा शासन दिया जाय, उसकी जो जरूरतें हैं वे पूरी हों और विचारों की स्वतन्त्रता हो। हम यह चाहते हैं कि लोकतन्त्रीय पद्धति से शासन चलावें और सही बात कहने की आजादी हो, और इच्छा के अनुसार विचरने की आजादी हो। इस प्रकार की व्यवस्था के अन्दर जो शासन होगा, उसमें आपको यह मानकर चलना पड़ेगा कि वे एचीवमेंट जो एक तानाशाही देश में हो सकते हैं, वे यहां नहीं लाये जा सकते। फिर भी आपको खुशी होनी चाहिये कि आपके देश और प्रदेश में स्थायी शासन है। इन्साफ हर तरीके से मिलता है, डेवलपमेंट हर तरीके से हो रहा है बावजूद भी बड़ी कठिनाइयों के, इसकी तरफ हमें ध्यान देना है।

स्वाधीनता के समय हमने देश से एक प्रतिज्ञा की थी कि हम देश में शासन प्रणाली, एग्जीक्यूटिव से न्यायपालिका को पृथक करेंगे। यह हमारा सिद्धान्त था, डाइरेक्टिव प्रिन्सीपल था हमारे कॉन्स्टीटयूशन का कि ज्यूडिशियरी का हम सेपरेशन करेंगे। इस पर हम प्रगति कर रहे हैं, आज आप यह कह सकते हैं। मेरी क्या राय है, इसके बारे में, वह अलग हो सकती है। हमारे संविधान में व्यवस्था है कि ज्युडिशियरी का कार्यपालिका से सेपरेशन होना चाहिये। यह हमारी सरकार ने राजस्थान में किया है। जैसा कि राज्यपाल महोदय ने बताया है कि कुछ ही सब-डिविजन ऐसे हैं जिनके अन्दर ज्युडिशियरी अलग होनी है। इस सम्बन्ध में वे यह घोषणा कर चुके हैं कि मार्च के पहले पहले सम्पूर्ण राजस्थान में न्यायपालिका, कार्यपालिका से पृथक कर दी जायेगी। इस देश के अन्दर यह सबसे बड़ा एचीवमेंट होगा। इसका क्या रिजल्ट होता है, अच्छा होता है यह भविष्य में देखने की बात है। चूंकि हमारे संविधान में इस प्रकार की बातें है, इसलिये इसका हम पालन कर रहे हैं।

इसके बाद हमारी प्रोहिबीशन की पॉलिसी है। कांस्टीट्यूशन में यह प्रावीजन है कि मद्यनिषेध होगा। कई स्टेट्स में यह है और कइयों में यह पहले ही था। लेकिन अब एक दृष्टिकोण यह बनता जा रहा है कि कई स्टेट्स इसके विपक्ष में जा रहे हैं; सिवाय मद्रास को छोड़कर। मद्रास ही एक ऐसा राज्य है जहां कि सख्ती के साथ संविधान के मुताबिक आज भी कांग्रेस की सरकार ने जो नीति वहां निर्धारित की है मुझे खुशी है कि अन्नादुराई की सरकार ने उस नीति को कायम रखा और मजबूती के साथ उसमें आगे बढ़ने की घोषणा की है। इसके बाद गुजरात और महाराष्ट्र आते हैं। गुजरात और महाराष्ट्र की सरकार ने प्रोहिबीशन की नीति निर्धारित की है। मैसूर की सरकार इसमें हिच-किचाहट में है। हमें खुशी है कि इन विपरीत परस्थितियों में भी हमारी सरकार ने यह दृढ़ घोषणा की है कि आने वाले तीन सालों के अन्दर हम कम्प्लीट प्रोहिबी-शन करेंगे और यह होगा कि नहीं, यह वक्त बतायेगा। परन्तु इसके लिये हम सरकार को दोष नहीं दे सकते। यह तो हमारा दोष होगा। यह एक जनरल टेंडेंसी है, लोगों की प्रवृति पर निर्भर करता है। हम कितना

(श्री रामनारायण चौधरी)

वातावरण समाज के अन्दर बना सकते हैं और उसके लिए सरकार का सहयोग ले सकते हैं। मेहता साहब के प्रयत्न से सर्वोदय समाज और अन्य स्वयं सेवी संथाएं कितना वातावरण बना सकती हैं, यह समय बतायेगा। अगर ये संस्थाएं सफल नहीं होती हैं तो इसके लिये सरकार को दोष नहीं दे सकते। यह दोष महता साहब का होगा जनता और मेहता साहब इस दोष के भागी होंगे। इसलिये राजस्थान में हम सब इस प्रकार का वातावरण बनावें कि राजस्थान ी सरकार ने जो नीति निर्धारित की है, मद्यनिषेध की वह सफल हो और उसमें हमारा सहयोग है। परन्तु इस नीति का श्री रामकिशन जी ने समर्थन नहीं किया। मेहरबानी करके वे यह तो कहते कि मैं इसका समर्थन करता हूं, यह एक तथ्य है, इसको तो आप मेहरबानी करके स्वीकार करिगेगा। इस तरह से आप तथ्यों के साथ ज्यादती कर रहे हैं। मद्यनिषेध के बारे में आप कह सकते थे कि राजस्थान सरकार ने बड़ी हिम्मत के साथ प्रोहिबिशन की पॉलिसी, मद्यनिषेध की नीति घोषित करके एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। देश के अन्दर जो विपरीत परिस्थियां हैं, उसके अन्दर राजस्थान ने एक मार्गदर्शन दिया है, नया नेतृत्व दिया है। इसके लिए आपको सहानुभूति होनी चाहिये। मैं समझता हूं मेहता साहब निश्चित रूप से इसकी सराहना करेंगे।

सभापति महोदय, इसके बाद मैं यह निवेदन करूं कि हमारे देश की योजनाओं के जो लक्ष्य प्राप्त होने चाहिये, जिनको हम प्राप्त करना चाहते थे, वे हम प्राप्त नहीं कर सके। मैं यह नहीं कहता कि इस बात में में सगति नहीं है। मुझे इस बात को स्वीकार करने में कोई हिचकिचाहट नहीं है, परन्तु हिन्दुस्तान के इन बीस सालों की प्रगति का लेखा-जोखा आप लें और इसके मुकाबले के किसी भी देश से आप तुलना कर सकते हैं, हमारे देश को, हिन्दुस्तान को जिन हालतों से गुजरना पड़ा और उन हालातों से निकला और जिनसे हम आज भी गुजर रहे हैं, उनको देखते हुए हमने कम प्रगति नहीं की है। हमारे देश में जितने भाषा-भाषी प्रांत है, जितनी विभिन्न बोलियां हैं, दक्षिण की भाषा को हम नहीं समझते, वे हमारी भाषा को नहीं समझते। इतनी विभिन्नता के देश में, जिसकी कि एक बोली नहीं है, एक लेंग्वेज नहीं है, जो देश अपनी लेंग्वेज के बारे में, भाषा के बारे में एक मत, सहमत न हो, उस देश के संचालक और शासन सम्भालने वाले लोगों ने अपने देश की अगर इतनी प्रगति को और इतना आगे ले गये तो धन्यवाद देना चाहता हूं। ऐसी विभिन्न अवस्था में, इतनी विपरीत परिस्थियों में और कोई दूसरा दल या व्यक्ति होता तो शासन को इतना लम्बा और स्थिर बनाये रखना तो दर किनार, थोड़े समय के लिये भी शासन चलाना मुश्किल होता यू. पी. में दूसरे लोगों को शासन मिला था। कितने दिन शासन दे चला पाये ?

इस ऑर्डिनेन्स पर आपत्ति उठाई गई ? क्यों ? किस दलील के आधार पर ? सभापति महोदय, डेमोक्रेसी में सदन को पूरा अधिकार है कि वह उस पर विचार करे, और लॉ बनावे।

श्री दुर्गालाल बाढ़दार (हवामहल जयपुर): यहां लाया ही नहीं जाना चाहिये था। ऑर्डिनेन्स राज्य जनतन्त्र में उचित नहीं होता।

श्री भगवानदास शास्त्री (अजमेर प०): ये आर्डिनेन्स प्रजातन्त्र की मजाक उड़ाते है।

श्री रामनारायण चौधरी : राज्यपाल का फर्ज था कि वे इसे सदन में रखते। राज्यपाल की एजेंसी सरकार है। अगर नापसन्द है सदन को यह तो अस्वीकार कर दे वह। मेजोरिटी सिस्टम ऑफ गवर्नमेन्ट में अगर आपका विश्वास है तो फिर यह जनतन्त्र के विरुद्ध कैसे हुआ। मैं राज्यपाल की इस कदम को उठाने के लिये सराहना करूंगा। मैं इस बात पर नहीं जाना चाहता कि इससे व्यक्तिगत रूप से किसको क्या लाभ हुआ, क्या नहीं हुआ। मैं सिद्धान्त की बात पर निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने जो यह आर्डिनेन्स निकाला वह लोकतन्त्र की विजय है। आज टैकनिकल ग्राउन्ड पर चुनावों के वक्त में एक आदमी ऑफिस ऑफ प्रोफिट पर है यह कहकर, जिसको जनता ने चुना, उसको हटा देना जनतन्त्र की मखौल है। जनता को क्या पता कि टैकनिकल ग्राउन्ड क्या है क्या नहीं है।

श्री भगवानदास शास्त्री : फिर तो आप कलेक्टर-कमिश्नर सरकारी पदाधिकारी या नौकर को भी छूट दें। उनको भी इजाजत मिलनी चाहिये। जनता तो उनको भी चुन देगी। वह भी जनतन्त्र की विजय होगी। महरबानी करके आप दूसरे विषय पर आइये।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई सरकार का वकील है, जब उसके पास लाइसेन्स है, हाई कोर्ट का लाइसेन्स है केस की पैरवी करता है तो उसका उसे रेम्यूनेरेशन मिलता है, उसको तनखा तो नहीं कह सकते, आज वह सरकार का वकील है, कल दूसरे का हो सकता है। तो अगर इसे ऑफिस ऑफ प्रोफिट मानते हैं तो यह तो हम भी हैं। हमें भी 400) मिलता है। हमारे प्रदेश के 232 प्रधान हैं, 26 प्रमुख हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) : ऑन ए पोइन्ट ऑफ आर्डर सर, सभापति महोदय, माननीय सदस्य जिसका जिक्र कर रहे हैं वह राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश का जजमेन्ट है। क्या माननीय सदस्य अपने आरगुमेन्ट से यह साबित करना चाहते हैं कि न्यायाधीश ने यह जनतन्त्र के खिलाफ काम किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिये था, यह उनका एस्परशन है हाई कोर्ट के न्यायाधीश पर और इसलिये मैं समझता हूं कि उनके इस सारे कथन को प्रोसीडिंग्स में से एक्सपन्ज कर दिया जावे।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं समझता हूं.....

(शोरगुल : अवरोध)

श्री सभापति : आप ऑफिस ऑफ प्रोफिट की परिभाषा न करें और अपना भाषण जारी रक्खें।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सभापति महोदय, मैं कह रहा था, ठीक है, मैं नहीं जाना चाहता इसमें। आपकी अनुमति से, यदि इस पर चर्चा की जावे तो कोई ऐसी एस्परशन जैसी बात नहीं है, हाई कोर्ट पर आक्षेप नहीं होता क्योंकि आर्डिनेन्स आ चुका है और हमारे सामने विचाराधीन है। आज वह लॉ है। लॉ ऑफ दी लैंड है। उस लॉ ऑफ दी लैंड के बारे में कहना ऐसी बात नहीं है। तो मैं यह कह रहा था कि यह लोकतन्त्र की विजय है। कोई जनता द्वारा चुना हुआ प्रतिनिधि केवल टैकनिकल आधार पर चला जावे और हम उसे यहां बैठा न देखें तो फिर यहां हम किसलिये बैठे हैं। हमारा क्या फर्ज है। कानून हम बनाते हैं। तो उसकी वहां का कोई बाहर बैठा आदमी परिभाषा करे और हम डाउट करते रहें यह लोकतन्त्र के हित के खिलाफ है।

श्री मदनसिंह (दांता रामगढ़) : यह हाई कोर्ट के जज पर सीधा आक्षेप है । बाहर बैठे आदमी से आपका क्या मतलब है ?

श्री सभापति : पूरी बात तो कहने दीजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : कानून बनाने का हमारा पूरा अधिकार है । कौनसा कानून उचित है कौनसा अनुचित है, यह हमारा देखने का काम है ।

श्री मदनसिंह : आप देखते होते तो फैसला कर लेते । पर मामला सुप्रीम कोर्ट में है ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह आर्डिनेन्स लोकतन्त्र के हित में है और यह कानून जो हम बनाने अब जा रहे हैं यह लोकतन्त्र को जीवित रखेगा ।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : पर आप हाई कोर्ट के फैसले को चैलेन्ज या क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ।

श्री गिरधारीलाल व्यास : माननीय सदस्य बोलने नहीं दे रहे हैं ।

श्री रामनारायण चौधरी : कानून बनाने का मतलब, यह सदन सर्वोच्च है । इस सदन के अलावा दूसरी कोई शक्ति नहीं कि जो हमारे कानून को बदल दे । उसकी परिभाषा पर हम गौर करेंगे । पुनर्विचार करने का अधिकार है ।

श्री भगवानदास शास्त्री : जिससे कि व्यक्तिगत फायदा हो ।

श्री रामनारायण चौधरी : यह फायदा आपको भी हो सकता है । वह रामानन्दजी को हो सकता है । सभी को हो सकता है । यह कानून जनहित में होगा और जो जनहित में होगा उसे हमें बनाना पड़ेगा । यही करने के लिये हम यहां आये हैं । हम केवल दर्शक बनकर यहां बैठे नहीं रह सकते । भाषण सुनने और केवल देखने को यहां नहीं आये हैं । जो मौलिक अधिकार दिये हैं उनका अपहरण नहीं होने देंगे, इलेक्टोरेट ने हमें यहां भेजा है ।

श्री पृथ्वीसिंह : इस तरह के अधिकार मौलिक नहीं हैं ।

श्री सभापति : बोलने दीजिये ।

श्री रामनारायण चौधरी : तो मैं सभापति महोदय, आपसे निवेदन कर रहा था कि 20 साल में कांग्रेस के शासन में देश ने अभूतपूर्व प्रगति की है । जबर्दस्त विकास किया है और देश का मनोबल और उत्साह उस सीमा तक बढ़ा है जिसकी मैं क्या परिभाषा और बखान करूं । क्या वर्णन करूं । आज प्रदेश में भयंकर अकाल है जैसा पिछले सौ साल में नहीं पड़ा । इसके बावजूद आज इस प्रदेश के लोगों का मनोबल देखिये । आप चारों ओर नजर फैलाकर देखिये । कल डिबेट हो रही थी, परसों भी हो रही थी, पर किसी के चेहरे पर भी मुर्दनी और निराशा नहीं थी । क्या कारण था, यह सब देश की योजनाओं का फल था । सरकार के सुशासन और सफलताओं का फल था । अकाल होते हुए भी प्रदेश में भूखा सुबह उठता है लेकिन शाम के वक्त में प्रदेश का कोई आदमी भूखा सोता नहीं है ।

एक माननीय सदस्य : इतनी झूठ तो मत बोलो ।

श्री रामकिशन : मैं रात को भूखा ही सोया हूं ।

श्री रामनारायण चौधरी : ये दो सौ आदमी मुख्य मन्त्रीजी को बतावे कहां हैं—आपका कहना है ये भूख से मरे है, ये भूख से कतई नहीं मरे हैं। दांता से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह कहा है कि भूख से नहीं मरे······

श्री मदनसिंह : मैंने तो मेरे दांते की बात कही थी। मेरे इलाके में भूख से नहीं मरे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : कोई मृत्यु हो तो इसका कारण सरकार तो नहीं है?

श्री मदनसिंह : जो मरे हैं उनको जिन्दा अब कैसे कर सकते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी एक बात से सहमत हो जाऊंगा कि लोगों को जिन्दा रखना—इसके अन्दर सरकार का कोई हाथ नहीं हैं, कोई सहयोग नहीं लेकिन आपकी बात तो यह है कि कोई नहीं मरे तो इसके कारण क्या हम हैं? कोई नहीं मरे इसको हम भी मानते हैं। इस बात को स्वीकार किया नहीं। इसका प्रतिवाद तो आपके यहां से ही आया है। आज यह बात कहें कि अकाल में लोग मरे—आज एक आदमी भी भूख से नहीं मर रहा है भूख से मरने वाला आदमी एक दिन में नहीं मरता। पुरानी कहावत है भूख से एक आदमी की एक आंत 33 दिन में जाती है, दूसरी आत 50 दिन में जाती है और तीसरी जाती है 70 दिन में··

एक माननीय सदस्य : 70 दिन तो आज···

श्री रामनारायण चौधरी : 70 दिन को तो जाने दीजिये लेकिन 50 दिन में तो कोई मरता नहीं है। आज का स्टेमिना कम भी माना जाय तो भी 50 दिन से कम में नहीं मर सकता।

श्री मदनसिंह : यह ऐसा विषय आ गया है—वैसे मैं इसको मानकर चलता हूं······

श्री सभापति : आपको भी समय मिलेगा।

श्री मदनसिंह : मेरे एरिया में भूख से नहीं मरे लेकिन सुखाड़िया साहब यह कह दें कि भूख से आदमी मरे नहीं तो क्या उस गांव में अब आदमी जिन्दा हो जायेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : आपको और हमको भी मरना है। आप यह सोचते हैं कि मरना नहीं है, हजारों वर्ष जीना है यह गलत है। लेकिन यह कहें भूख से मरे हैं, व्यवस्था नहीं हुई कम से कम मेहरबानी करके ऐसी बात नहीं कहियेगा जिसमें अंश मात्र भी सच्चाई न हो। इससे लोगों में सरकार के प्रति विश्वास उठ जायगा···

एक माननीय सदस्य : उठ गया विश्वास तो······

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें तो न आपका हित है और न जनता का ही हित है······

श्री सभापति : ऑर्डर-प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि सफल कामों की वजह से और दूरदर्शिता, कार्यकुशलता और सरकार की सक्रियता ये हमें स्वीकार करनी होगी और हमें यह भी स्वीकार करना होगा कि आज देश का जो विकास और जो प्रगति हुई है उसमें कांग्रेस की सरकारें, कांग्रेस के द्वारा स्थायित्व मिला है इसका यह परिणाम है

(श्री रामनारायण चौधरी)

कि आज देश हमारा इस जगह पर है। आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसी भी क्षेत्र को लीजिये राजस्थान के प्रत्येक क्षेत्र के अन्दर इन 20 सालों में प्रगति हुई है। आज शिक्षा के क्षेत्र को लीजिये-शिक्षा के क्षेत्र में 20 साल पहले का मुकाबला कीजिये। 1944 में, मुझे दूसरे जिलों का पता नहीं लेकिन 1944 में झुंझुनू जिले की 7 लाख की जनसंख्या थी वहां सरकार की एक प्राइमरी स्कूल थी, आज में आपको नाम नहीं गिना सकता-हाई स्कूल, हायर सेकेन्डरी स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राइमरी स्कूलें। प्राइमरी स्कूलों में तो आज यह देखने को जगह नहीं मिलती कि कौनसा गांव है जहां स्कूल नहीं है। मैं यह कह सकता हूं 300 की आबादी के अन्दर प्राइमरी स्कूल है-यह हमारी योजना का फल है। प्रत्येक गांव में 300-500 की आबादी में एक प्राइमरी स्कूल, 5 हजार से 10 हजार तक की आबादी वाले गांव में एक मिडिल स्कूल, हाई स्कूल या हायर सेकेन्डरी स्कूल मिलेगा। आज राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें 1,2,3,4,5,6 तक कोई स्कूल नहीं हो। आप किसी भी जिले को उठाकर देख लीजिये-कोई जिला ऐसा नहीं है जिसमें प्राइमरी स्कूल नहीं हो····

एक माननीय सदस्य : सागवाड़ा।

श्री रामनारायण चौधरी : सागवाड़ा में भी जहां जहां 3-4 पंचायत समितियां हैं, वहां सेकेन्डरी स्कूल हैं, सागवाड़ा में भी इस साल खोल दिया गया है। यह स्थिति हमारे राजस्थान की शिक्षा के क्षेत्र के अन्दर है। आप इस बात से मुकाबला कर केचलियेगा-मैं मुकाबला नहीं करना चाहता उस जमाने के शासन से जिस शासन के अन्दर जनता का कोई हाथ नहीं था, जनता की आवाज नहीं थी उसको मैं शासन मानकर नहीं चलता। बहरहाल वह भी व्यवस्था थी, हम टैक्स देते थे, उस राज्य के हम प्रजा थे····

श्री रामानन्द अग्रवाल : मरी गाय से क्या मुकाबला करते हो।

श्री रामनारायण चौधरी : चूरू तहसील में जो आज पूरा जिला है, उस समय एक तहसील थी उससे मुकाबला कीजिये। 300 से ऊंची आबादी वाले ऐसे गांव नहीं मिलेंगे जहां स्कूल न हो। सरदारशहर में पहले एक स्कूल था अब आप उसको देखिये। आज इन 20 सालों में इस स्थिति का मुकाबला कीजिये। जो बात है, जो प्रगति आज देश में हुई है वह दरगुजर और नजरन्दाज करके नहीं चलना चाहिये और जो काम हुए हैं उसको स्वीकार करना चाहिये। जो काम होते हैं उनको हम काम किया हुआ नहीं मानते हैं तो करने वाले निराश तो नहीं होंगे लेकिन यह बात निश्चित ध्यान में आती है कि किये हुए काम को भी नहीं मानते हैं। जो हुआ है उसको स्वीकार करना चाहिये जो सत्य है उसको स्वीकार करना चाहिये। मैं बुनियादी बातों की तरफ थोड़ा सा और जाऊंगा, मैं सदन का अधिक समय भी नहीं लेना चाहता-देश की आजादी के वक्त में हमारी यह प्रतिज्ञा थी कि हमारे संविधान के डायरेक्टिव प्रिन्सिपल्स को जल्दी से जल्दी अपनाने की कोशिश करेंगे, उसमें यह भी था कि प्रदेश में पंचायती राज होगा, हमने प्रावधान किया था उस पवित्र संविधान के अन्दर। आप इस बात को स्वीकार करेंगे कि पंचायती राज की स्थापना के अन्दर

(श्री रामनारायण चौधरी)

राजस्थान न केवल अग्रणी रहा है बल्कि राजस्थान ने और प्रदेशों का नेतृत्व किया है-यह भी आप स्वीकार करके नहीं चलते। राजस्थान के अन्दर गांव-गांव के अन्दर आज पंचायती राज है। आज 300–300 की आबादी पर एक वार्ड है उन वार्डों में पंच हैं, ग्राम पंचायतों में सरपंच हैं और पंचायत समितियों में प्रधान हैं। ये अपने आपको यह महसूस करते हैं कि हम शासन के भागीदार हैं। माफ करिये अगर यह पंचायत समिति सिस्टम, यह प्रणाली देश में नहीं चालू की गई होती तो आज इस लोकतन्त्र पर जबरदस्त धक्का लगता। आज प्रत्येक आदमी की ख्वाहिश है कि मुझे विधान सभा में जाना है, मुझे लोक सभा में जाना है। ग्राम पंचायत का सरपंच जो 300 आदमियों का प्रतिनिधि होता है यह समझता है कि मैं राजस्थान के शासन का एक अंग हूं। आज ग्राम पंचायत का सरपंच जो कि तीन-तीन, चार-चार और पांच-पांच गावों के समूह का सरपंच है वह भी महसूस करता है और महसूस ही नहीं करता है बल्कि उसके हाथ में शक्ति है, डवलेपमेन्ट और दूसरे कामों में वह इकाई है हमारे शासन की। इस पंचायती राज की एक मामले में मैं प्रशंसा करता हूं और हमारी सरकार और मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सबसे पहले राजस्थान के अन्दर पंचायतीराज की स्थापना की और पंडित जवाहरलाल नेहरू को यहां नागौर में लाकर पंचायतीराज का काम बताया था। मुझे अविश्वास करने और निराश होने की जरूरत नहीं। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं उनसे कि यह आपको अवसर है राजस्थान की उन्नति करने का और हमारा सौभाग्य है कि आप जैसा मजबूत लीडर राजस्थान को लीड करने के लिए मिला है। आपने पंचायतीराज की स्थापना अपने जमाने में की थी वह आपके जमाने में मजबत, सुदृढ़ और एफीशियेन्ट हो और उसकी नींव इतनी मजबूत हो जानी चाहिए कि आने वाले समय में यह लोग महसूस करें कि पंचायती राज उस जमाने में स्थापित हुआ था और उस जमाने के अन्दर गति उसको मिली थी और उसको मजबूती मिली थी। पंचायती राज देश का एक दर्शन है जो कि लोकतंत्र के लिए जरूरी है और पनपना चाहिए। मैं निवेदन करूंगा कि इन तीन सालों के अर्से में इस ट्रान्जीशनल पीरियड में जब कि हमारे प्लानिंग में थोड़ा सैटबैक आया है उसमें पंचायती राज को थोड़ा धक्का लगा है। जिस उत्साह और गति के साथ पंचायती राज को शुरू किया गया था उसमें थोड़ी कमी आई है। मुझे उम्मीद और विश्वास है कि हमारी आशा पूरी होगी और हमारे प्रदेश के अन्दर पंचायतीराज पनपेगा और आगे बढ़ेगा। और दूसरे प्रदेशों के लिए, देश के दूसरे हिस्सों के लिए यह एक प्रेरणादायक होगा, इस स्थिति के अन्दर हम पहुंचेंगे ऐसी मैं आशा करके चलता हूं।

सभापति महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के ऊपर माननीय श्री हरिप्रसादजी ने जो धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं तहेदिल से समर्थन करता हूं। इस सदन का कीमती समय अधिक नहीं लेकर मैं अपने कथन को समाप्त करना चाहता हूं।

श्री मदनसिंह : मैं एक बात पूछना चाहता हूं।

श्री सभापति : यह पूछने का समय नहीं है, ऑर्डर प्लीज।

श्री मदनसिंह : आपका बहुत अच्छा भाषण हुआ लेकिन आपने आखिर में सारा टेस्ट बिगाड़ दिया एक व्यक्ति की पूजा कर दी।

श्री जगन्नाथ पटेल (टोडारायसिंह): वह व्यक्ति पूजा करने लायक हैं राजस्थान के अन्दर।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने पूजा नहीं की और आप एक सेकिण्ड के लिए यह भी मान लें कि मैंने पूजा की और पुजारी हूं–तो मैं समझता हूं कि गलत नहीं हूं। हिन्दुस्तान की संस्कृति और परम्परा यह रही है कि बड़ों के प्रति आदर और श्रद्धा और जो अच्छे काम होते हैं उसके लिए हिन्दुस्तान के लोग हमेशा नतमस्तक हुए हैं। आज कोई सही बात कहने वाला है उसके सामने हम नतमस्तक नहीं होकर उसकी बात को स्वीकार नहीं करते हैं तो उसके लिए वजह है कि हमारा समाज जिस दिशा में जा रहा है वह सारे हमारे कर्मों का फल है कि हम सही व्यक्ति को स्वीकार नहीं करते। माननीय मदनसिंहजी स्वीकार नहीं करते हैं सदन में लेकिन बाहर जाकर स्वीकार कर लेंगे। मेरी उनसे हजारों दफा बातें हुई हैं, वह खुद प्रशंसा करते हैं।

(3.35 म०प०)

(श्री पूनमचन्द विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मदनसिंह : मैं आज भी कहता हूं कि आपका दल मोहनलालजी सुखाड़िया की पूजा से चल रहा है और सब × × × हैं।

श्री उपाध्यक्ष : शब्द × × हटाया जाये। माननीय सदस्य आपस में बात नहीं कर।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करने में असमर्थ हूं। मैंने माननीय सदस्य प्रस्तावक और समर्थक दोनों के भाषण ध्यानपूर्वक सुने। मैं यह कहे बिना नहीं रह सकता कि एक दल का निरन्तर 20 वर्षों के शासन में बने रहने पर सम्भवतः कुछ अच्छी बातें भी हुई हैं, लेकिन मैं यह अनुभव करता हूं कि देश आगे नहीं बढ़ा है। अगर तीन मापदण्ड के द्वारा देखा जाये तो हमारी आर्थिक नीति, विदेशी नीति और गृह नीति के ऊपर गंभीरतापूर्वक यदि दृष्टिपात किया जाये तो खेद के साथ यह कहना पड़ेगा कि हमारा देश विच्छृंखल स्थिति को धीरे धीरे प्राप्त कर रहा है। हम देखते हैं कि कहीं पर भाषावाद की समस्या है, कहीं पर क्षेत्रीय विवाद की समस्या है, कहीं पर छात्र असंतोष है, कहीं पर अवसरवादिता की पराकाष्ठा है। हमारा नैतिक नियंत्रित जीवन भी विशुद्ध हो ऐसा मैं अनुभव नहीं करता हूं। इसके उपरांत शासन की सफलता का द्योतक यही होना चाहिए कि लोगों को खाने के लिए अन्न हो, पहनने के लिए वस्त्र हो, रहने के मकान की सुविधा हो। आज क्या किसान, क्या व्यापारी, क्या मध्यम श्रेणी का वर्ग सबमें अस्थिरता और असंतोष है। इसका मूल कारण मैं समझता हूं कि हमारी खामियों से भरी योजनायें हैं। यह योजनायें अत्यधिक खर्चीली और अत्यन्त महत्वाकांक्षिणी योजनायें हैं। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कल भी कहा, पहले भी कहा, कई केन्द्र के मंत्रियों ने भी कहा कि हमारे दल का विश्वास योजनाओं में नहीं है। मेरे ख्याल में यह ठीक बात नहीं है। हमारी मान्यता योजनाओं में अवश्य है लेकिन हमारी मान्यता ऐसी योजनाओं में है कि जो अपनी हैसियत के अनुसार हों, जिसके अन्दर मुद्रा प्रसारण व्याप्त रूप से न हो, जैसा कि हम अनुभव करते हैं। प्राइस-चेंजिंग कमाडिटीज यह एक सारे

× × × अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार शब्द हटाये गये।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हिन्दुस्तान के अन्दर आज हम अनुभव कर रहे है। इन्हीं योजनाओं के अन्दर मेरे ख्याल में भ्रष्टाचार भी व्याप्त है, और ये अत्यधिक खर्चीली, अत्यन्त महत्वकांक्षिणी और अवास्तविक होने के कारण मेरे ख्याल से उन योजनाओं पर असफलता के परिणाम स्वरूप केन्द्रीय सरकार ने यह निर्णय लिया है कि इन योजनाओं के सम्बन्ध में गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय। इसमें आमूल-चूल परिवर्तन लाया जाय। हमने बराबर लोकसभा में कहा, यहां पर भी हमने कहा कि योजनाओं के अन्दर प्लान होलीडे होनी चाहिए। योजनाओं को बन्द करके और कोई दूसरा विचार करके और योजनाओं में परिवर्तन लाकर और परिवर्तित स्वरूप योजनाओं का अगर आप देश को देंगे तो सम्भवत: सफलता मिल सकती है। इन योजनाओं के अन्दर मैं यह समझता हूं कि फिजूलखर्ची की एक तरह से पराकाष्ठा है। राजस्थान सरकार मितव्ययता जैसी कोई वस्तु पर महत्व नहीं देती और बेरोजगारी दिन ब दिन बढती जा रही है। आज हम देखें तो बड़े बड़े शहरों के अन्दर आबादी बढ रही है, वहां पर रहने की व्यवस्था नहीं है और हजारों आदमी आज पेवमेंन्टस पर रात-दिन सोते हैं। सबसे बड़े महत्व की बात यह है कि जब शिक्षित वर्ग में बेरोज-गारी हो तो देश की प्रगति असम्भव है आज हमारा शिक्षित वर्ग भी किंकर्तव्य विमूढ़ होकर बैठा है। मैं इस बारे में लम्बी-चौड़ी चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन हमारी शिक्षा की योजना डिमाण्ड एण्ड सप्लाई के सिद्धान्त के ऊपर आधारित नहीं होने के कारण, हमने क्वालिटी के ऊपर ध्यान नहीं देकर क्वान्टिटी के ऊपर ध्यान दिया, इसी कारण आज हमारी दिक्कत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है।

तो, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करूं कि देश की प्रगति नहीं हुई तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। आज दिन ब दिन देखा जाय तो देश में भूखमरी वही की वही है, मैं नहीं कहूंगा कि बढी है, गरीबी वही की वही है, मैं नहीं कहूंगा कि बढी है ऐसी स्थिति में इसको मिटाने के लिए हमको गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

इस सदन में इस सम्बन्ध में चर्चा हुई कि हमारा राजस्थान राज्य जिस परिस्थिति के अन्दर गुजर रहा है, जिन अकाल के बादलों से हम ग्रस्त हैं, और जो बादल हमारे ऊपर मंडरा रहे हैं, उस सम्बन्ध में राजस्थान सरकार ने जो कदम उठाये हैं इतना तो मै कहूंगा कि वह साहसपूर्ण है, सम्भवत: उसके अन्दर गलतियां हो सकती हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि हम उस सम्बन्ध में दिल खोलकर आलोचना करें, लेकिन हम डेस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म नहीं करें। मैं कल भी यह निवेदन कर रहा था, और आज भी मैं यही कहूंगा कि माननीय श्री राम नारायणजी चौधरी ने जो पाकिस्तान के सम्बन्ध में कहा, मैं पाकिस्तान और हिन्दुस्तान के पचड़े में नहीं पड़ना चाहता, लेकिन हमारे पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा उसे मिला हुआ है। माननीय सदस्य रामकिशनजी ने जो इस सम्बन्ध में कहा उसके साथ भी एक हद तक मेरी सहानुभूति है। इजराइल-ईरान, ये सब एक लान्गीटयूड के अन्दर है। भौगोलिक परिस्थिति भी अगर देखी जाय तो मेरे ख्याल में हमारे पश्चिमी राजस्थान की स्थिति पाकिस्तान की स्थिति, ईरान की स्थिति, इजराइल की स्थिति, कोई विशेष विभिन्न नहीं है। मैं क्यों कहूं कि हम फलाने से कम हैं या पिछड़े हुए हैं, लेकिन, मेरे ख्याल में, हमको मोड्माइन्ड

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नहीं रखना चाहिए, हमको ओपन माइन्ड रखना चाहिए ! अगर कोई देश महत्वपूर्ण काम करता है तो मेरे ख्याल में उसका अनुकरण करने में कोई दोष नहीं है। आप सघन खेती में विश्वास रखते हैं तो आपने क्यों नहीं किया ? 20 वर्षों के शासन के पश्चात मानते हैं कि इजराइल एक छोटा देश है लेकिन इजराइल का अनुभव आप एक जिले के अन्दर जो कुछ भी वहां इजराइल में हुआ चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, चाहे जोधपुर हो, चाहे बीकानेर हो, चाहे चूरू हो, किसी न किसी जगह आप करने तो एक तस्वीर आपके सामने आती, आपके सामने एक मोडल आता। यह निर्विवादित बात है कि ईरान में कोई महत्वपूर्ण कार्य नहीं हुआ, माना कि उनके पास पैट्रोल है। जैसा कि माननीय हरिप्रसादजी ने कहा कि ईरान एक छोटा देश है, ईरान और राजस्थान की कोई तुलना नहीं हो सकती वह एक हद तक ठीक है किन्तु अपने एक जिले और इजराइल की तुलना अवश्य हो सकती है। इजराइल ने मेरे ख्याल में, प्रगति की है। इजराइल आगे बढ़ा है इजराइल जनतन्त्र में विश्वास रखने वाला है, और उसके साथ इजराइल एक समृद्ध देश है, माना कि उसके पास धन और उत्पादन के साधन दूसरे राज्यों, अमेरिका आदि से विशेष प्राप्त हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि इजराइल को बालाए ताक रख दें। ईरान और पाकिस्तान के अन्दर इतना तो मैं जरूर कहूंगा कि वहां का वर्तमानशासन जनतन्त्रीय शासन नहीं है, वह एकतन्त्रीय, एक हद तक शासन है। परन्तु अगर इसी तरह से हमारी प्रगति हुई और इसी रफ्तार से हम आगे बढ़ते रहें और यही वाद-विवाद देश के अन्दर जा घुसे तो जनता की शक्ति का आप अनुभव और अनुमान कर सकते हैं। एक डिक्टेटर भी उससे हार मानकर और जनता का निर्णय स्वीकार करके अपने स्थान को रिक्त करने के लिये तैयार हुआ है. तो इससे आपको सबक लेना चाहिए कि जनता की जो शक्ति है वह सर्वोपरि है और प्रभुसत्ता जनता के अन्दर निहित है चाहे वह डेमोक्रेसी हो, चाहे आटोक्रेसी हो चाहे डिक्टेटरशिप हो, चाहे वह कोई इज्म हो। ऐसी स्थिति के अन्दर में, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान के मंत्रिमंडल और खास तौर से माननीय मुख्य मंत्रीजी को भी यह निवेदन करता हूं कि जनता की मांग, जनता की अकांक्षा, जनता की परम्परा के सम्बन्ध में आपको ध्यान रखना चाहिये। हमारी सरकार विवश है यह मैं जानता हूं, किन्तु यह मैं कहे बिना नहीं रह सकता कि आज इतने वर्षों से केन्द्र की दया के ऊपर यह सरकार निर्भर है। जब राजस्थान का निर्माण हुआ तो हमारी आय 17 करोड़ थी। माननीय फाइनेन्स मिनिस्टर, वित्तमंत्रीजी ने गये साल के बजट के अन्दर अनुमानित आय 127 करोड़ रख दी। अब के बजट के अन्दर, इस साल के बजट के अन्दर जो अभी सदन के समक्ष आयेगा मैं नहीं कह सकता कि क्या उनकी अनुमानित आय है, लेकिन 17 करोड़ से बढ़कर हमारी आय 127 करोड़ हुई और उसके साथ-साथ हमारा कर्जा, जो हम स्वावलम्बी थे, एक जमाने में हमारे ऊपर कर्जा नहीं था वह उठकर 427 करोड़ होगया. और अब न मालूम 500 करोड़, 550 करोड़ या 600 करोड़ है। ज्यों ज्यों योजनाओं की पूर्ति में लागत बढ़ती जा रही है, त्यों त्यों खर्च बढ़ता जा रहा है और यों यों आवश्यकता की वस्तुएें महंगी होती जा रही है। सरकार को यह चाहिए था कि जीवन यापन की

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

वस्तुओं पर काबू पाये, मगर काबू नहीं पा सकी है। तो मैं समझता हूं कि हमारी योजनाएं सब असफल होंगी। एक हद तक सारे देश के अन्दर, मैं यह मानने के लिए तैयार हूं कि हमारी अर्थ व्यवस्था का एक्सप्लोजन तो गिरा। लेकिन सीमित मात्रा में। बड़े बड़े अर्थ शास्त्रियों का यह अभिमत है कि हमारी इकानामी एक्सपेंड नहीं कर रही है। एक्सप्लोजन की स्थिति में आये है। एक्सपेंडिंग एक्सप्लोजिंग दोनों समानान्तर नहीं है। इस बारे में सरकार को सजग रहना चाहिए। इसके लिए मैं स्पष्टतः राजस्थान सरकार को दोषी नहीं कहूंगा। इनसे जो हो सका वह सरकार कर रही है, करती आयी है। किन्तु यह इन्फलेसन का ही एक उदाहरण है। मैंने कल ही एक प्रस्ताव के बारे में ध्यान आकर्षित किया है। पम्पिंग सेट के बारे में, समाजवादी सिद्धान्तों की आप बात करते हैं तो इसके साथ 2 आप को आधुनिक युग के अनुसार हमारी खेती के अन्दर भी विश्वास रखना पड़ेगा। जो पम्पिंग सेट दो हजार का था अब 5 हजार का हो गया स्पेयर पार्टस् की अवस्था दिनों दिन खराब होती जा रही है। मेरे ख्याल में इसे योजना नहीं कह सकते हैं। यह एक तरीके से आपकी योजना है। पाम्पिंग सेट कम से कम कीमत में काश्तकारों को उपलब्ध कराया चाहिए कम से कम एक सीमा तक उनको गारन्टी देनी चाहिए कि योजना बद्ध रूप से अमुक कीमत में काश्तकारों को यह उपलब्ध हो सकेंगे। तब तो हम समझेंगे कि आपकी योजना है। लेकिन आप तो परिस्थिति से विवश हो कर अनुचित लाभ उठाते हैं। तो मेरे ख्याल में आपको सोचना चाहिए कि हम कहां जायेंगे। यह समस्या बढ़ते 2 यहां तक आ गई। मैं गरीब आदमियों की ही बात नहीं कहता हूं। वह तो होंगे ही इससे प्रभावित। लेकिन मैं जयपुर का व्यक्तिगत अनुभव कहता हूं। गरीब आदमी दाल रोटी खाता है। मेरे यहां 3 वर्ष से शाम के खाने का 5 रु० का डिनर आ जाता था। पांच का 7 हुआ। 7 का 9 हुआ। 9 का 10 हुआ। सितम्बर में 12 रु० और जब 12 से 17 रु० हो गये हैं। जब एक डिनर के 15 रु० मेरे जैसे व्यक्ति को देने पड़ते है तो साधारण आदमी के लिए क्या कहा जा सकता है।

श्री मोहनलाल सुखाडिया : 15 रु० में कहां का डिनर है ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह रामबाग पैलेस होटल आदि का है। दिल्ली में भी यही है। बाम्बे में भी यही है। जयपुर बेचारा क्या करेगा। यह तो सब जगह है। आप सब पर काबू नहीं पा सकेंगे। यह तो जब तक कन्ट्री वाइड पालिसी नहीं होगी तब तक क्या होगा। अकाल के बारे में मैंने कल भी निवेदन किया। अब भी कहना चाहूंगा। सरकार करोड़ों रुपया खर्च कर रही है। पहिले दक्षिण में किया अब पश्चिम में कर रही है। करोड़ों रुपया तो भ्रष्टाचार अनिवार्य है। मैंने कहा कि डूंगरपुर में दो करोड़ रुपया खर्च किया है, उसका स्वागत है। लेकिन भ्रष्टाचार में सैकड़ों आदमियों के नाम नहीं है। बैठे बैठे लोगों को तनख्वाह मिली जिनके नाम ही नहीं है उनके नाम भी मस्टररोल में लिखे जाय। तो यह जनता की गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग होगा। मेरी पंचायत समिति में मैं गया, वहां 20-20 दिन तक

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

मजदूरों को मजदूरी नहीं मिली। 10 मील से आये हुए आदमी को मजदूरी नहीं मिले। सर्दी में ठिठूर रहे हैं उनके लिये यह सरकार व्यवस्था नहीं करे तो उचित नहीं है मस्टर रौल में नाम दिये हैं, धोतिया वल्द पोतिया। धोतिया और पोतिया के नामसे कोई आदिवासी नहीं होगा। यह आप की व्यवस्था हैं। शिकायत तो होगी। कल अकालराहत मंत्री ने कहा कि शिकायतों को सुनने के लिए कलेक्टर ही पर्याप्त है। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था काफी नहीं है। डूंगरपुर एक छोटा जिला है। वहां तो कलेक्टर ही पर्याप्त है। लेकिन जब तक आप परमानेन्ट सुनने की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक उसे व्यवस्थित रूप से नहीं चला सकेंगे।

श्री वृद्धि चन्द जैन : ये परमानेन्ट मान लेने को कह रहे है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह एक या दो आदमी हों। तीन या चार जिलों में.........

श्री उपाध्यक्ष : (एक माननीय सदस्य के बीच में उठने पर) आर्डर, आर्डर

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : अगर कोई बांसवाडे का आदमी जयपुर आना चाहे तो वह आ सकता है। कहीं पर मजदूरी की और कहीं परमेंट की भ्रष्टाचार की व्यवस्था है। कहीं पर छोटे-मोटे अधिकारी हैं वह नौकरी नहीं देते हैं। इसके लिए कलेक्टर पर्याप्त है। लेकिन वह दो लाख वर्गमील के राजस्थान में सब जगह दौड़ भाग नहीं कर सकता हूं। ईश्वर करे शीघ्र ही हमारी आपत्ति मिट जाय। जब तक संकटकालीन स्थिति जारी रहे तब तक परमानेंट मशीनरी तो होनी चाहिए। इसकी मांग मैंने पहिले भी की थी और इस मांग को मैं दोहराता हूं।

(4 म० प०)

माननीय सदस्य जो मेड़ता से आये हैं उन्होंने कल कहा था कि सरकार ने ज्वार 45 रुपये क्विन्टल लिया और 74 रुपये क्विन्टल बेचा। अगर सरकार की यह व्यवस्था है तो मेरे ख्याल में इस व्यवस्था से सरकार मुनाफाखोरी करती है। सरकार लेवी करलेती है, बीज के लिए जो कुछ भी सरकार भाव निर्धारित करती है और उसके मुकाबले में सरकार द्वारा जो अन्न बेचा जाता है उसके भाव पर भी सरकार गम्भीरता पूर्वक विचार करें। मेरे ख्याल में सरकार को सब्सीडी देकर, चीप ग्रेन-शाप कायम करके और नुकसान को भगत करके जनता को राहत देनी चाहिये। यही मेरा निवेदन है।

इसके साथ साथ मुख्य मंत्री अकाल राहत कोष म जो चन्दा दिया गया है, उसके प्रति तो मेरा विरोध नहीं है। लेकिन जो चन्दा छात्रों से लिया गया है। बहुत सारे छात्र गरीब हैं जिन्होंने मजबूर होकर दिया है, शिक्षकों के द्वारा उनको मजबूर किया जाकर भी उनसे चन्दा लिया गया है – यह मेरे ख्याल में एक महान् दुर्भाग्यपूर्ण व्यवस्था है। आपको चाहिए कि कम से कम ऐसा भविष्य में नहीं हो और अगर छात्रों से चन्दा ले भी लिया गया है, तो आप उचित समझें तो उसको वापिस लौटा सकते हैं। जहां पर करोड़ों रुपये का खर्चा हो रहा है वहां पर चन्द हजार रुपये का इतना बोझ नहीं होगा।

श्री रामकिशोर व्यास (राजस्व मंत्री): यह सही नहीं है।

श्री रामानन्द अग्रवाल : उदयपुर में वार के अन्दर मैंने यह शिकायत सुनी है।

श्री देवीदत्त गाडिया : कोटा जिले में वारां का मेरा अनुभव है····

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य ? आर्डर प्लीज।

श्री देवीदत्त गाडिया : कई विद्यार्थियों से चार-चार आने दो दो वार लिये गये हैं।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : कोटा में हमारे बच्चे पढ़ते हैं उनसे जबर्दस्ती वसूल किया गया है।

श्री बालसिंह सौढ़ा : चपरासियों से भी लिया गया है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि जालोर में जो प्रचार हुआ, जल्दी से जल्दी में इस समस्या को समाप्त करना चाहता हूं, कि कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो तुम्हारे यहां विकास बन्द हो जायगा। कांग्रेस को वोट नहीं दोगे तो मर जाओगे, विनाश हो जायेगा। जिम्मेदार सरकार के मंत्री इस तरह प्रचार करें तो बिल्कुल ज्यादा त्रस्त जनता, जिसके पास खाने को नहीं है, क्या करें········

श्री दुर्गालाल बाढ़दार : आप जिम्मेदार किसको मानते है ? जब सरकार ही गैर जिम्मेदार है तो मंत्री गैर जिम्मेदार होंगे।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इस भ्रष्ट अधिनायकवादी सरकार का मैं विरोध करूंगा और सरकार को कहूंगा कि आपके द्वारा इस तरह प्रचार हो और खास तौर पर जिम्मेदार व्यक्तियों के द्वारा इस तरह का प्रचार हो यह एक बड़ी भारी भद्दी चीज है।

यहां पर यह कहा गया कि मारवाड़ में पानी बेचने की व्यवस्था है। आज अणु युग है, लोग चन्द्र लोक में जाने का विचार कर रहे हैं और इस युग में पानी की यह व्यवस्था हो, जैसा दौलतराम जी ने कहा कि पच्चीस रुपये ऊंट के लिए रिश्वत देकर तो पानी की व्यवस्था होती है, तो 1949, 1929 या 1939 में यह हो ठीक हो सकता था लेकिन 1969 में यह हो तो मेरे ख्याल में हमारे लिए बहुत भद्दी और लज्जाजनक स्थिति है।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : लज्जा आये जब है न।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जैसलमेर के सम्बन्ध में माननीय सदस्य के द्वारा बहुत सी बातें कही गई। मैं आपसे इतना ही निवेदन करूंगा कि मैंने सुना है, जैसा जालोर में मैंने देखा कि उप-चुनाव के पहले राहत कार्यक्रम का विस्तार कर दिया। चुनाव आपने जीत लिया, स्वागत है उसका लेकिन उसके बाद राहत कार्यक्रम कम कर दिया। जैसलमेर में माननीय प्रधान मंत्री महोदया जब आई तो आपने और भी काम बड़े पैमाने पर किया, मगर चन्द रोज में ही वह बन्द कर दिया——

श्री मोहनलाल सुखाड़िया (मुख्य मंत्री): प्रधान मंत्री के आने के बाद जैसलमेर में लेबर की तादाद बढ़ गई है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मैं जैसलमेर नहीं गया हूं।

Page No 86

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : इसलिए ही निवेदन किया। आप नहीं गये हैं इसलिए ही आपने कहा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : लेकिन जालोर में मैंने देखा है कि आपकी वाल ड्रेसिंग साफ थी।

श्री मोहनलाल सुखाड़िया: जालौर में चुनाव के बाद आप गये नहीं होंगे। वहां काम ज्यादा है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जालोर में अकाल घोषित किया वह भी जैसलमेर और बाड़मेर के पहले···

श्री मोहनलाल सुखाड़िया : पहले नही किया।

श्री वृद्धिचन्द जैन : यह गलत है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : यह स्वार्थ की बात है। मैं सेटिसफाइड नहीं हूं। आप चाहे जो कुछ भी कहें, मुझे तसल्ली इस बात की नही होगी। मुझे विरोध है और विरोध करने का मुझे अधिकार है। और अब भी मेरे ख्याल में वह का वह प्रचार है। आप अपना चक्कर चला रहे हैं। आप इस चक्कर के अन्दर बड़े निपुण हैं। आपके मुकाबले में शायद भारत के अन्दर किसी प्रधान मंत्री ने भी इतने समय प्रधान मंत्री के पद को सुशोभित नहीं किया। तो मेरे ख्याल में इस तरह की बात आप करना जानते हैं। आपकी जो अतिशयोक्ति है उसका मुकाबला तो कोई प्रधान मंत्री भी नही कर सकता, मेरे जैसे बेचारे का तो क्या कहना....

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : जब ही आप रह गये।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : जैसलमेर के सम्बन्ध में मैंने सुना था, उपाध्यक्ष महोदय, कि जैसलमेर के प्रति सौतेला व्यवहार हो रहा है। मैं समझता हूं कि इसमें तथ्य नहीं है, लेकिन जैसलमेर का राहत कार्य जो कुछ भी हो रहा है उस सम्बन्ध में मुझे शिकायत इतनी है कि लोगों की शिकायतों के सम्बन्ध में कोई भी वहां पर आपके पास व्यवस्था नहीं है कि जिसके द्वारा उनका निराकरण किया जाय। अकाल राहत मंत्री बार बार कहते कि उन्होंने आनदी स्पोट, तत्काल डिसीजन लिये है। लिये हैं तो स्वागत है लेकिन कम से कम एक हफ्ते में जनता के जो ग्रीविवेन्सेज हैं उनको रिड्रेस करने के लिए, उनको रफा–दफा करने के लिए आपको कोई व्यवस्था करनी चाहिए यह जैसलमेर की खास शिकायत है कि जैसलमेर के राहत कार्यों की उजरत नहीं मिलती है, तो आप यह दिलावें। जैसलमेर के सम्बन्ध में मैं यह भी निवेदन करूंगा कि राजस्थान के सब जिले हैं वहां पर आप योजनाबद्ध तरीके से काम करें। आपकी सरकार के शिक्षा मंत्री ने बार बार कहा कि सरकार का यह सिद्धान्त है कि हर जिला हेड क्वाटर पर एक कॉलेज हो तो जैसलमेर भी एक जिला है और जैसलमेर क्षेत्रफल म जयपुर से भी बड़ा है, भले ही जनसंख्या के अन्दर कुछ भी हो। लेकिन इस सिद्धान्त को लेकर आप चले हैं कि हर जिला हेड क्वार्टर के अन्दर कालेज हो, इसके विपरीत 1969 तक, बीस वर्ष के कांग्रेस के शासन के पश्चात् भी जैसलमेर नगर के अन्दर अगर कॉलेज नहीं हो तो यह एक बड़ी भद्दी बात है और यह मेरी बड़ी वाजिब शिकायत है। आप इस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करें।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

नल-कूप के सम्बन्ध में जो चर्चा हुई और आज ही सुवह चर्चा हुई कि रिन्डर-पेस्ट की बीमारी से जो मवेशी मर चुके हैं उनके जो आंकड़े आपने दिये वह आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। आपके हाथ में जो आंकड़े आ जाते हैं वह आंकड़े आप खड़े होकर बोल देते हैं, उन आंकड़ों को आप वितरित कर देते हैं। मेरे ख्याल में, नल-कूप की व्यवस्था है राजस्थान में वह बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। आज बीस वर्ष के कांग्रेस शासन के पश्चात् अगर यह व्यवस्था रहे तो हमको वाजिब शिकायत करने का अवसर बराबर मिलता रहेगा और हम शिकायत करेंगे।

डूंगरपुर में भी नल-कूप लगाने की व्यवस्था सरकार ने की, एक्सपेरीमेंटल बेसिस के ऊपर हजारों रुपये खर्च किये, वहां का मोइल या स्ट्राटा है, उसके कारण आपने बाद में निर्णय लिया कि इतना मजबूत, इतना सोलिड और इतना फर्म नहीं है और फोरस होने के कारण अगर पानी आता है तो पत्थरों के बीच में दरारें हैं उनके बीच से वह निकल जाता है। ऐसी स्थिति में जहां नल-कूप सफलतापूर्वक नहीं लगाये जा सकते वहां पर नल-कूप की योजना छोड़ दीजिये......

परिवार नियोजन के सम्बन्ध में माननीय प्रस्तावक श्री हरि प्रसाद जी ने प्रकाश डाला। उपाध्यक्ष महोदय, 4 वर्षो पहले मैंने परिवार नियोजन के सम्बन्ध में सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। यह एक महान महत्वपूर्ण समस्या है और चाहे जितना आप रुपया लगावें योजनाओं को सफल बनाने के लिये, चाहे जितना उत्पादन बढ़ावें पर जब तक बढ़ती हुई आबादी पर काबू नहीं पायेंगे तब तक हमारी योजनाएं कभी सफल नहीं होंगी। ऐसी स्थिति में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो सरकार के प्रयास हैं, मैं उसका विरोध नहीं करता पर जो आपने इनाम की व्यवस्था की है, उसे आप रखें, इसमें मुझे आपत्ति नहीं है पर उसे आप आवश्यकता से अधिक महत्व नहीं दें, क्योंकि इसके अन्दर भ्रष्टाचार है। इनाम ले ले कर लोग अनुचित काम करते हैं। मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूं। गढा मोरिया नाम का एक ग्राम है मेरे क्षेत्र में वहां ओमा और धर्मा नाम के दो अन्धे थे उन अन्धों को कहा गया, और वे अन्धे भी कैसे एक तो मेरे जैसा 55-60 वर्ष का था और दूसरा अन्धा 40 साल का था, दोनों अन्धे थे, उन दोनों अन्धों को कहा गया कि तुम्हारी आंखें दुरुस्त करवाने के लिये डाक्टर के पास ले जाते हैं। यह कह कर उन अन्धों को ले जाकर उनका नसबन्दी का ओपरेशन किया गया। अगर इस तरह करेंगे तो धीरे धीरे आप लोगों का विश्वास खो देंगे। आप प्रचार और समझायश के द्वारा लोगों को इसके लिये तैयार करके उसके बाद इनाम की व्यवस्था के साथ इस सम्बन्ध में काम को आगे बढायेंगे तो उसका स्वागत है, इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

यों तो परिवार नियोजन के सम्बन्ध में मैंने 4 वर्ष पहले राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया था। मैं आज राजस्थान के अन्दर एक और फिनोमिना देख रहा हूं, हो सकता है, इस सम्बन्ध में मैं गलत होऊं पर मैं सरकार को सजग कर देना चाहता हूं वह फिनोमिना है वाटर कोल्यूजन का, पानी की सड़ांध का। मेरे जिले में जनसंख्या

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बहुत ज्यादा है, भरतपुर जिले की तरह डूंगरपुर जिला भी ओवर पोपुलेटेड है। जहां जनसंख्या ज्यादा होती है, प्रेशर प्रोन लेंड ज्यादा होता है तो वहां संभवतः इस प्रकार का यह फिनोमिना देखने में आता है। मैं कोई टेक्निकल एक्स्पर्ट नहीं हूं पर इस सम्बन्ध में सरकार को टेक्निकल ओपिनियन लेनी चाहिये पानी की सड़ांध के बारे में। जो तालाबों का पानी साफ था, जो नदियों का पानी साफ था वह कहीं कहीं गंदला हो गया है, उसमें कहीं कहीं हरे रंग के दाने दिखाई देते हैं। सरकार को इसके सम्बन्ध में एक्स्पर्ट्स की ओपिनियन लेनी चाहिये कि कहीं यह वाटर कोल्यूजन तो नहीं है। अगर कोई दूसरी चीज है तो मुझे कुछ नहीं कहना है।

राहतकार्यों के सम्बन्ध में मैंने निवेदन किया था कि डूंगरपुर में 2 करोड़ रुपया खर्च किया। इसकी जांच के सम्बन्ध में कोई अजमेरा नामक कर्मचारी वहां गया, उनकी ईमानदारी के सम्बन्ध में मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरे ख्याल में वह निष्ठावान् व्यक्ति हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि वहां 50 लाख का घपला है, वहां इस शिकायत को लेकर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है, विचाराधीन ही यह मामला है तो यह सरकार के लिये बहुत बुरी बात है।

माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि 19,000 मजदूर डूंगरपुर जिले में काम कर रहे हैं। मैंने तो 19 हजार मजदूरों को डूंगरपुर जिले में काम करते नहीं देखा, संभवतः यह आंकड़े विश्वसनीय नहीं हैं। वे यह कहते हैं तो मैं वहां जा कर जांच करूंगा कि 19 हजार मजदूर डूंगरपुर में काम कर रहे हैं, वह कहां तक ठीक है।

बहुत सी पंचायतें वहां ऐसी हैं जहां दस दस, पन्द्रह 2 वर्षों से विकास का कुछ भी काम नहीं हुआ है। मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि यह तो जनता का काम है, जनता में सभी तरह के लोग हैं, सभी पार्टियां हैं, सभी को समान दृष्टि से देखना चाहिये। हर पंचायत में कोई न कोई विकास कार्य कराना चाहिये यह मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा।

अधूरे कार्यों को पूरा कराने के लिये भी सरकार की ओर से व्यवस्था होनी चाहिये, यह सुविधाजनक होगा, कम खर्च में काम होगा पर अगर यहां दलगत नीति की भावना काम में लेंगे तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि डूंगरपुर जिले में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में रामगढ़ गांव में एक तालाब है, वह तालाब 1958 से अधूरा पड़ा है। बार बार शिकायतें कीं पर उनका सरकार पर कोई असर नहीं। सरकार की बहरी, अन्धी प्रवृत्ति है, उसको सजग करना भी बहुत मुश्किल काम में अनुभव करता हूं। वहां के पहले विधायक थे वे राजस्थान सरकार के मंत्री थे तब मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाडिया ही मुख्य मंत्री थे, उनके हाथों से उस तालाब का मुहुर्त करवाया गया पर पिछले 11 साल से वह काम अधूरा ही पड़ा हुआ है। मैं आशा करता हूं कि सरकार इस सम्बन्ध में ध्यान देगी और पंचायत समिति का पक्षपात है, इस सम्बन्ध में सरकार गम्भीरता से विचार करेगी।

एक मंत्रिमंडल की समस्या है, उसके सम्बन्ध में भी मैं यहां चर्चा करना चाहूंगा। राजस्थान में अकाल है तो सरकार को सुदृढ़ करने के लिये अगर मुख्य मंत्री कोई क़दम उठाते हैं तो वह स्वाभाविक है, अपनी-

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

बरक्कत और कुर्सी का मोह है, उसके लिये तो मुझे आपत्ति नहीं है । पर मंत्रिमंडल का विस्तार भी एक सीमित हद तक होना चाहिये । बहुत सारे लोगों का यह अभिमत है और जनतन्त्र की स्वस्थ परम्परा पर गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए निवेदन करूंगा कि विधान सभा की सदस्यता संख्या के 12 के अनुपात से मंत्रिमंडल की अधिक संख्या नहीं होनी चाहिये । यदि इससे अधिक संख्या होती है तो हम एक बहुत ही गलत और बुरी परम्परा डालते हैं। राजस्थान में आज 35–37 मंत्री कायम किये हैं, उसका विरोध किये बगैर मैं नहीं रह सकता। खास कर के उस समय जब कि राजस्थान में अकाल है, जनता के खाने के लिये अनाज नहीं है तो यहां पर इस प्रकार फिजूल खर्च करके सुखाड़िया सरकार को अजर अमर बनाना मेरे ख्याल से बहुत भद्दी बात है ।

डिफेक्शन के बारे में मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि डिफेक्शन से राजस्थान सरकार ने विशेष लाभ लिया है तो वह मेरे दल से लिया है। दल परिवर्तन में व्यक्तिगत रूप से नहीं कहता पर सारे देश में दल परिवर्तन का रोग लग गया, कहीं दल परिवर्तन से कांग्रेस को नुकसान हुआ तो कहीं कांग्रेस को इससे लाभ हुआ। मेरे ख्याल से कोई कानून बना कर इस सम्बन्ध में हल निकालना चाहें तो वह सफल प्रयास नहीं होगा पर मैं यह निवेदन करूं कि आज आपकी पार्टी का राजस्थान में बहुमत है और सदन में सबसे बड़ी पार्टी होने के लिहाज से मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस समस्या के समाधान के लिये एक आचार संहिता का निर्माण करना चाहिये नहीं तो दिन दिन आज की गरीबी को देखते हुए, अवसरवादिता को देखते हुए, शासन करने की बिल्कुल गलत चेष्टा को देखते हुए कभी यह हमको प्रगति के पथ पर नहीं ले जायेगी । इस प्रवृत्ति से जनतन्त्र की अवहेलना होगी, दोष बढ़ेंगे और कुशासन बढ़ेगा ।

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : आचार संहिता के लिये हम तैयार हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कांग्रेस और हमारे सब दल मिल कर तय करें कि....

श्री रामकिशन : ज्यादा प्रोब्लेम तो कांग्रेस और स्वतन्त्र पार्टी की है ।

श्री दुर्गालाल बादवार : शरीफ के घर में ही ज्यादा डाके डाले जाते हैं। हमारी शराफत का फायदा उठाया हैं।

श्री रामानन्द अग्रवाल : स्वतन्त्र पार्टी के ही ज्यादा गये हैं ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : मेरे जैसी नई पार्टी के मुकाबले में अच्छा है पर यहां सदन में उनको यह कहने का अधिकार नहीं है जो 1 ही सदस्य है।

श्री वृद्धिचन्द जैन : स्वतन्त्र पार्टी हर स्थान पर दिन दिन गिरती जा रही है ।

श्री दुर्गालाल बादवार : स्वतन्त्र पार्टी क्या करे जब आप खरीददार हो जायं तो ?

श्री रामानन्द अग्रवाल : बिहार में आपने हाथ मिला लिया इनसे कांग्रेस का सपोर्ट शुरू कर दिया ।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कहां सपोर्ट किया है। यह अवसरवादिता की पराकाष्ठा जनतन्त्र के हत्यारे गांधी शताब्दी के वर्ष में क्यों कर रहे हैं । मैं कुछ पढ़ कर सुनाना चाहूंगा ।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

यह इंडियन एक्सप्रेस का न्यूज आइटम है 21-2-69 का....

"Mr. B. M. Joshi and Mr. Nath Pai, Leaders of the Sanyukta Socialist Party and the Praja Socialist Party respectively to-day strongly criticised the Congress for electing as the leader of the Bihar Congress Legislature Party a man, who according to them had defected no less than three times since 1957.

According to Mr. Joshi, Mr. Harihar Prasad Singh, the newly elected leader of the Bihar Congress Legislature Party, fought as an independent against the Congress in 1957, when he was denied the party ticket, two years later he was one of the founder members of the Swatantra Party, when it came into being in Bihar.

Now in his Seventies, Mr. Harihar Prasad Singh contested in 1962 as a Swatantra Party candidate, but lost. In 1967 he contested as an independent against the Congress and won. Later he was among those who toppled the Sanyukta Vidhayak Dal Govt. of Mr. Mahamaya Prasad Singha by walking out and joining the Shoshit Dal.

He was a Minister in the Shoshit Dal Government, which could not have been possible because all Ministers in that Govt. had to join the Shoshit Dal. On the eve of the recent mid-term elections he rejoined the Congress and got the party ticket.

In view of this background, Mr. Joshi added, I am amazed to see that a man like Mr. Harihar Prasad Singh has been unanimously elected leader of the Congress Party to head the Govt. I do not think such a Government deserve to be there at all."

.. ..

The PSP leader Mr. Nath Pai said "The reported election of Mr. Harihar Prasad Singh shows the tremendous gap that divides the Congress professions and performance. At the first lure of office the proclaimed determination to discard defectors for good has been thrown to the winds".

आज गांधीजी के सिद्धांतों से आप 100 कोस परे जा चुके हो और अगर इसी रफ्तार से आपका काम रहा तो आपका पतन अवश्यंभावी है । समय रहते आपको विचार करना चाहिए। ऐसी आपाधापी और भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए राज्य सरकार को साहसपूर्वक कदम उठाने चाहिए और अगर आप लोक आयुक्त नियुक्त करेंगे तो सरकार में विश्वास पैदा होगा, मंत्रियों के आचरण के सम्बन्ध में भी निराकरण हो सकेगा और लोक आयुक्त के अंदर इन्टेनिटी और पोलिटिकल न्यूट्रेलिटी आएगी और जब तक यह चीज नहीं आती तब तक जनतंत्र सुदृढ रूप से नहीं चल सकता, मैं दावे के साथ कह सकता हूं ।

बेरी आयोग के बारे में यहां पर चर्चा हुई । इसके बारे में मुझे पूरी जानकारी प्राप्त नहीं।

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

हमारे कुछ माननीय सदस्य जयपुर के जो वकील भी हैं उनको इस संबंध में विशेष ज्ञान भी है, वे उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन इतना अवश्य निवेदन करूंगा कि आपको यह रिपोर्ट पहले ही वितरण करनी चाहिए थी और हिन्दी अनुवाद भी करना चाहिए था। आपके पास यह रिपोर्ट 9-1-69 को आई अब तक आपने इस रिपोर्ट को विचाराधीन रखा, जैसे दूसरे मामले आप विचाराधीन रखते हैं और अभी भी आपने उसका हिंदी अनुवाद नहीं किया। कमीशन भी आपने विरोधी पक्ष के दबाव और विरोधी पक्ष की मांग स्वरूप स्थापित किया। आप तो चाहते थे कि मेजिस्ट्रीयल इन्क्वायरी करके लीपापोती कर दी जाय। जौहरी बाजार सिरेड्योढ़ी बाजार आदि में जो फायरिंग हुई है उसके बारे में आयोग ने सरकार को अच्छी बातें नहीं कही हैं। मुझे तो रिपोर्ट की प्रति कल ही मिली है। मैं समझता हूं, जो लोग मारे गए हैं या घायल हुए हैं, उनको मुआवजा देने के लिए सरकार को शीघ्रातिशीघ्र कदम उठाने चाहिए और दोषी कर्मचारियों को भी दंड देना चाहिए, कर्मचारियों का मनोबल आप ह्रास न करें। कर्मचारियों के संबंध में बुरी बातें कहने के लिए मैं तैयार नहीं हूं लेकिन साथ ही साथ अगर आप दो चार दोषी कर्मचारियों को दंड नहीं देंगे तो दिन प्रति दिन प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ती जायगी।

मैं अनुभव करता हूं और सरकार पर आरोप लगाता हूं कि यहां पर राष्ट्रपति शासन कायम करने की जो व्यवस्था की वह अभूतपूर्व थी और राज्यपाल और मुख्य मंत्री की साठगांठ के फलस्वरूप, जनतंत्र की हत्या करने के फलस्वरूप, बहुमत को कृत्रिम रूप से अल्पमत में परिवर्तित करने के फलस्वरूप और जो अल्पमत था उसको बहुमत बनाने में सार्थक होने के फलस्वरूप जो कुछ आपने किया है, वह स्पष्ट है। यह नॉन-पाप्यूलर सरकार होर्स-ट्रेडिंग करने के सिद्धांत पर आधारित है। अवसरवादिता उसके अंदर है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में कोई भी जिक्र नगरपालिकाओं और पंचायतों के चुनाव का नहीं है। बहुत सी नगरपालिकाओं के अंदर तीन तीन वर्ष हो गए, चुनाव ही नहीं हुआ और जहां पर कांग्रेस की नगरपालिकायें हैं वहां पर अवधि बढ़ाते जा रहे हैं। आपको कोई न कोई समानता के सिद्धांत को लेकर सबको समान दृष्टि से देखकर नगरपालिकाओं के चुनाव कराने के लिए भी विचार करना चाहिए, तारीख मुकर्रर करनी चाहिए। पंचायतों के चुनावों के संबंध में अगर आप समझते हैं कि पंचायतों के चुनावों में बहुत खर्चा होता है तो मितव्ययता लानी चाहिए। तो आप कोई न कोई बिल लायें और इस ओर जो माननीय सदस्य हैं उनको कान्फीडेन्स में लें।

डूंगरपुर के अंदर लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति जैसी चाहिए वैसी नहीं है।

श्री भैरोंसिंह : सारे राजस्थान में ही खराब है।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : सारे राजस्थान में खराब होगी लेकिन डूंगरपुर में अवश्य खराब है, मुझे वहां का विशेष अनुभव है। सारे हिन्दुस्तान में कहीं लाठी तो कहीं गोली और टीयर गैस है। कहीं शिव सेना तो कहीं तेलंगाना और नक्सलबाड़ी चल रही है। मुझे तो डूंगरपुर के लिए दो शब्द निवेदन करने हैं। यह पिछड़ा हुआ और गरीब क्षेत्र है। वहां पर 14 डकैतियां हुई : एक तरयान गोरी, पारला और बेनेश्वर

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

के मेले में माल लूटा गया। एक बार पुलिस मौजूद थी, वह दब गई। दो घंटों तक लूटकर डकैत लौट गए और माल ले गए। मैं आशा करता हूं कि गृह मंत्री इस संबंध में छानबीन करेंगे, क्योंकि अभी भी माल बरामद नहीं हुआ।

श्री दामोदर लाल व्यास (गृह मंत्री): एक डकैती का तो माल भी बरामद हो गया। मुल्जिमान भी कल गिरफतार हो गए।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : धन्यवाद। जिस दिन मैं डूंगरपुर से चला तब तक माल बरामद नहीं हुआ था।

श्री दामोदरलाल व्यास : मैं कल की खबर दे रहा हूं।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : इसलिए मैंने जो कहा निराधार तो नहीं कहा?

श्री दामोदरलाल व्यास : कतई नहीं।

श्री भैरोंसिंह : बाकी तीन डकैतियों का क्या हुआ?

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : गल्याकोट का प्रश्न भी उत्पन्न हुआ, यह आदिवासियों का प्रश्न है। इसको आप साधारण प्रश्न न समझें।

आपने, मुझे मालूम नहीं, क्या सांठगांठ की है, क्या समझोता किया है गुजरात सरकार से। मैंने स्वतन्त्र पार्टी के गुजरात के एम० एल० ए० हैं उनसे सम्पर्क स्थापित किया लेकिन आज क्षेत्रीय भावना का इस प्रकार का बोलबाला है कि सद्भावना के वातावरण में मेरी बात सुनने के लिये भी तैयार नहीं हैं। यह आरोप मुख्य मंत्री महोदय पर नहीं लगाता। दावे के साथ कह सकता हूं कि सागवाड़ा भीखाभाईजी का निर्वाचन क्षेत्र है सरकार के मंत्री होने के बाद उनके मुंह पर सवा मन का ताला लग गया है, वे बोल नहीं सकते। उनकी सहानुभूति चाहे जितनी हमारे साथ है लेकिन वे बोल नहीं सकते। आज हजारों शरणार्थियों को सागवाड़ा में शरणार्थी बनाते हैं, गढ़ी जिले में हजारों आदिवासियों को शरणार्थी बनाते हैं तो इससे आदिवासियों में घोर अशान्ति फैलेगी और आदिवासियों में घोर अशान्ति पैदा होने से एक भयंकर स्थिति पैदा हो सकती है। सन् 1914 में आदिवासियों में अशान्ति पैदा हुई। क्या हुआ? उसकी आज सदन में चर्चा नहीं करना चाहता। आज क्षेत्रीय भावना उठ रही है और बढ़ रही है। प्रतापगढ़ से आबू रीजन सीधी लाइन खींचिये उदयपुर होती हुई उसके दक्षिण में आदिवासी क्षेत्र दिखाया गया है, पंचमहासागर का क्षेत्र दिखाया गया है और मध्य प्रदेश को दिखाया गया है, कोई राजनैतिक दल में विश्वास दिलाता हूं ऐसा नहीं करेगा, लेकिन कोई राजनैतिक दल अनुचित रूप से लाभ उठा कर कहेगा कि एक भीलीस्तान बनाया जाय। अगर यह भावना जागृत होती है तो सरकार के लिये जटिल समस्या होगी। शिव सेना और छोटी मोटी सेनाओं से उतनी अशान्ति पैदा नहीं और सरकार के लिए भी उतनी जटिल समस्या नहीं होगी जितनी इससे जटिल समस्या पैदा हो जावेगी। गलियाकोट में फकरूद्दीन की दरगाह है। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ साथ माताजी का मंदिर है वह भी सुरक्षित रहे इसकी भी व्यवस्था होनी चाहिये। आदिवासी क्षेत्रों के हजारों आदिवासियों को विस्थापित करके आप उनको शरणार्थी बना देना चाहते हैं। क्या गुजरात सरकार उनको

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

स्थान देगी ? क्या डूंगरपुर जिले में उनके लिये कोई जगह है ? क्या गंगानगर जिले में उनके लिये कोई जगह है ? डूंगरपुर में जनसंख्या ज्यादा है और जमीन पर भी काफी प्रेशर है । आदिवासियों की जमीन भी बहुत अच्छी है और वह जमीन डूब में आ गयी तो मैं आपको यह कह सकता हूं कि यह कडाना डेम बहुत दिन तक नहीं रहेगा। यह जनता के मनोबल पर तोड़ दिया जावेगा और गुजरात की सरकार की अक्ल ठिकाने आ जावेगी । आपने तो बिल्कुल गिरवी रख दिया है यह प्रदेश गुजरात की सरकार को ओवलाइज करने के लिये । वे कहते हैं केनाल लायेंगे, चावल पकायेंगे, गन्ना पकायेंगे, इलेक्ट्रिसिटी आवेगी । इन्डस्ट्रियलाइजेशन हो जावेगा। आज भारतवर्ष एक है। गुजरात सरकार राजस्थान के पानी से फले फूले तो विरोध नहीं है। विरोध यदि किसी बात का दहै तो वह आपकी अदूरदर्शिता का है । क्या आप उनको यह नहीं कह सकते कि पांच सात फीट उस बांध के लेवल को नीचा करें ? लेवल को नीचा करेंगे तो हजारों परिवारों को बचा सकते हैं और गुजरात सरकार की आकांक्षा की पूर्ति भी हो सकती है । जो योजना है उसको पूरा करिये लेकिन उसके साथ साथ आदिवासियों को संतुष्ट करने के लिये माननीय नाथूराम जी ने भी कहा है, मेरे दल के वे नहीं हैं, आप ही के दल के हैं, वे एक स्पष्ट वक्ता हैं, आपके दल के अनुयायी हैं, वे एक निष्ठावान व्यक्ति हैं उन्होंने निर्भीकता के साथ आपको कहा है कि यह धीरे 2 भयंकर असंतोष का मार्ग है । आपने आदिवासियों का भला किया। बहुत सारे शिक्षित लोग हैं। उन्हें आप क्या दे रहे हैं ? आप क्या उनको नौकरी दे सकते हैं ? कितनों को आप नौकरी देकर संतुष्ट करेंगे ? इस समस्या पर सरकार को गम्भीरता पूर्वक विचार करना चाहिये और कडाना डेम के सम्बन्ध में गुजरात सरकार से निवेदन करके लेवल उसका कम कराना चाहिये । आदिवासियों को खुशहाल करने के लिये यह माही योजना है इसको प्रारम्भ करें यह मेरा आपसे निवेदन है । वर्ना साल दरसाल दुष्काल पड़ते जावेंगे और आदिवासी तंग होंगे । उनकी पावर ऑफ रेसिसस्टेंस, जीवन संघर्ष की शक्ति का ह्रास हो गया है। जंगल सब कट चुके हैं। घास भी नहीं है। साग भी नहीं है और बांस भी नहीं है। खेती कैसे करें ? मवेशी को कैसे जिलायें और सम्मानपूर्वक जीवन कैसे व्यय करें ? यह आपकी योजना का नमूना है ।

डूंगरपुर का जिला आदिवासियों का होने के उपरान्त आज जंगल भी कट चुके हैं। भीखाभाई अब आये हैं ।

आयोजना के संबंध में अब यह विचार किया है कि बिजली के उत्पादन को आप प्राथमिकता दें तो मैं उसका स्वागत करता हूं । बिजली को आप प्राथमिकता दें और सिंचाई को आप प्राथमिकता दें । आपकी योजना का आरम्भ इन्हीं दो बातों पर होगा तो मैं उसका स्वागत करूंगा । इसके साथ साथ बिजली के उत्पादन के संबंध में जो इन्डस्ट्रियलिस्ट्स हैं उनसे भी राय लेनी चाहिये । और यह भी निर्धारित करना चाहिए कि थरमल, हाइड्रो, एटोमिक, आईल से भी पावर जनरेट करेंगे और डिस्ट्रिब्युशन किस रूप में करेंगे । एक पक्षपात का नमूना मैं आप को यह निवेदन करना चाहूंगा कि चम्बल की बिजली उदयपुर आयी । उदयपुर से सलूम्बर आयी । सलूम्बर से छलांग मार कर मेरे निर्वाचन क्षेत्र के ऊपर होती हुई आसपुर, वनकोडा और भीखाभाई के निर्वाचन

(महारावल श्री लक्ष्मणसिंह)

क्षेत्र में सागवाडा पहुंच गई। भीखाभाई का स्वागत है सागवाडा में बिजली लायें जो इसेन्शियल है। लेकिन आसपुर में भेड बकरी जनता तो नहीं है ?

श्री भीखाभाई : आसपुर में भी आवेगी।

महारावल श्री लक्ष्मणसिंह : कब आवेगी ? नक्शा देखिये। डूंगरपुर, सलूम्बर, सलूम्बर से सीमलवाड़ा, सागवाड़ा होकर सीमलवाड़ा। सीमलवाड़ा के तो चार चांद लगाने चाहिये। वह क्यों ? जिला प्रमुख वहां के। आपके गुरुजी वहां के। वहां पर बिजली और नल दोनों चाहिये। जो वहां पर आवे वह आवे। लेकिन आसपुर में भी कुछ व्यवस्था करनी चाहिये। छः सात साल से मांग कर रहे हैं कि वहां आसपुर में हाई स्कूल होना चाहिये। सारे उदयपुर डिविजन में सब-तहसील हैड क्वार्टर्स में हाई स्कूल हैं। लेकिन डूंगरपुर जिले में ही आसपुर ऐसी जगह है जहां पर हाई स्कूल नहीं है। शायद कांग्रेस वहां नहीं जीती इसीलिये ? दुर्भाग्य है वहां के लोगों का। सारे उदयपुर जिले में कांग्रेस वहां नहीं जीत पायी बाकी सब जगह जीत पायी। सरकार को तो समान दृष्टि से ही देखना चाहिये।

डूंगरपुर के अस्पताल के लिये मैं यह निवेदन करूंगा कि सारे राजस्थान में सिर्फ दो ही स्थान ऐसे हैं जहां सी० एम० ओ० हैं दूसरी सब जगह डी० एम० ओ० हैं। डूंगरपुर का अस्पताल सारे उदयपुर क्षेत्र में एक मशहूर अस्पताल था। उदयपुर के ही नहीं अन्य स्थानों के और अहमदाबाद तक के लोग वहां आकर इलाज कराया करते थे। आपके डाइरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज एक समय सी० एम० ओ० वहां रह चुके हैं। उसको बी ग्रेड अस्पताल नहीं कर रहे हैं यह मेरी आप से शिकायत है। मैं आशा करता हूं कि आप उसको बी ग्रेड अस्पताल बनायेंगे।

समय विशेष हो गया है। चर्चा तो मैं करना चाहता था लेकिन अब सदन का अधिक समय नहीं लूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री पृथ्वीसिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, आप किस क्रम से वक्ताओं को पुकार रहे हैं ?

श्री उपाध्यक्ष : व्हिप्स ने जो लिस्ट दी है उसके अनुसार ही मैं बोलने की इजाजत दे रहा हूं। और जिन माननीय सदस्यों ने संशोधन दिये हैं वे सब मूव होगये यह मान लिया जाय।

श्री वृद्धि चन्द जैन

श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को बहुत ही ध्यान पूर्वक पढ़ा इस संबंध में मैं अपने विचार सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। सर्व प्रथम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में अभाव की स्थिति के बारे में विवरण दिया गया है। राजस्थान के 26 जिलों में अकाल की स्थिति है और पश्चिमी जिलों में बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, जालोर आदि जिलों में भयंकर अकाल है। इन जिलों के सारे गांव अकाल ग्रसित हैं, और यह इतना भयंकर अकाल है जो इस शताब्दि का सब से भयंकर अकाल माना गया है। इसका मुकाबला राजस्थान सरकार बड़ी मुस्तैदी से कर रही है, इसकी मैं प्रशंसा करता हूं।

राजस्थान सरकार ने इस साल जो अकाल का मुकाबला किया है अगर वह

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

अकाल के लिये स्थायी हल का प्रयास करें तो इसको स्थायी हल भी मिल सकता है और हमेशा के लिये अकाल की समाप्ति किया जा सकता है। स्थायी हल के लिये अब सरकार के दिमाग में चीजें आ रही हैं। मैं इस विधान सभा का सन् 67 से सदस्य हूं। मैंने 67 में भी इस बारे में अपने विचार रखे थे उसमें मैंने कहा था कि राजस्थान के इन पश्चिमी क्षेत्रों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा जा रहा है। अभी बाड़मेर और जैसलमेर का जो अविकसित क्षेत्र है, जिसको राज्य सरकार पिछड़ा हुआ क्षेत्र मानकर चलती है वहां पर पानी की भयंकर समस्या थी। इसके बारे में प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना और तृतीय पंचवर्षीय योजना के आंकड़ों को अपने सामने रखा जाय तो यह मालूम पड़ेगा कि तीनों योजनाओं में इस क्षेत्र को उपेक्षित रखा गया है। हमारी प्रथम पंचवर्षीय योजना 54 करोड़ 146 लाख की थी। उसमें से सिर्फ 2 करोड़ 29 लाख 38 हजार रुपया पानी पर खर्च हुआ जो सारे व्यय का 3½ प्रतिशत हुआ। इसी प्रकार दूसरी योजना जो 1310 करोड़ की थी उसमें हमने 3 प्रतिशत व्यय पानी पर किया। तीसरी योजना 212·12 करोड़ की थी उसमें हमने सात करोड़ 29 लाख रुपया पानी पर खर्च किया जो तीन प्रतिशत हुआ। हमारे प्रान्त में इतनी भयंकर जल की समस्या होने पर भी हमने 3½, 3 और 6 प्रतिशत जल प्रदाय योजनाओं के लिये व्यय किया। इसमें नगरीय जल प्रदाय योजना और ग्रामीण जल योजना इस तरह से दो भागों में इसको विभाजित किया गया। नगरीय जल प्रदाय योजना पर 1·1 करोड़ 46 लाख 53 हजार रुपया व्यय हुआ जब कि ग्रामीण जल प्रदाय योजना पर 6 करोड़ 47 लाख 96 हजार रुपया व्यय हुआ।

श्री प्रेमसिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय! कोरम नहीं है।

(गण-पूरक घंटी)

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इन योजनाओं पर जो खर्च हुआ जहां गांवों की आबादी 1 करोड़, 68 लाख है जब कि नगरीय क्षेत्रों में 30 लाख की आबादी है इस अनुपात में नगरों की अपेक्षा ग्रामीण जनता पर बहुत कम खर्च किया गया।

ग्रामीण क्षेत्र में जहां की आबाद 1.68 लाख है वहां हमने 6 करोड़ 47 लाख 96 हजार रुपया खर्च किया है जो नगरीय जल प्रदाय योजना की अपेक्षा आधा ही खर्च किया गया है। इस तरह से ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा की गई है। जिसका नतीजा यह हुआ कि भयंकर अकाल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई उसका कारण यह है कि पहली योजना से लेकर तीसरी योजना तक हमने पानी की समस्या को हल करने का प्रयास नहीं किया। बहुत से क्षेत्र इस प्रकार के हैं जहां पानी पहुंचाने के लिए बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां खारा पानी है वहां पर पानी पहुंचाने के लिये जिला प्रशासन कतई कोशिश नहीं करता कि किसी प्रकार पानी पहुंचाया जाय। उनसे कहा जाता है कि पहले भी आप जिस प्रकार निकालते थे उसी तरह से अब भी निकालो। पहले स्थिति और थी। अब की बार तो कहीं भी पानी बरसा नहीं पहले जब बरसा हो जाती थी तो टांके में पानी भर लिया जाता था उससे काम चलाते थे अब की बार बिल्कुल बारिश नहीं हुई वैसी हालत में जिला प्रशासन द्वारा इस प्रकार कहना कतई उचित नहीं कहा जा सकता। जिला प्रशासन तो यह स्थिति मानने के लिये तैयार नहीं है।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

बहुत से गांवों में खारा पानी है जैसे हीरों की ढाणी सवाऊ मूलराज कपूंबला इनमें खारा पानी एवं अपौष्टिक भोजन के कारण लोगों में पेचिश की बीमारी, उल्टियां दस्तें हो जाती हैं, इसके कारण काफी लोग पीड़ित हैं जिनमें से करीब 214 की तो प्रमाणित डेथ्स दिवाली से अब तक मानी है।

जिस क्षेत्र में खारा पानी है वहां ऊंट ट्यूब वैल एवं सवाऊ पदमसिंह से जहां कि ठीक पानी है वहां से पहुंचाया जा सकता है इस पर विशेष जोर देना चाहिये। इस बारें में जिला प्रशासन निष्क्रिय है। मैंने जिलाधीश के सामने जोर दिया है, ट्रकों से पानी भिजवाने के लिये मैंने जिलाधीश से कहा था वे कहते हैं कि पानी की मेरे लिये कोई समस्या नहीं है। पानी की भयंकर समस्या बायतू पंचायत समिति क्षेत्र में उठ खड़ी हुई है।

बायतू आठ हजार की आबादी का गांव है, वहां पर भी खारा पानी है। बायतू पंचायत समिति का क्षेत्र है, शिव पंचायत समिति का क्षेत्र है वहां पर भी खारा पानी है पानी की वहां पर भयंकर समस्या है। इस समस्या को भीमडा में जो ट्यूब वैल खोद कर समस्या को हल किया जा सकता है लेकिन वहां पर ट्यूब वैल नहीं खोदा गया। वहां पर पाइप लाइन डाली जावे बायतू पानी पहुंचना चाहिये। गर्मी के दिनों में पानी की भयंकर समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

बाड़मेर नगर में पावर की समस्या हल नहीं हो पायी। बाड़मेर में जो डीजल सेट है वे निकम्मे हैं। 11.12 डीजल सेट है, कभी कोई खराब हो जाता है, कभी कोई पांच सात दस वर्ष पुराने हैं, स्टाफ भी अनस्किल्ड है। पावर की व्यवस्था नहीं होने के कारण गर्मी में यह स्थिति पैदा हो सकती है बाड़मेर नगर जिसकी आबादी 40 हजार है कहीं उस आबादी को गरमी के दिनों में नगर खाली न करना पड़े। इस ओर ध्यान देकर तत्काल कदम उठाना चाहिये।

अब मैं रोड्स के बारें में निवेदन करना चाहता हूं रामसर से चोहटन रोड है 24 मील का अर्थ वर्क हुआ है एवं 16½ मील ग्रेवल का कार्य हुआ है जिस पर 22½ लाख रुपया खर्च हुआ है। इतना रुपया तो डामर रोड बनाने पर भी खर्च नहीं होता है। इतना ही कानोड से तिलवाड़ा जो सड़क है वह भी 24 मील अर्थ वर्क एवं 16 मील ग्रेवल है उस पर केवल 3½ लाख रुपया खर्च हुआ है। एक ही जिले में एक जगह 22½ लाख खर्च होता है दूसरी जगह 3½ लाख रुपया खर्च होता है। यह साफ बताता है कि कहीं पर गड़बड़ है इसकी भी पूरी तरह से जांच की जानी चाहिये। अब तो लोग इस बदमाशी में दक्ष भी हो गये हैं जो अपने मस्टर रोल में ऐसे दस पन्द्रह व्यक्तियों के नाम लिख लेते हैं जो उस गांव में रहते हैं लेकिन काम नहीं करते। अगर कोई अधिकारी जांच करने जाय तो उस दिन की उनकी एबसेन्ट मार्क कर देते हैं। इस प्रकार बहुत कम काम हुआ है। जनता भी बहुत चालाक हो गई है। एक तरह से फर्जी मस्टर रोल बन जाते हैं और उनको पकड़ भी नहीं सकते। जो काम नहीं करते हैं उनके नाम भी उसमें रहते हैं और उनके पैसे में से मिस्त्री, सुपरवाईजर, ओवरसीयर, असिस्टेन्ट इन्जीनियर इन सबको इसका शेयर मिलता है। सबको कन्ट्रीब्यूशन देते हैं। मैंने स्वयं ने देखा है कि

(श्री वृद्धिचन्द जैन)
लोग काम नहीं करते हैं । जनता, याने मजदूर काम नहीं कर रहे हैं । उनको जो टास्क बेसिस पर काम दिया है, वह ठीक है । जब एक गैंग टास्क बेसिस पर काम कर सकती है तो दूसरी गैंग क्यों नहीं कर सकती । उनको ईमानदारी से काम करना चाहिये । जो काम अलाट किया गया है, वह ज्यादा नहीं है । जो अर्थ वर्क दिया है वह दस × दस वन है (10 × 10 × 1) यह ज्यादा वर्क नहीं है । यह वर्क ग्रेवल का 50 बाई 70 (50 × 70) पर यूनिट का है । यह ज्यादा है । इसको जरूर कम करना चाहिये । मेटल रोड़ के बारें में मेरी राय है कि इसको शीघ्र बनाना चाहिये । इसमें दिक्कत यह आ रही है; कि वहा स्किल्ड लेबर नहीं है । जो टास्क दिया गया वह 50 पर्सेन्ट होना चाहिये, उनके पूरा करने की कोशिश के बाद भी वे ज्यादा काम नहीं कर सकते । इसलिए मेटल रोड का जो टास्क है वह रिड्यूज होना चाहिये । राज्य सरकार ने मेटल रोड़ के निर्माण का जो कदम उठाया है वह सराहनीय है, यह बाद में डामर रोड़ में परिणत की जा सकती है । जो रोड है, उस पर ग्रेवल का कलेक्शन भी हो गया है, अर्थ वर्क भी हो गया है परन्तु अभी तक उस पर ग्रेवल डालने का काम शुरू नहीं हुआ है । टेंडर की फार्मेलिटीज में हम पड़ेंगे तो एक भी रोड़ हम नहीं बना पायेंगे । इसमें देरी होने के कारण मुझे शंका है कि वह कार्य ही कहीं साफ न हो जाय और जो इतना ग्रेवल इकट्ठा हुआ पड़ा है वह किसी काम का नहीं रह पायेगा ।

बाड़मेर में सड़कों पर दो करोड़ रुपया खर्च हो चुका है और वह किसी काम का नहीं रहेगा इसलिये इस काम को जल्दी से जल्दी करना चाहिये । पी० डब्ल्यू० डी० मिनिस्टर, अकाल सहायता मन्त्री, इन दोनों के कोआपरेशन से यह काम हो सकेगा । सन् 2023 में जो रोड्स बनी थीं वह कम्पलीट नहीं बनी थीं, उस पर ग्रेवल पूरी तरह नहीं डाल पाये और वे रोड्स आज कहीं नहीं है । इसलिये यह स्थिति इस बार नहीं आनी चाहिये ।

हमारे सीमावर्ती क्षेत्रों में रोड का विशेष महत्व है । विकास के दृष्टिकोण से भी इसका महत्व है । पहले इसको प्रीफरेन्स नहीं दिया गया । रोड़ के अलावा वहां पर कोई ऐसा सोलिड वर्क नहीं हो सकता जिसमें कि लेबर को खपाया जा सके । रोड के कारण ही हम वहां पानी पहुंचा सकते हैं, चारा पहुंचा सकते हैं, बोरिंग मशीन पहले नहीं पहुंच सकती थी, अब हम इन क्षेत्रों में बोरिंग की मशीन भेजकर बोरिंग करवा सकते हैं । यह हर तरह से प्रगति का सूचक है, जो सड़कों का काम हो रहा है उसको निश्चित रूप से पूरा किया जाना चाहिये । इसको पूरी तरह से सफल बनाने की कोशिश की जानी चाहिये ।

अभी जो हमारे क्षेत्र में, बाड़मेर जिले में जो वर्क्स खुले हैं, वे 40 वर्क्स खुले हैं । उन पर 1 लाख 30 हजार मजदूर काम कर रहे हैं । ये मजदूर जैसलमेर जिले में भी हैं । 1 लाख 30 हजार की आबादी है जो अब एक लाख 30 हजार से बढ़कर 1 लाख 70 हजार हो गई है । वहां 86 हजार मजदूर वर्क कर रहे हैं । वहां वाकई में भयंकर अकाल है । परन्तु यहां का अकाल भी कम नहीं है । इस प्रकार की स्थिति पैदा हो गई है । अब कुछ वर्क्स का धीमी गति से काम हो रहा है । ऐसी मेरे पास में इन्फार्मेशन आई है । कुछ गैंग्स को काम नहीं मिल पा रहा है । इसलिये कार्य को बढ़ाना चाहिये ।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

जिस प्रकार पूरी तरह से गवर्नमेन्ट ने कार्य हाथ में लिया है और इससे स्थिति अच्छी पैदा हो गई है। अब गर्मियां आरही हैं उसमें अकाल की स्थिति और भयंकर होगी। इसलिये गर्मियों में और भी सड़कों का काम बढ़ाना चाहिये और काम बढ़ेगा तो दो लाख लेबर्स इस काम में आ जायेंगे। इसलिये आपको आने वाले महिनों में दो लाख व्यक्तियों के लिये व्यवस्था करनी चाहिये।

मेटल रोड के बारे में और निवेदन करूंगा। उसकी मन्जूरी तो हो गई है किन्तु इम्पलीमेंट की व्यवस्था न होने के कारण वे पड़ी रह गई हैं। जो सड़कें स्वीकृत हो गई हैं, उस हिस्से का कार्य जल्दी शुरू किया जाना चाहिये। उनको बनाने के लिये इम्प्लीमेंट्स वगैरह एकत्रित करके, इसकी व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : सदन का समय दस मिनिट के लिये और बढ़ाया जाता है। इनके भाषण की समाप्ति तक ..दस मिनिट का समय और बढ़ाया जाता है। इसके बाद में भाषण समाप्त समझा जायेगा।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन जिलों के चारे की व्यवस्था के संबंध में कहूंगा। तीन लाख क्विन्टल चारा इन जिलों के लिये पहुंचाया गया है। चारे के बारे में यहां बहुत कहा गया है। चारे की जो रिपोर्ट्स् मुझे मिली हैं, वह यह है कि वहां पर चारा बहुत कम उपलब्ध हो रहा है। चारे के लिये जो डिपो कायम किये गये हैं, वे बहुत बहुत दूर पर कायम किये गये हैं। वाटरू गांव में पांच हजार आदमी हैं। उस गांव में डिपो कायम नहीं किया गया है। श्री ढेबर भाई जब वहां पधारे थे, तब उनके सामने, एस० डी० ओ० ने यह स्पष्ट कहा था कि इन जिलों की चारे के लिये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वह एक चौथाई ही फुलफिल हो रही है। आज आपने तीन लाख क्विन्टल चारे की व्यवस्था की है, यह कितने पशुओं के लिये हो सकता है। बाड़मेर, जालोर, बीकानेर इन तीनों जिलों में आप देखें तो अब भी इन क्षेत्रों में, करीब दस लाख जानवर होंगे। इन जानवरों के लिये तीन लाख क्विन्टल चारा आपने भेजा है। इन जानवरों की संख्या के हिसाब से आप आंकड़े लगावें, हिसाब लगावें कि क्या यह चारा इनके लिये सफीशियेन्ट होगा। एक जानवर के पीछे कितना चारा होता है। केलकुलेशन लगावें, तीस किलो से ज्यादा नहीं आता है। तो पांच महीने के अन्दर इस हिसाब से कितना चारा आना चाहिये। इस हिसाब से यह किसी भी तरीके से भी सफीशिएन्ट नहीं है। गवर्नमेन्ट की भी इसमें कठिनाई है, यह मैं जानता हूं। परन्तु इसके लिये जहां जहां चारा है, जिन जिलों में, जिन क्षेत्रों में बहुत है, वहां दिलचस्पी से काम करना चाहिये और वहां से चारे को भिजवाने की व्यवस्था की जानी चाहिये। मध्य प्रदेश और दूसरी गवर्नमेन्ट्स से भी कोशिश करके ज्यादा से ज्यादा चारा भिजवाने की कोशिश करनी चाहिये। आज भी जानवर कमजोर हो गये हैं। और गर्मियों के दिनों में जानवर और ज्यादा कमजोर होकर मर जायेंगे।

(5 म० प०)

रेल के द्वारा पशुओं को बिना शुल्क निष्क्रमण किया गया है। यह सहायता अच्छी है। पर साथ ही निवेदन करूंगा कि जो रेल द्वारा पशु बाहर भेजे गये हैं उनको वापिस लाने की व्यवस्था भी निः शुल्क सरकार को करनी चाहिये। नहीं

(श्री वृद्धिचन्द जन)

तो वे जानवर इतनी दूर से वापिस आते वक्त बीच रास्ते में ही 25 प्रतिशत के लगभग मर जावेंगें क्योंकि उन के मालिकों की आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत नहीं है। वे बड़ी मुश्किल के दिन काट रहे हैं।

अकाल के स्थायी हल की कोशिश सरकार नहीं करेगी तब तक यह क्षेत्र विकसित नहीं हो सकेगा। मैंने प्रश्न भी पूछा था कि क्या राजस्थान नहर बाड़मेर जिले से होकर नहीं लाई जा सकती। पहले योजना थी इसकी कच्छ की खाडी तक ले जाने की। पर राज्य सरकार ने उसे स्वीकार नहीं किया। नर्मदा वाली वात वार बार मुख्य मन्त्रीजी कहते हैं, मैं कहता हूं नर्मदा का पानी अभी तो गुजरात को भी मिलने वाला नहीं है। जालोर जिले को क्या मिल सकता है। किस प्रकार आठ लाख एकड़ की सिंचाई होगी ?

राजस्थान नहर की श्री कंवरसेन ने जो योजना रक्खी थी प्रारम्भ में उसे फिर से हाथ में लिया जाय और बाड़मेर से निकाल कर कच्छ की खाड़ी में गिराई जाय यह प्रयास किया जाना चाहिये।

ट्यूब वैल के खोदने में जोर देना चाहिये। अभी जो खोदे जा रहे हैं, उनकी मैं सराहना करता हूं। हमारे क्षेत्र में खोदे जा रहे हैं, और भी खोदे जाने चाहिये ताकि पीने के पानी की समस्या तो कुछ हल हो। सिंचाई के लिये पानी मिल जावेगा, ऐसी आपकी कोई योजना हो सकती है, इसके लिये इतना आशावादी नहीं हूं। हम इसी से अभी तो सन्तोष कर लेंगे कि सिंचाई की व्यवस्था अभी न सही, पर पीने के पानी की तो व्यवस्था हो। इससे पशुधन भी थोड़ा बच जावेगा, पशु को भी पानी पीने को मिलेगा तो वह मजबूत हो सकता है।

पंचवर्षीय योजना में पानी के लिये 25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। यह प्रावधान कायम रहे। ऐसा न हो कि इसमें भी डिडक्शन हो जाय। कटौती हो तो दूसरे आइटमों में भले ही करें। पर इस काम के लिये इतना रुपया तो कम से कम मिलना ही चाहिए।

बिजली के बारें में बताऊं। हमारें जिले में सिर्फ बाड़मेर नगर के अलावा कहीं पर भी बिजली की व्यवस्था नहीं है, पूरे जिले भर में नहीं है। चोहटन शिव तहसील हैड क्वार्टरों में भी नहीं है। पंचायत समितियों के हैड क्वार्टरों पर भी नहीं। बालोतरा में स्कीम है। वहां भी चम्बल योजना से बिजली मई जून में पहुंचेगी तब तक देखा जावेगा। बाड़मेर सब-डिवीजन की आबादी 5 लाख के करीब है। पर बिजली के बिना कोई अच्छा भविष्य नहीं है। पिछले बीस वर्षों में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ। पर कैपिटा एक्सपेण्डीचर भी कम था इससे हमारा विकास नहीं हो रहा है।

डा० हरिप्रसाद जी ने कहा कि मरुस्थल के इन जिलों का विकास हो नहीं सकता। उनके जिले में विकास हो सकता है तो उनके जिले में पैसा खर्च करना चाहिये जहां विकास नहीं हो सकता वहां व्यर्थ पैसा नहीं डालना चाहिये। पर बात ऐसी नहीं है। अगर गंगानगर का विकास हो सकता है राजस्थान नहर से और गंग नहर से तो राजस्थान नहर के जैसलमेर बाड़मेर में आने से इन इलाकों का विकास क्यों नहीं हो सकता ? तो यह मानकर मत चलिये कि वहां कुछ नहीं हो सकता।

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

यह और भी आवश्यक है कि इन क्षेत्रों का विकास अत्यन्त तीव्र गति से हो क्योंकि ये सीमावर्ती प्रदेश के हिस्से हैं। अगर इनको विकसित नहीं किया तो हमारी देश की रक्षात्मक स्थिति कमजोर होगी। पिछली पाकिस्तान हिन्दुस्तान की लड़ाई में इसी कारण हमें नीचा देखना पड़ा था। फिर भी हमें भविष्य में नीचा न देखना पड़े इसके लिये यह और भी आवश्यक है कि इसका विकास जल्दी से जल्दी किया जाय। अगर राजस्थान नहर जैसलमेर और बाड़मेर तक आती है तो यह देश के लिए सुरक्षा की नहर भी हो सकती है जैसी पाकिस्तान के लिये इच्छोगिल नहर है। पाकिस्तान और चीन हमारे दुश्मन हैं इसलिये सुरक्षा की दृष्टि से भी इस क्षेत्र का विकास करना आवश्यक है।

माननीय राज्यपाल के अभिभाषण में जो पेज नम्बर 10 पर बात कही गई है कि जहां 6 पंचायत समितियों में जिनमें हाई स्कूल नहीं थी वहां हाई स्कूल खोल दी गई हैं। मैं कहता हूं हमारे सिन्दरी पंचायत समिति एवं शिव पंचायत समिति में कोई हाई स्कूल नहीं खोली गई। पहले भी राज्यपाल के भाषण में इसका जिक्र था। सिन्दरी पंचायत समिति, शिव पंचायत समिति और बाड़मेर पंचायत समिति में, और गांवों में जो पंचायत समितियां हैं, उनमें, हाई स्कूल नहीं है।

श्री गोकुलचन्द (खैरथल सु०) : आदेश दिया जावे कि जल्दी समाप्त किया जावे।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : इन पंचायत समितियों में हाई स्कूल खोल दिये गये हैं यह गलत है।

श्री जयनारायण सालोदिया : उनसे भी झूंठ बुलवाती है यह सरकार हर साल।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री वृद्धिचन्द जैन : सीलिंग के बारे में सरकार ने निर्णय लिया। सरकार इसको अभी तक इम्पलीमेन्ट क्यों नहीं करती? क्या दिक्कत है सरकार को? यह क्रान्तिकारी निर्णय है। जो विरोध करते हैं वे मैं समझता हूं अगर कांग्रेस से निकल जावें तो भी कोई हानि नहीं है। सीलिंग के बारें में सरकार को कदम उठाना चाहिये। सामन्तशाही जागीरदारी प्रथा को खत्म कर दिया आपने तो फिर इसमें क्या झिझक है आपको? लैंडलेस को जो लैंड ट्रान्सफर कर दिया है तो लीगेलाइज कर दो। बाकी सबको इल्लीगल करार दे दो। किसी ने अपने बेटे, पत्नी, भाई के नाम कर दिया है तो इसको इल्लीगल करार दे सकते हैं। इस एक्ट को जल्दी से जल्दी लागू किया जाना चाहिये। अगर आप सही माने में समाजवाद की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो इस तरह मजबूती से कदम बढ़ाना चाहिये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने विचार रखते हुए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : सदन की कार्यवाही दिनांक 5 मार्च की सुबह 11 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही 5 बजकर 8 मिनिट पर बुधवार दिनांक 5 मार्च 1969 के प्रातः 11 बजे तक के लिये स्थगित हुई)

परिशिष्ट 1

(ता० प्र० संख्या 59 की सूची)

सूची

अतिरिक्त कलक्टरों के निम्न तीन पद वर्तमान में 14 स्थायी पदों के अतिरिक्त सृजन किए गए हैं:–

(1) अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिलाधीश, बीकानेर—यह पद मार्च, 1966 से सृजन किया गया है।

(2) अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिलाधीश चितौडगढ—यह पद सितम्बर, 1967 से सृजन किया गया है।

(3) अतिरिक्त कलेक्टर एवं अतिरिक्त जिलाधीश, कोटा—यह पद नवम्बर, 1968 से सृजन किया गया है।

उपरोक्त 3 अतिरिक्त कलक्टरों के वेतन का माहवारी खर्चा अनुमानत: 3,000) रु० है।

परिशिष्ट 2

(ता०प्र० संख्या 60 की सूची)

जैसलमेर बाड़मेर सड़क के ठेकेदारों की सूची।

मील

1	0 से 4	मैसर्स आदर्श श्रमिक ठेका सहकारी समिति, जोधपुर।
2	4 से 20	मैसर्स जोधपुर कंस्ट्रकशन कम्पनी, जोधपुर।
3	20 से 35	मैसर्स जोधपुर कंस्ट्रकशन कम्पनी, जोधपुर।
4	35 से 49	मैसर्स जोधपुर कंस्ट्रकशन कम्पनी, जोधपुर।
5	49 से 53	मैसर्स नेमीचन्द गोलेछा, बाड़मेर।
6	53 से 61	मैसर्स द्वारकादास डोसी, बाड़मेर।
7	61 से 67	मैसर्स नेहरू श्रमिक ठेका सहकारी समिति, बाड़मेर।
8	67 से 73	मैसर्स जेठानंद देवन दास, बाड़मेर।
9	73 से 79	मैसर्स कानसिंह सांखला, जोधपुर।
10	79 से 85	मैसर्स कानसिंह सांखला, जोधपुर।
11	85 से 90	मैसर्स जेठानन्द देवन दास, बाड़मेर।
12	90 से 97	मैसर्स सूरजराज एण्ड ब्रादर्स, जोधपुर।

परिशिष्ट 3

समयाभाव के कारण समय पर न लिये जाने वाले तारांकित प्रश्नोत्तर

राज्य सरकार को हस्तांतरित सम्पत्ति

72. **श्री भगवान दास शास्त्री** (अजमेर पश्चिम) : क्या पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :––

(1) क्या यह सही है कि अक्तूबर मास में केन्द्रीय सरकार द्वारा 2 करोड़ रुपये की संरक्षित सम्पत्ति को राज्य सरकार को हस्तांतरित करने की घोषणा की गई थी ? यदि हां, तो वह सम्पत्ति कब प्राप्त हुई है ?

(2) क्या यह सही है कि हस्तांतरित की जाने वाली सम्पत्ति शहरी एवं ग्रामीण निष्क्रांत सम्पत्ति है ? यदि हां, तो किस किस गांव की है एवं किस किस शहर की सम्पत्ति है, और कितनी कितनी है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(3) उपरोक्त सम्पत्ति अभी राज्य सरकार के अधीन है अथवा केन्द्रीय सरकार के अधीन है ?

उत्तर

(1) अभी यह प्रश्न राज्य व केन्द्रीय सरकार के मध्य विचाराधीन है ।

(2) प्रश्न नहीं उठता ।

(3) केन्द्रीय सरकार के अधीन है ।

नगर आयोजन विभाग की योजनाएं एवं उन पर व्यय

73. **श्री भैरोंसिंह** (किशनपोल, जयपुर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) टाउन प्लानिंग विभाग पर उसकी स्थापना से आज तक कुल कितना खर्चा हो चुका है ?

(2) इस विभाग की स्थापना से आज तक इस विभाग ने कुल कितनी योजनाएं बनाई हैं और इन योजनाओं में से कितनी योजनाएं सरकार द्वारा स्वीकार की गई और कितनी योजनाओं पर कार्य शुरू कर दिया गया है ?

(स्थगित किया गया)

तहसील कामां और पहाड़ी के ग्रामों के चौकी भवनों की व्यवस्था

74. **श्री मजलिस खां** (कामां) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि सन् 1947 तक तहसील कामां और पहाड़ी के ग्राम नौनहरा, नौगावां, जुरहडा-सहसन, बोलेट, पहाडी और पापडा पर कस्टम चौकियां थीं और सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से कस्टम ड्यूटी स्टाफ के निवास के लिये पुख्ता चौकी भवनों की व्यवस्था थी ? क्या यह भी सही है कि कस्टम विभाग की समाप्ति के बाद उक्त भवनों का कोई उपयोग नहीं हो रहा है और देश की सम्पत्ति नष्ट और बरबाद हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी मरम्मत कराने या उन्हें नीलाम कराने का विचार रखती है ? यदि ऐसा नहीं तो क्या सरकार इन्हें ग्राम पंचायत भवन के लिए पंचायत विभाग को हस्तान्तरित करने का विचार रखती है ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

उत्तर

जी हां। यह चौकियां इस विभाग की मरम्मत सूची पर नहीं हैं अतः पंचायत विभाग को हस्तान्तरित किये जाने का प्रश्न इस विभाग से संबंधित नहीं है।

ग्राम सारोला कलां में पुलिस द्वारा दुर्व्यवहार

75. **श्री रामप्रसाद बोहरा** (झालरापाटन) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि ग्राम सारोला कलां जिला झालावाड़ में सन् 1968 में किसी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी थाना सारोला द्वारा काला मुंह करके, मुंडन करवा कर गधे पर बिठा कर जुलूस निकाला गया है ? यदि हां, तो किसको और कौनसी तारीख को जुलूस निकाला गया है और क्यों ?

(2) क्या इस व्यक्ति द्वारा पुलिस में अपने प्रति इस व्यवहार की रिपोर्ट की गई थी और क्या यह सही है कि इसकी कोई सुनवाई नहीं की गई ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि इस व्यक्ति की ओर से शिकायत करने पर इस व्यक्ति को दूसरे जुर्मों में थाना सारोला में गिरफ्तार कर परेशान किया गया ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी नहीं।

लाडनू जल प्रदाय योजना के लिए कुआ

76. **श्री हरजी राम बुरड़क** (लाडनू): क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि लाडनू जल प्रदाय के लिए राज्य सरकार ने लाडनू के श्री दीपचन्द पहाड़िया का कुआ जो उनके बंगले में है, खरीदा था ? यदि हां, तो कब और कितने रुपयों में ?

(2) क्या यह भी सही है कि जहां पर जल प्रदाय योजना के कुए बने हुए हैं वहां पर पानी मीठा और बहुतायत से है ? यदि हां, तो इस कुए को खरीदने की क्या आवश्यकता थी ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त कुए का पानी खारा है ? और जनता लाडनू व नगरपालिका लाडनू ने इस कुए को खरीदने का घोर विरोध किया था ? यदि हां, तो सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

(4) इस कुए को लेने के बाद चालू रखा गया या बन्द ? यदि चालू रखा गया तो प्रति माह बिजली खर्च कितना कितना चुकाया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(5) क्या इस कुए की देखरेख के लिए या चलाने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त कर रखा है ? यदि हां, तो कब से किस व्यक्ति को और उनको अब तक कितना रुपया तनख्वाह आदि के रूप में दिया गया है ?

(6) इस कुए के पानी को किस कार्य में लिया जा रहा है ?

Page No 104

(जन स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

(1) जी हां, सुजानगढ़ लाडनू लेडी इत्यादि आसपास के ग्रामों आदि के पानी की मांग व तादाद को देखते हुए श्री दीप चन्द पहाड़िया का कुआ जो उसके बंगले की चार दिवारी से अलग है मय जमीन के खरीदा था। यह कुआ मय बोरिंग जमीन पम्प घर तथा मशीन सीड़ी व प्लेट फार्म आदि के सन् 1965 में खरीदा था, 22,700 रु० में।

(2) जल प्रदाय योजना के जो नल कूप बन चुके हैं उनकी आमद इतनी नहीं है कि वह उपरोक्त ग्रामों को प्रर्याप्त पानी उनकी मांग के अनुसार दे सकें।

(3) इसका पानी करीब करीब वैसा ही है जैसा इस क्षेत्र में अन्य कुओं का है कुए की खरीद से पहिले विरोध के बारे में नगरपालिका से कोई पत्र व्यवहार नहीं हुआ।

(4) विभाग द्वारा अभी तक इस कुए को चालू नहीं किया गया अतः बिजली के खर्च का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

(5) कुए को जल विभाग ने अभी तक चालू नहीं किया है और न कोई व्यक्ति अलग से इसकी देखरेख के लिए विभाग द्वारा रखा गया है, इसलिए व्यक्ति की तनख्वाह का कोई प्रश्न नहीं उठता।

(6) विभाग इस कुए के पानी को सुजानगढ़ लेडी आदि की लाइन का काम जब पूरा हो जायगा, काम में लेगी।

ग्राम जोगाऊ में डकैती

77. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सत्य है कि ग्राम जोगाऊ पुलिस थाना, बागोडा, जिला जालौर में एक रोबरी (लूट) का वाका हुआ था? अगर हां, तो कब? उसमें कितने रुपयों का माल लूटा गया? मुस्तगीस की रिपोर्ट के अनुसार कितने रुपयों का माल लूटना बताया गया है?

(2) पुलिस जांच के अनुसार मुलजिमान कौन थे?

(3) मुलजिमान की गिरफ्तारी एवं माल बरामदगी के लिये पुलिस द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है?

(4) माल की बरामदगी अभी तक क्यों नहीं हो पाई है?

(5) क्या यह सत्य है कि इस वारदात से गांवों के काश्तकार बहुत भयभीत हो गये हैं? अगर हां, तो इसके लिये पुलिस द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

उत्तर

(1) जी हां। यह घटना दिनांक 22-12-68 को सायंकाल 4 बजे के लगभग हुई थी। मुस्तगीस के अनुसार 11 हजार रु० का माल लूट कर ले जाना बताया गया है।

(2) नाम ज्ञात नहीं हुये हैं।

(3) मुलजिमान वारदात के पश्चात् पाकिस्तान में प्रवेश कर गये। सीमा की पुलिस से सम्पर्क स्थापित किया गया था और गिरफ्तारी और बरामदगी के लिये प्रयत्न जारी हैं।

(4) वारदात के पश्चात् अपराधी पाकिस्तान में प्रवेश कर गये हैं।

(5) जी नहीं, काश्तकारों का भयभीत होना नहीं पाया जाता। इस इलाके में 5

(गृह मंत्री) स्पेशल पुलिस पार्टियां गश्त के लिए तैनात की गई हैं, पुलिस द्वारा सतर्कता बरती जा रही है।

स्टेशन सालपुरा से छीपा बड़ौद होकर चलने वाली बसें

78. **श्री प्रेमसिंह सिंघवी** (छबड़ा) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि स्टेशन सालपुरा से छीपा बड़ोद होकर इकलेरा, मनोहरथाना आदि जगह बसें चल रही हैं?

(2) क्या यह सही है कि इन रूट्स पर बस मालिक परमिट के अनुसार पूरी बसें नहीं चला रहे हैं तथा जो बसें चल रही हैं उन बसों की हालत बहुत ही खराब है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कड़ा नियंत्रण करेगी तथा जो बसें अपने अपने रूट्स पर बराबर नहीं चल रही हैं उनके परमिट कैंसिल करके नई व्यवस्था करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) सालपुरा से मनोहरथाना मार्ग के तीन वाया है। एक वाया छीपाबड़ोद–ल्हास है, दूसरा वाया छीपाबड़ौद इकलेरा हरनावदा है व तीसरा वाया बिलकुल कच्चा है अतएव छीपाबड़ौद इकलेरा व हरनावदा इकलेरा ल्हास मार्गों पर तो बसेज चल रही हैं और कच्चे मार्ग पर कच्चा रास्ता होने के कारण पूरे मार्ग पर नहीं चलती है। गाड़ियों की हालत इतनी खराब नहीं है कि वे चल ही नहीं पातीं। इस तरह की शिकायतें आने पर एवं बसेज के बन्द करने पर इन यात्री वाहनों के मालिकों को धारा 60 के अन्तर्गत दण्ड भी मिला है। प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, कोटा ने जनहित को ध्यान में रखते हुये इस मार्ग पर दो अनुज्ञापत्र दिनांक 10 से 13 फरवरी, 1969 की बैठक में और दिये हैं जिन पर गाड़ियां चलने की कार्यवाही की जा रही है। दोषी अनुज्ञा-पत्र धारियों को धारा 60 के अन्तर्गत नोटिस दिये गये हैं और उनके विरुद्ध भी कार्यवाही चालू है।

यान्त्रिक निरीक्षक प्रत्येक 6 माह में गाड़ियों का निरीक्षण करता है व खराब हालत वाली बसों को चलने से रोकता है।

ग्राम आंवा के निवासियों की जल प्रदाय योजना की मांग

79. **श्री जुझारसिंह** (रामगंज मंडी) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:

(1) ग्राम आंवा, पंचायत समिति सांगोद, जिला कोटा द्वारा कब से ग्रामीण नल योजना की मांग सरकार के समक्ष रखी हुई है?

(2) क्या यह सही है कि आंवा बड़ा कस्बा है और वहां पर पीने के पानी की समुचित व्यवस्था नहीं है जिसका प्रमाण-पत्र पंचायत समिति, सांगोद व कलेक्टर कोटा द्वारा विभाग को भेजा जा चुका है?

(3) आंवा में कब तक नल योजना चालू कर दी जावेगी।

उत्तर

(1) मई, 66 से।

(2) जी हां, कलेक्टर सर्टिफिकेट एवं पंचायत का प्रस्ताव प्राप्त हो चुका है।

(जनस्वास्थ्य मंत्री)

(3) योजना बनाने के लिये सर्वेक्षण कार्य माह जनवरी, 69 में शुरू कर दिया गया है और शीघ्र ही योजना बना कर सरकार को प्रस्तुत करदी जावेगी।

जाली प्रमाण-पत्रों के द्वारा भर्ती

80. **श्री गंगासहाय** (कठूमर सु.) : क्या मंत्री, मुद्रणालय विभाग यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि एक वर्ष पूर्व अलवर राजकीय मुद्रणालय में कई कर्मचारी जाली सर्टिफिकेटों के जरिये भर्ती किये गये थे?

(2) क्या सरकार ने ऐसे कर्मचारियों की कोई जांच की थी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं की ?

(3) क्या यह भी सही है कि जाली सर्टिफिकेट बनाने वाले व्यक्ति भी इसी प्रेस के कर्मचारियों में से हैं ?

उत्तर

(1) इस विभाग के सामने अलवर राजकीय मुद्रणालय का ऐसा कोई मामला नहीं आया।

(2) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

(3) इस सम्बन्ध में राज्य सरकार को कोई जानकारी नहीं है।

राज्य के सहकारी बाजार

81. **श्री श्रवणलाल** (हिन्डौन सु०) : क्या सहकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में कितने सहकारी बाजार हैं व सहकारी उपभोक्ता भण्डार कहां कहां पर कब कब खोले गये हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) कौन कौन से सहकारी बाजार व सहकारी उपभोक्ता भण्डार अब तक कितने कितने लाभ या नुकसान में चल रहे हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) इन सहकारी बाजारों व उपभोक्ता भण्डारों से सरकार को अब तक किस किस वर्ष में कितनी हानि या लाभ हुआ है ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राज्य में 23 सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार हैं। इन भण्डारों में से 4 के अन्तर्गत सहकारी बाजार (विभाग भण्डार) है। सहकारी बाजार व उपभोक्ता भण्डार जहां जहां स्थित हैं व जब-जब खोले गये हैं, के बारे में सूची परिशिष्ट "क" संलग्न है।

(2) जो सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डार वर्ष 1966-67 तक जितने-जितने लाभ व नुकसान में चल रहे हैं, के संबंध में सूचना परिशिष्ट "ख" संलग्न है।

(3) सरकार को सहकारी उपभोक्ता होलसेल भण्डारों से जो लाभ हुआ है एवं लाभांश राज्य सरकार को दिया गया है, की सूची परिशिष्ट "ग" संलग्न है। जहां तक होलसेल भण्डारों। सहकारी बाजारों से नुकसान का प्रश्न है, हानि का इस समय अन्दाज नहीं लगाया जा सकता है।
(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

Page No 107

सेंपऊ कस्बे की जल प्रदाय योजना

82. श्री बनवारीलाल (धौलपुर) : क्या जन स्वास्थ्य मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे:—

(1) सेंपऊ कस्बे की जल प्रदाय योजना के लिये कुल कितनी धनराशि का प्रावधान था ?

(2) इसमें से कितनी राशि खर्च की जा चुकी है और कितनी राशि खर्च की जाने वाली है ?

(3) इस योजना का कार्य कब शुरू हुआ था और कब तक पूरा करने की योजना थी ?

(4) अब आजकल इस पर काम क्यों बन्द कर दिया गया है ?

(5) इस योजना से कब तक पानी देने का कार्य प्रारंभ कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सेंपऊ जल प्रदाय योजना के लिए कुल 2.01 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया था।

(2) इसमें से सन् 1967-68 में 1.15 लाख रुपये खर्च किये जा चुके हैं एवं 1968-69 में 0.04 लाख रुपये के खर्च करने की मन्जूरी की गई है।

(3) इस योजना का कार्य सन् 1965 में शुरू किया गया था। योजना को पूरा किया जाना वित्त एवं सामग्री की उपलब्धि पर निर्भर करता है।

(4) कार्य बन्द नहीं है। कुओं पर बोरिंग का कार्य हो रहा है।

(5) जन-सहयोग की पूर्ण राशि के उपलब्ध होने पर, आगामी वित्तीय वर्ष में पानी देने की सम्भावना है।

परिशिष्ट (४)

(अतारांकित प्रश्न संख्या 23 की सुची)

STATEMENT SHOWING THE YEARWISE INCOME & EXPENDITURE OF JAIPUR MILK SUPPLY SCHEME, JAIPUR

S. No.	Year	Income	Expenditure		
			Recurring	Non-Recurring	Total
1	1965-66	11,19,000	16,33,760	2,66,820	19,00,580
2	1966-67	13,88,300	20,76,170	1,59,530	22,35,700
3	1967-68	11,08,902	22,46,789	60,506	23,07,295
TOTAL—		36,16,202	59,56,719	4,86,856	64,43,575

Year	Quantity of Ghee sold	Amount	Quantity of Butter sold	Amount
7/63 to 3/64	—	—	787.824	5514.77
4/64 to 3/65	14.425	108.18	1647.049	4529.34
4/65 to 3/66	7096.750	57849.75	1123.591	8463.37
4/66 to 3/67	6634.100	66066.35	598.530	4219.00
4/67 to 3/68	2550.453	106095.81	897.650	9082.09
4/68 to 6/68	4402.050	46221.52	63.700	656.10
7/68 to 9/68	3017.000	44707.95	56.550	582.46
10/68 to 12/68	2818.200	34511.36	141.925	1461.82
1/69 1 to 15 713.850)		8087.20	96.650	995.50
1 to 31 572.400)	1286.250	6296.40	—	—
TOTAL—	34823.228	365944.52	5413.469	35504.45

शुद्धि-पत्र

(गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 1969)

स्तम्भ सं०	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
1		6	श्री निरन्जन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)	(श्री निरन्जन नाथ आचार्य, अध्यक्ष, पदासीन)
15	अन्तिम से	9	ी	भी
27	शीर्ष		का ब्यौरा निम्न प्रकार है:- (श्री हीरा लाल देवपुरा)	(श्री हीरा लाल देवपुरा) का ब्यौरा निम्न प्रकार है:-
33		2	गिरतार	गिरफ्तार
34		3	झठ	झूठा
40		16	श्री माधोर्सि ह	श्री माधोसिंह
56	अन्तिम से	2	हेत	हेतु
59	शीर्ष		(श्री झुझार सिंह)	(श्री जुझार सिंह)
63	शीर्ष		(श्री श्री कृष्ण कुमार गोयल)	(श्री कृष्ण कुमार गोयल)
65	अन्तिम		केसे	केस
69	अन्तिम से	11	अविश्वास	अविश्वास
70	शीर्षक		72 फरवरी	27 फरवरी
71	अन्तिम से	15	बदरों	बादरों
82		17	क	के
82		17	उपथास्पना	उपस्थापना
84		5	ह	है
84	अन्तिम से	11	नुकशन	नुकसान
85	अन्तिम से	2	लॉडर	ऑर्डर
87	अन्तिम से	13	इडाइरेक्टली	इंडाइरेक्टली
87	अन्तिम से	2	ह	हैं
88		3	ह	है
88		7	करन	करने
88		17	रिसोर्स	रिसोर्सेज
88		20	कान्ट्रिब्युश	कान्ट्रिब्युशन

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
88	अन्तिम से	9	सामन	सामने
91		10	मान	मानें
91		11	का	की
91		13	मुझ	मुझे
92		13	दुरस्ती	दुरस्त
92	अन्तिम से	7	ी हम	भी हमें
95		14	निकास	निकाल
95	अन्तिम से	7	है कि	कि
95	अन्तिम से	2	रिसोसज	रिसोर्सेज
96	अन्तिम से	6	ट्यू वेल्स	ट्यूब वैल्स
96	अन्तिम से	6	कितु	किन्तु
96	अन्तिम से	6	ह	हैं
97		17	मुझ	मुझे
97	अन्तिम से	5	परफामन्स	परफार्मेन्स
100	अन्तिम से	3	पा	पाये
101	अन्तिम से	5	म	में
103		11	इन्टेसिव	इन्टेन्सिव
103	अन्तिम से	9	रोजी तस्वीर	रोजी की तस्वीर
104		11	रिसर्च का सवाल है !	रिसर्च का सवाल है
104		18	दिय	दिया
106	अन्तिम से	3	ग्जाम्पिल	एग्जाम्पिल
107	अन्तिम से	13	सिफीशियेन्सी	सफीशियेन्सी
107	अन्तिम से	8	हम	हमें
108	अन्तिम से	8	इसक	इसके
108	अन्तिम से	8	चाहत	चाहता
110		11	सोचन	सोचने
110		14	इरीगेशन	इरीगेशन
113	अन्तिम से	15	दसरी	दूसरी
113	अन्तिम से	8	हम	हमें
114		16	रहा	रहा हूं
117		13	Pradise	Paradise
118		17	लेक्ट्रिक	इलेक्ट्रिक
118		21	चके	चुके

स्तम्भ सं०	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
118	अन्तिम से	11	जवकि 37-38	जबकि वे 37-38
119		6	मकाबले	मुकाबले
119		16	ऐसा	ऐसी
119		19	वगरह	वगैरह
119	अन्तिम से	10	स्टेटिस्किस	स्टेटिक्स
123	अन्तिम से	5	इन्यि	इन्डिया
125	अन्तिम से	8	लोकेटेड वहां	लोकेटेड है वहां
126	अन्तिम से	8	रसेंट]	परसेंट
129		3	मझ	मुझे
129		5	म	मैं
129		10	हो ी	होती
129	अन्तिम से	11	बड़	बड़े
131		2	म	मैं
131		6	इट वाज नाट ए ब गवर्नमेंट	इट वाज नाट ए गवर्नमेंट
131		11	म	में
131		19	ह	हैं
133		10	रेवान्स	रेवाइन्स
133		16	कॉन्स्टटुएनसी भी	कान्स्टीटुएन्सी का भी
133		19	पड़ा	पड़ी
133	अन्तिम से	12	फिजिकला	फिजीकली
133	अन्तिम से	11	दा	दो
133		10	क	के
133	अन्तिम से	10	ता	तो
133	अन्तिम से	9	उसका	उसको
133	अन्तिम से	6	का	की
133	अन्तिम से	2	बठ	बैठे
134		15	पदा	पैदा
134		21	दिखा	दिखाने
134	अन्तिम से	12	ह	हैं
134	अन्तिम से	10	नाकामयाब	नाकामयाव
134	अन्तिम से	8व7	थ	थे
135	अन्तिम से	9	का	को

स्कम्म सं०	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
137	अन्तिम स	3	क्षत्र	क्षेत्र
138		8	चाउ एन ला	चाउ एन लाई
138		13	श्री रामकिशन (वर)	श्री रामकिशन (वैर)
139		11	ह	है
139		14	कहिय	कहिये
140	अन्तिम से	14	ह	है
140	अन्तिम से	13	मी	की
140	अन्तिम से	9	ह	हैं
141		6	वातावर	वातावरण
141		10	बनगा	बनेगा
141	अन्तिम से	4	पशधन	पशुधन
141	अन्तिम से	3	ो	जो
142	अन्तिम से	15	को	का
142	अन्तिम से	10	म	में
143		13	फाम	फार्म
143	अन्तिम से	8	मने	मैंने
144	अन्तिम से	8	अतीव	अतीत
146	अन्तिम से	5	करेंग	करेंगे
147	अन्तिम से	5	संथाएं	संस्थायें
147		13	ी	की
147	अन्तिम		मैं	में
152	अन्तिम से	2	भखा	भूखा
157		16	मुझ	मुझे
158		5	मजबत	मजबूत
161		12	˜	में
161		15	दसरा	दूसरा
161		18	सभवतः	संभवतः
161	अन्तिम से	17	वस्त	वस्तु
161	अन्तिम से	8	विमढ़	विमूढ़
161	अन्तिम से	3	ध्यय	ध्यान
162	अन्तिम से	11	हआ	हुआ
162	अन्तिम से	9	सहानुभति	सहानुभूति
162	अन्तिम से	3	कहं	कहूं

स्कम्भ सं०	पंक्ति संख्या		अशुद्ध	शुद्ध
165	अन्तिम से	8	म	में
165	अन्तिम से	8	कराया	कराना
165	अन्तिम से	4	ता	तो
165	अन्तिम से	4	याजना	योजना
165	अन्तिम से	3	लकिन	लेकिन
165	अन्तिम से		म	में
166	अन्तिम से	13	निवदन	निवेदन
170		13	हो	तो
172		15	ग्रीविवेन्सेज	ग्रीवेन्सेज
175	अन्तिम से	12	घश्ला	घपळा
176	अन्तिम से	15	अनभव	अनुभव
185		8	गया	गयी
185		20	दहै	है
197	शीर्ष		(श्री वृद्धिचन्द जन)	(श्री वृद्धिचन्द जैन)
198	अन्तिम से	4	के	से